

परिचायक टिप्पणी

इस दस्तावेज को दो भागों; भाग क-प्राप्तियाँ और भाग ख-परिसंपत्ति एवं देयता विवरणों में विभाजित किया गया है।

भाग क में सभी प्रकार की प्राप्तियों के ब्यौरे एवं व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ-साथ उनका सार दिया गया है। इसमें कर, कर-भिन्न राजस्व और पूंजीगत (ऋण एवं ऋण-भिन्न) प्राप्तियों से संबंधित विवरण हैं। केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में उन्हें अंतरित संसाधनों की बड़ी राशि को ध्यान में रखते हुए, बजट अनुमान (2019-20), संशोधित अनुमान (2018-19) और वास्तविक (2017-18) के अंतरण के राज्यवार अनुमान क्रमशः अनुबंध 4, 4क और 4ख में दिए गए हैं। ये विवरण मोटे तौर पर राज्यों को अपने वित्त साधनों की योजना बनाने व नकदी प्रबंधन में भी सहायता करते हैं।

भाग ख में सरकार की समग्र वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करने के दृष्टिगत विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों और देनदारियों के विवरण सन्निहित हैं। वार्षिकी परियोजनाओं, कर-भिन्न राजस्व के बकायों, जुटाए गए परन्तु वसूल न किए गए कर राजस्व, परिसंपत्तियों और गारंटियों संबंधी विवरण एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अंतर्गत अधिदेशित हैं। ये विवरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

भारत सरकार की ऋण रूपरेखा के विभिन्न आयाम भाग-ख में परिसंपत्तियों और देनदारियों संबंधी विवरणों द्वारा दर्शाए गए हैं। ये विवरण देश की ऋण देनदारी की मात्रा और संरचना का व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं।

प्राप्तियों का सार

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020
(₹ करोड़)				
राजस्व प्राप्तियां				
1. कर राजस्व				
सकल कर राजस्व	1919008.71	2271241.56	2248175.20	2461194.93
निगम कर	571201.87	621000.00	671000.00	766000.00
आय कर	430772.03	529000.00	529000.00	569000.00
घन कर	63.43
सीमा शुल्क	129029.92	112500.00	130038.00	155904.00
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	259431.28	259600.00	259612.20	300000.00
सेवा कर	81228.07	...	9283.00	...
माल और सेवा कर (जीएसटी)#	442561.43	743900.00	643900.00	663343.00
संघ राज्य क्षेत्रों के कर	4720.68	5241.56	5342.00	6947.93
घटाइए - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि/राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी	3515.12	2500.00	2315.00	2480.00
घटाइए - राज्यों का हिस्सा	673005.29	788092.52	761454.15	809133.02
केन्द्र का निवल कर राजस्व	1242488.30	1480649.04	1484406.05	1649581.91
2. कर-भिन्न राजस्व				
ब्याज प्राप्तियां	13574.08	15162.05	12047.32	13711.23
लाभांश तथा लाभ	91360.47	107311.96	119264.55	163528.44
अन्य कर-भिन्न राजस्व	85920.18	120552.64	111888.52	133790.45
संघ राज्य क्षेत्रों की प्राप्तियां	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
जोड़ कर-भिन्न राजस्व	192744.35	245088.75	245276.39	313179.12
I. जोड़ राजस्व प्राप्तियां	1435232.65	1725737.79	1729682.44	1962761.03
3. पूंजी प्राप्तियां				
क. ऋण-भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां@	15633.28	12199.08	13155.16	14827.72
2. विविध पूंजी प्राप्तियां	100045.05	80000.00	80000.00	105000.00
जोड़	115678.33	92199.08	93155.16	119827.72
ख. ऋण प्राप्तियां *				
1. बाजार ऋण (निवल)	450728.31	462061.49	422736.92	473122.01
2. अदायगी के लिए बाजार ऋण	137271.69	143477.87	148263.08	236877.99
3. वापसी खरीद के लिए बाजार ऋण	41555.07	71941.00	...	50000.00
4. स्विचिंग हेतु बाजार ऋण	59158.98	28059.00	28059.00	50000.00
5. घटाइए स्विचिंग हेतु भुगतान	-58075.00	-28059.00	-28059.00	-50000.00
6. बाजार ऋण (सकल) (1+2+3)	629555.07	677480.36	571000.00	760000.00
7. अल्पावधिक/रा. हुंडी उधार	44949.43	17000.00	25000.00	25000.00
8. विदेशी ऋण (निवल)	7930.74	-2588.61	-4893.12	-2952.05
9. अल्प बचतों के लिए जारी प्रतिभूतियां	102627.95	75000.00	125000.00	130000.00
10. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	15798.67	17000.00	17000.00	18000.00
11. अन्य प्राप्तियां (निवल)^	5407.31	84678.55	8352.70	59531.61
12. जोड़ ऋण प्राप्तियां (1-3+4+5+7+8+9+10+11)	586971.32	581210.43	593196.50	652701.57
II. जोड़ पूंजी प्राप्तियां (क+ख12)	702649.65	673409.51	686351.66	772529.29
4. नकदी शेष में आहरण से कमी	4090.75	43066.00	41200.92	51059.13
जोड़ प्राप्तियां (I+II)	2137882.30	2399147.30	2416034.10	2735290.32
एमएसएस के अधीन प्राप्तियां (निवल)

@ राज्यों से अल्पावधिक ऋण और अग्रिम, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋणों की वसूलियां शामिल नहीं हैं।

जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर शामिल हैं।

* प्राप्तियां भुगतान को घटाकर

^ आरक्षित निधियों, जमा राशि और अग्रिम आदि से प्राप्तियां शामिल हैं।

कर राजस्व

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	(₹ करोड़) बजट 2019-2020
कर राजस्व						
1. निगम कर						
1.01.	संग्रहण	0020	486113.18	527750.39	575795.77	657312.00
1.02.	अधिभार	0020	21439.48	63711.15	64777.02	73950.00
1.03.	शिक्षा उपकर/स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0020	16305.02	29538.46	30427.21	34738.00
1.04.	शास्तियां	0020	1526.86
1.05.	ब्याज वसूलियां	0020	3209.30
1.06.	घरेलू कम्पनियों के वितरित लाभों पर कर	0020	41180.67
1.07.	यूनिटधारकों को वितरित आय पर कर	0020	879.45
1.08.	विविध प्राप्ति	0020	547.91
जोड़-निगम कर			571201.87	621000.00	671000.00	766000.00
2. आय पर कर						
2.01.	संग्रहण	0021	388197.66	461182.33	461182.33	495191.00
2.02.	अधिभार	0021	3172.17	36894.59	36894.59	39618.00
2.03.	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	0021	11869.08	19923.08	19923.08	21391.00
2.04.	शास्तियां	0021	424.93
2.05.	ब्याज वसूलियां	0021	4318.02
2.06.	काले धन के तहत कर	0021	9.94
2.07.	विविध प्राप्ति	0021	99.63
2.08.	बैंकिंग नकद लेन देन कर (बीसीटीटी)	0036	0.01
2.09.	प्रतिभूति लेन देन कर	0034	11881.40	11000.00	11000.00	12800.00
2.10.	होटल प्राप्ति कर	0023	0.50
2.11.	ब्याज कर	0024	4.45
2.12.	अनुपंगी लाभ कर	0026	-93.29
2.13.	आय तथा व्यय पर अन्य कर	0028	10887.53
जोड़-आय पर कर			430772.03	529000.00	529000.00	569000.00
3. संपदा कर						
3.01.	संपदा शुल्क	0031	0.84
3.02.	धन पर कर	0032	62.59
जोड़-संपदा कर			63.43
4. सीमा शुल्क						
4.01.	आयात शुल्क					
4.01.01.	बुनियादी शुल्क	0037	80754.66	96300.00	115238.00	142940.00
4.01.02.	सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी)	0037	33488.61	...	1500.00	...
4.01.03.	विशेष सीवी शुल्क	0037	9603.44	...	50.00	...
4.01.04.	हार्ड स्पीड डीजल तेल पर सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क	0037	6.77	...	3.00	...
4.01.05.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0037	576.68	750.00	515.00	545.00
4.01.06.	शिक्षा उपकर	0037	2014.20	...	38.00	...
4.01.07.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0037	984.32	...	14.00	...
4.01.08.	समाज कल्याण अधिभार	0037	1206.99	8000.00	9000.00	10080.00
जोड़-आयात शुल्क			128635.67	105050.00	126358.00	153565.00
4.02.	निर्यात शुल्क	0037	163.72	288.00	200.00	224.00
4.03.	निर्यात पर उपकर	0037	230.53	112.00	280.00	315.00
4.04.	अन्य प्राप्ति	0037	...	7050.00	3200.00	1800.00
जोड़-सीमा शुल्क			129029.92	112500.00	130038.00	155904.00

(₹ करोड़)

5. केंद्रीय उत्पाद शुल्क

5.01.	बुनियादी उत्पाद शुल्क	0038	116886.22	94000.00	93777.00	109046.00
5.02.	मोटर स्प्रीट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	21935.11
5.03.	हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	61181.31
5.04.	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	0038	2938.44	1750.00	1800.00	1935.00
5.05.	मोटर स्प्रीट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क	0038	27343.04	36000.00	32000.00	41000.00
5.06.	पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार	0038	989.70	...	0.18	...
5.07.	राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर					
5.07.01.	शिक्षा उपकर	0038	12.89	...	2.75	...
5.07.02.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0038	5.59	...	1.41	...
5.07.03.	कच्चे तेल पर उपकर	0038	13579.21	14850.00	19000.00	21000.00
5.07.04.	बीड़ी पर उपकर	0038	32.60	...	0.02	...
5.07.05.	चीनी पर उपकर	0038	793.40	...	8.35	...
5.07.06.	ऑटोमोबाईल पर उपकर	0038	96.42	...	0.08	...
5.07.07.	अन्य	0038	48.61	...	0.50	...
5.07.08.	स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर)	0038	11463.43	...	2.83	...
5.07.09.	अवसंरचना उपकर	0038	903.90	...	6.88	...
5.07.10.	मोटर स्प्रीट और उच्च गति वाले डीजल तेल (सड़क और अवसंरचना उपकर) पर उत्पाद शुल्क	0038	...	113000.00	113000.00	127019.00
	जोड़-राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित उपकर		26936.05	127850.00	132022.82	148019.00
5.08.	अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर					
5.08.01.	कोयला और कोक	0038	323.30	...	2.00	...
5.08.02.	रबड़	0038	90.81	...	10.00	...
5.08.03.	प्रदूषण (वायु और जल) निवारण और नियंत्रण	0045	181.10	...	0.20	...
5.08.03.01.	व्यय घटाकर प्राप्ति	0045	-174.82
	निवल		6.28	...	0.20	...
5.08.04.	अनुसंधान और विकास	0045	191.41
5.08.05.	बीड़ी निधि	0038	11.48
5.08.06.	बस्त्र और बस्त्र मशीनरी पर संग्रहित उपकर	0038	0.47
	निवल-अन्य विभागों द्वारा प्रशासित उपकर		623.75	...	12.20	...
	निवल-केंद्रीय उत्पाद शुल्क		258833.62	259600.00	259612.20	300000.00
6. सेवा कर						
6.01.	संग्रहण	0044	74150.66	...	8655.00	...
6.02.	शिक्षा उपकर	0044	34.91	...	12.00	...
6.03.	माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर	0044	19.20	...	6.00	...
6.04.	स्वच्छ भारत उपकर	0044	4243.40	...	240.00	...
6.05.	कृषि कल्याण उपकर	0044	2779.90	...	370.00	...
	जोड़-सेवा कर		81228.07	...	9283.00	...
7. वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क						
7.01.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0040
7.02.	अन्य कर	0045	597.66
	जोड़-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क		597.66
8. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)						
8.01.	केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	0005	203261.40	603900.00	503900.00	526000.00
8.02.	समेकित माल एवं सेवा कर	0008	176688.44	50000.00	50000.00	28000.00
8.03.	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर	0009	62611.59	90000.00	90000.00	109343.00
	जोड़-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)		442561.43	743900.00	643900.00	663343.00

(₹ करोड़)

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर						
9.01.	भू राजस्व	0710	4.08	8.75	10.00	53.21
9.02.	स्टाम्प और पंजीकरण	0710	205.37	225.80	224.00	305.72
9.03.	राज्य उत्पाद शुल्क	0710	780.00	1000.00	1059.00	1523.00
9.04.	बिक्री कर	0710	1706.49	1165.00	1235.00	1898.00
9.05.	वाहनों पर कर	0710	217.83	256.00	236.00	333.00
9.06.	सामान और यात्रियों पर कर	0710	11.25	12.00	12.00	17.00
9.07.	बिजली पर कर और शुल्क	0710	34.41	35.00	36.00	50.00
9.08.	अन्य कर और शुल्क	0710	126.15	9.01
9.09.	केंद्र शासित माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी)	0007	1635.10	2530.00	2530.00	2768.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों के कर			4720.68	5241.56	5342.00	6947.93
10. घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी						
10.01.	एनसीसीडी (सीमा शुल्क)	0037	-576.68	-750.00	-515.00	-545.00
10.02.	एनसीसीडी (केंद्रीय उत्पाद शुल्क)	0038	-2938.44	-1750.00	-1800.00	-1935.00
निवल-घटाइए-राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि को अंतरित एनसीसीडी			-3515.12	-2500.00	-2315.00	-2480.00
11.	घटाइए-राज्यों का हिस्सा	0710	-673005.29	-768412.57	-736879.65	-809133.02
12.	घटाइए-वास्तविक आंकड़ों के अनुसार राज्यों के हिस्से का समायोजन	0710	...	-19679.95	-24574.50	...
जोड़-कर राजस्व			1242488.30	1480649.04	1484406.05	1649581.91
कुल जोड़			1242488.30	1480649.04	1484406.05	1649581.91

उपर्युक्त विवरण में मोटे तौर पर 2019-20 के लिए कर प्राप्तियों के अनुमानों का सार है। इन अनुमानों में बजट प्रस्तावों का प्रभाव शामिल है। इसके अतिरिक्त खण्डों और लेखा शीर्षों के अनुसार ब्यौरे के साथ-साथ बजट और संशोधित अनुमान, 2018-19 के बीच अन्तर तथा 2019-20 के बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं। संविधान (अस्सीवां संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार, जिसे 1.4.1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया, क्रमशः अनुच्छेद 268 और 269 में उल्लिखित शुल्कों और करों, अनुच्छेद 271 में उल्लिखित करों और शुल्कों पर अधिभार और संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य से लगाए गए किसी उपकर को छोड़कर, संघीय सूची में उल्लिखित सभी कर भारत सरकार द्वारा लगाए और संगृहीत किए जाएंगे और केन्द्र और राज्यों के बीच इस प्रकार संवितरित किए जाएंगे जैसाकि वित्त आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। 2015-2020 तक की अवधि के लिए, केन्द्र और राज्यों के बीच संवितरण का तरीका चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद अपनाया गया है।

1. **निगम कर :** यह कर कम्पनियों की आय पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लगाया जाता है। 2018-2019 के लिए निगम कर का संशोधित अनुमान, ₹6,71,000.00 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में ₹6,21,000.00 करोड़ है। 2019-20 का बजट अनुमान ₹7,66,000.00 करोड़ है।

2. **आय पर कर :** यह कर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनियों से भिन्न, व्यक्तियों, फर्मों आदि पर लगाया जाता है। इस शीर्ष में अन्य कर, मुख्यतया प्रतिभूति लेन-देन कर शामिल है जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में स्टॉक एक्सचेंजों में और म्यूचुअल फंडों की यूनितों में किए गए लेन-देन पर लगाया जाता है। 2018-2019 की आय पर करों का संशोधित अनुमान, ₹529000.00 करोड़ के बजट अनुमान के मुकाबले, ₹529000.00 करोड़ है। 2019-20 के लिए बजट अनुमान ₹5,69,000.00 करोड़ है।

प्राथमिक शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर से सम्मिलित शिक्षा उपकर जो 3% की दर से लगाया जाता है, को वित्त वर्ष 2018-19 से समाप्त कर दिया गया है और वित्त वर्ष 2018-19 से आय-कर (अधिभार सहित) के 4% की दर से 'स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर' लगाया जाता है।

3. **संपदा कर :** धन कर अधिनियम, 1957 के तहत, यह कर व्यक्तियों और कम्पनियों सहित कतिपय व्यक्तियों की विनिर्दिष्ट परिसम्पतियों पर लगाया जाता है। वर्ष 2017-18 के लिए संपदा कर का वास्तविक संग्रहण ₹63.43 करोड़ का हुआ था। इस कर को 2016-17 से समाप्त कर दिया गया है।

4. **सीमा शुल्क :** 2018-19 के लिए सीमा शुल्क का सं.अ. ₹1,30,038.00 करोड़ है जबकि ब.अ. ₹1,12,500.00 करोड़ हैं। 2019-20 के लिए बजट अनुमान ₹1,55,904.00 करोड़ है।

4.01.01. **मूलभूत शुल्क :** सीमा शुल्क का मूलभूत शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत आयातित माल पर लगाया जाता है।

4.01.02. **सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) :** सीमा शुल्क पर अतिरिक्त शुल्क सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अंतर्गत उग्रहरणीय है जो घरेलू रूप से विनिर्मित उत्पादों पर उद् ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के समकक्ष है। इस शुल्क को 01 जुलाई 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों, जो जीएसटी से बाहर हैं को छोड़कर) कर लिया गया है।

4.01.03. **विशेष सीवी शुल्क :** सभी आयातित माल पर बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर या अन्यथा को प्रतिस्तुलित करने के लिए विशेष सीवी शुल्क कुछ अपवादों के साथ 4% की दर से लगाया जाता है। इस शुल्क को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित (कुछ पेट्रोलियम उत्पादों जो जीएसटी से बाहर हैं, को छोड़कर) कर लिया गया है।

- 4.01.04. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 4.01.05. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बिल अधिनियम, 2001 के तहत तथा कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 के तहत लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 4.01.06. शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्क पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है (सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और 8ग धारा 9 के तहत सीवीडी और धारा 9क के तहत डम्पिंग-रोधी शुल्क के तहत संरक्षण शुल्क को छोड़कर)। अंतरराष्ट्रीय वचनबद्धताओं के तहत आवद्ध दरों पर सीमा शुल्क लगाई जाने वाली वस्तुओं को इस उपकर से मुक्त रखा गया है।
- 4.01.07. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर :** कुल सीमा शुल्कों पर 1 प्रतिशत की दर से माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर उदग्रहणीय है।
- 4.02. निर्यात शुल्क:** कुछ विनिर्दिष्ट मदों जैसे लोहा और क्रोमियम के अयस्कों और सान्द्रणों आदि के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में सीमा शुल्कों के बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹1085 करोड़ था। सीमा शुल्कों के बकायों का संग्रहण सं.अ. 2018-19 तथा ब.अ. 2019-20 के लिए क्रमशः ₹4315 करोड़ और ₹1500 करोड़ है।
- 5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क :** 2018-19 के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों का संशोधित अनुमान ₹2,59,612.00 करोड़ है जबकि बजट अनुमान ₹2,59,600 करोड़ है। 2019-20 के लिए ब.अ. ₹3,00,000 करोड़ है।
- 5.01. मूलभूत उत्पाद शुल्क :** केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत मूलभूत उत्पाद शुल्क केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1985 में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि सेनवेट दर को 27.02.2010 से 8% से बढ़ाकर 10% तथा 17.03.2012 से 10% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। 01.03.2015 से उत्पाद शुल्क योग्य सामानों पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में सम्मिलित कर लिया गया था तथा मानक सेनवेट दर को 12.5% पर औचित्यपूर्ण बनाया गया था। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी (पेट्रोलियम उत्पाद जो जीएसटी से बाहर हैं) में सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.02. मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** मोटर स्पिरिट पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम (सं.2) 1998 के तहत लगाया गया है। यह शुल्क सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित किया गया है।
- 5.03. हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क :** हाई स्पीड डीजल तेल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क वित्त अधिनियम, 1999 के तहत लगाया जाता है। इस शुल्क को सड़क एवं अवसंरचना उपकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- 5.04. राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) :** राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बिल अधिनियम, 2001 के तहत तथा कच्चे तेल पर वित्त अधिनियम, 2003 के तहत लगाया जाता है। अन्य मदों पर एनसीसीडी को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.05. मोटर स्पिरिट पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क:** यह वित्त अधिनियम, 2002 के तहत लगाया जाता है। इसे सामान्यतः अधिभार के रूप में जाना जाता है।
- 5.06. पान मसाला और तम्बाकू उत्पादों पर अधिभार:** सिगरेट, पान मसाला, तथा कतिपय विनिर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों पर बजट 2005-06 में विनिर्दिष्ट दरों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया। बीडी पर यह नहीं लगाया जाता है। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत सम्मिलित कर लिया गया है।
- 5.07.08. स्वच्छ पर्यावरण उपकर (पूर्व में स्वच्छ ऊर्जा उपकर) :** इसे वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 के तहत भारत में निर्मित कच्चा कोयला, लिग्नाइट और पीट पर लगाया गया था। यह उपकर 1.7.2010 से प्रवृत्त हुआ है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में संग्रहित किया जाता है। यह शुल्क 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी के तहत सम्मिलित कर लिया गया है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹1866 करोड़ रहा। इसका संग्रहण संशोधित अनुमान 2018-19 और बजट अनुमान 2019-20 में क्रमशः ₹2338 करोड़ और ₹3000 करोड़ का है।
- 6. सेवा कर :** 2018-19 के लिए सेवा कर का संशोधित अनुमान 'शून्य' बजट अनुमान की तुलना में शेष और बकाया भुगतानों के कारण ₹9283 करोड़ है। संपूर्ण सेवा कर को 01 जुलाई, 2017 से जीएसटी में मिला दिया गया है।
बकाया संग्रहण : 2017-18 में सेवाकर बकायों का वास्तविक संग्रहण ₹2265 करोड़ था। सेवाकर के बकाया संग्रहण के लिए संशोधित अनुमान 2018-19 तथा बजट अनुमान 2019-2020 में क्रमशः ₹3347 करोड़ तथा ₹3000 करोड़ हैं।
- 8. माल और सेवा कर (जीएसटी) :** माल एवं सेवा कर (जीएसटी) 01 जुलाई, 2017 से प्रभाव में आया। जीएसटी मानव उपभोग के एल्कोहल युक्त शराब की आपूर्ति को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सीजीएसटी और आईजीएसटी के संशोधित अनुमान क्रमशः ₹5,03,900.00 करोड़ और ₹50,000 करोड़ है जबकि उनके ब.अ. क्रमशः ₹6,03,900.00 करोड़ और ₹50,000 करोड़ है। सीजीएसटी और आईजीएसटी के वित्त वर्ष 2019-20 के ब.अ. क्रमशः ₹526,000 करोड़ और ₹28,000.00 करोड़ है। आईजीएसटी राजस्व ऋणों के अन्योन्य-उपयोग के परिणाम स्वरूप केन्द्र और राज्यों के बीच समानुपात विभाजन और निधि के निपटारे के अध्यक्षीन है।

कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ					
1. ब्याज प्राप्तियां					
1.01. राज्य	0049	7315.87	6100.06	5288.44	5494.94
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल युक्त)	0049	41.84	367.40	365.40	365.40
1.03. अन्य ब्याज प्राप्तियां	0049	38366.94	25049.59	20910.62	22150.89
1.03.01. घटाइए व्यय घटाकर प्राप्तियां	0049	-32150.57	-16355.00	-14517.14	-14300.00
<i>निवल-ब्याज प्राप्तियां</i>		<i>13574.08</i>	<i>15162.05</i>	<i>12047.32</i>	<i>13711.23</i>
2. लाभांश और लाभ					
2.01. सरकारी क्षेत्र के उद्यम और अन्य निवेशों से लाभांश	0050	46498.67	52494.71	45124.18	57486.88
2.02. भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लाभांश/अधिशेष	0050	44861.80	54817.25	74140.37	106041.56
<i>जोड़-लाभांश और लाभ</i>		<i>91360.47</i>	<i>107311.96</i>	<i>119264.55</i>	<i>163528.44</i>
जोड़-ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लाभ		104934.55	122474.01	131311.87	177239.67
राजकोषीय सेवाएं					
3. राजकोषीय सेवाएं					
3.01. करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल (सिक्कों के परिचालन से लाभ)	0046	282.00	600.00	300.00	300.00
3.02. अन्य राजकोषीय सेवाएं	0047	178.13	121.20	120.50	125.50
<i>जोड़-राजकोषीय सेवाएं</i>		<i>460.13</i>	<i>721.20</i>	<i>420.50</i>	<i>425.50</i>
जोड़-राजकोषीय सेवाएं		460.13	721.20	420.50	425.50
सामान्य सेवाएं					
4. सामान्य सेवाएं					
4.01. प्रशासनिक सेवाएं					
4.01.01. लोक सेवा आयोग	0051	84.03	136.50	96.50	103.50
4.01.02. पुलिस	0055	7495.64	7611.60	7761.00	10366.10
4.01.03. पूर्ति और निपटान	0057	54.57	...	0.05	0.05
4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण	0058	38.97	38.80	35.25	29.54
4.01.05. लोक निर्माण कार्य	0059	333.85	76.65	273.03	373.03
4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0070	6203.79	7432.31	6377.79	7786.43
<i>जोड़-प्रशासनिक सेवाएं</i>		<i>14210.85</i>	<i>15295.86</i>	<i>14543.62</i>	<i>18658.65</i>
4.02. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां					
4.02.01. पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां	0071	1760.70	2824.53	2709.12	2712.93
4.02.02. घटाइए प्राप्तियां	0071	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
<i>निवल-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूलियां</i>		<i>1760.70</i>	<i>1824.53</i>	<i>1709.12</i>	<i>1712.93</i>
4.03. विविध सामान्य सेवाएं					
4.03.01. विविध सामान्य सेवाएं	0075	19355.64	19211.20	18375.71	21527.76
4.03.02. घटाइए वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्तियां	0075	-17761.78	-17625.00	-16775.00	-18450.00
<i>निवल-विविध सामान्य सेवाएं</i>		<i>1593.86</i>	<i>1586.20</i>	<i>1600.71</i>	<i>3077.76</i>
4.04. रक्षा सेवाएं					
4.04.01. रक्षा सेवाएं - सेना	0076	2951.31	2871.09	2927.09	2879.76
4.04.01.01. घटाइए - प्राप्तियां	0076	-2951.31	-2871.09	-2927.09	-2879.76
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
4.04.02. रक्षा सेवाएं - नौसेना	0077	629.82	650.00	750.00	500.00
4.04.02.01. घटाइए - प्राप्तियां	0077	-629.82	-650.00	-750.00	-500.00
<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
4.04.03. रक्षा सेवाएं - वायु सेना	0078	1025.60	1300.00	1277.66	1000.00
4.04.03.01. घटाइए - प्राप्तियां	0078	-1025.60	-1300.00	-1277.66	-1000.00
<i>निवल</i>
4.04.04. रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	0079	1852.02	1579.70	2194.44	2581.19
4.04.04.01. घटाइए - प्राप्तियां	0079	-1852.02	-1579.70	-2194.44	-2581.19
<i>निवल</i>
4.04.05. रक्षा सेवाएं - अनुसंधान और विकास	0080	279.24	150.00	550.00	400.00
4.04.05.01. घटाइए - प्राप्तियां	0080	-279.24	-150.00	-550.00	-400.00
<i>निवल</i>
<i>निवल-रक्षा सेवाएं</i>
<i>निवल-सामान्य सेवाएं</i>	17565.41	18706.59	17853.45	23449.34	
जोड़-सामान्य सेवाएं	17565.41	18706.59	17853.45	23449.34	
सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं					
5. सामाजिक सेवाएं					
5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	0202	273.49	238.82	280.58	347.19
5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0210	540.23	597.78	606.21	678.08
5.03. परिवार कल्याण	0211	14.43	20.10	15.08	15.08
5.04. आवास	0216	379.28	341.38	283.60	279.59
5.05. शहरी विकास	0217	...	0.01	0.01	0.01
5.06. सूचना और प्रचार प्रसार	0220	70.79	44.04	50.12	59.35
5.07. प्रसारण	0221	1548.29	1997.06	1420.86	2766.67
5.08. श्रम और रोजगार	0230	34.89	25.59	33.55	34.08
5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0235	0.67	5610.57	0.86	0.36
5.10. अन्य सामाजिक सेवाएं	0250	146.06	...	100.00	...
5.10.01. घटाइए - प्राप्तियां	0250	-64.43	...	-100.00	...
<i>निवल-सामाजिक सेवाएं</i>	2943.70	8875.35	2690.87	4180.41	
जोड़-सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	2943.70	8875.35	2690.87	4180.41	
आर्थिक सेवाएं					
6. आर्थिक सेवाएं					
6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप					
6.01.01. फसल कार्य	0401	576.80	424.05	590.55	614.55
6.01.02. पशु पालन	0403	20.59	19.25	19.60	20.97
6.01.03. डेयरी विकास	0404	435.50	480.35	390.54	410.80
6.01.03.01. घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- दिल्ली दुग्ध योजना	0404	-435.35	-480.00	-390.27	-410.40
<i>निवल</i>	0.15	0.35	0.27	0.40	
6.01.04. मात्स्यकी	0405	3.94	4.40	3.95	4.00
6.01.05. वानिकी एवं वन्य जीवन	0406	204.43	33.00	33.00	38.00
6.01.05.01. घटाइए - प्राप्तियां	0406	-192.66	-8.00	-8.00	-8.00
<i>निवल</i>	11.77	25.00	25.00	30.00	
6.01.06. खाद्य भंडारण और भांडागार	0408	1171.00	12.02	102.53	6.91
6.01.06.01. घटाइए - प्राप्तियां	0408	-95.62	...
<i>निवल</i>	1171.00	12.02	6.91	6.91	
6.01.07. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	0415	...	0.01	0.02	0.02
6.01.08. अन्य कृषि कार्यक्रम	0435	21.75	20.50	23.00	23.55
<i>निवल-कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप</i>	1806.00	505.58	669.30	700.40	
6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण					
6.02.01. वृहत और मध्यम सिंचाई	0701	34.44	40.00	40.00	42.00
6.02.02. वृहत सिंचाई	0702	1.77	1.20	1.60	1.80
<i>जोड़-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण</i>	36.21	41.20	41.60	43.80	

			वास्तविक	बजट	संशोधित	(₹ करोड़)
मुख्य शीर्ष			2017-2018	2018-2019	2018-2019	बजट
						2019-2020
6.03.	ऊर्जा					
6.03.01.	विद्युत	0801	1975.99	5893.78	3347.77	4270.48
6.03.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- ईंधन स्टाक	0801	-1152.70	-2158.83	-1859.02	-2373.06
	<i>निवल</i>		<i>823.29</i>	<i>3734.95</i>	<i>1488.75</i>	<i>1897.42</i>
6.03.02.	पेट्रोलियम	0802	10878.80	9877.24	16044.55	16930.27
6.03.03.	कोयला और लिग्नाइट	0803	4.45	...	3197.85	3197.85
6.03.04.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा	0810	48.23	0.06	0.12	0.12
	<i>निवल-ऊर्जा</i>		<i>11754.77</i>	<i>13612.25</i>	<i>20731.27</i>	<i>22025.66</i>
6.04.	उद्योग और खनिज					
6.04.01.	ग्राम और लघु उद्योग	0851	45.33	37.26	30.26	23.18
6.04.02.	उद्योग	0852	1861.48	2615.45	3025.77	2557.87
6.04.02.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- ईंधन फेब्रिकेशन सुविधाएं	0852	-1205.93	-2417.80	-1735.36	-2286.29
6.04.02.02.	घटाइए - सेक्टर में अन्य प्राप्तियां	0852	-255.00	...	-983.18	...
	<i>निवल</i>		<i>400.55</i>	<i>197.65</i>	<i>307.23</i>	<i>271.58</i>
6.04.03.	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	0853	1215.93	24.59	298.93	377.29
6.04.04.	अन्य उद्योग	0875	182.65	150.00	150.00	150.00
6.04.04.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- अफीम और क्षारीय निर्माणियां	0875	-182.65	-150.00	-150.00	-150.00
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-उद्योग और खनिज</i>		<i>1661.81</i>	<i>259.50</i>	<i>636.42</i>	<i>672.05</i>
6.05.	परिवहन					
6.05.01.	पत्तन और दीपस्तंभ	1051	325.86	325.43	325.43	320.00
6.05.01.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां- दीपस्तंभ दीपपोत	1051	-319.05	-320.00	-320.00	-320.00
	<i>निवल</i>		<i>6.81</i>	<i>5.43</i>	<i>5.43</i>	<i>...</i>
6.05.02.	पोत परिवहन	1052	114.62	122.82	122.82	121.29
6.05.03.	नागर विमानन	1053	67.52	105.00	105.00	115.51
6.05.04.	सड़क और पुल	1054	9064.07	10291.00	19542.60	20339.64
6.05.05.	अंतर्देशीय जल परिवहन	1056	19.31
6.05.06.	डाक प्राप्तियां	1201	12832.76	16956.11	18000.44	19203.29
6.05.06.01.	घटाइए - वाणिज्यिक विभाग की प्राप्तियां-डाक	1201	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
	<i>निवल</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
	<i>निवल-परिवहन</i>		<i>9272.33</i>	<i>10524.25</i>	<i>19775.85</i>	<i>20576.44</i>
6.06.	संचार					
6.06.01.	अन्य संचार सेवाएं	1275	32065.90	48661.42	39245.00	50519.81
6.07.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण					
6.07.01.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	1401	84.09	91.69	116.78	99.06
6.07.02.	अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान	1425	1027.28	1099.08	1187.09	2208.99
	<i>जोड़-विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण</i>		<i>1111.37</i>	<i>1190.77</i>	<i>1303.87</i>	<i>2308.05</i>
6.08.	सामान्य आर्थिक सेवाएं					
6.08.01.	विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं	1453	230.13	157.58	252.90	252.90
6.08.02.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	1475	3420.96	14619.91	6987.37	7619.94
6.08.03.	पर्यटन	1452	9.22	10.00	10.00	10.00
6.08.04.	नागरिक आपूर्ति	1456	0.04	0.04	0.12	0.15
	<i>जोड़-सामान्य आर्थिक सेवाएं</i>		<i>3660.35</i>	<i>14787.53</i>	<i>7250.39</i>	<i>7882.99</i>
	<i>निवल-आर्थिक सेवाएं</i>		<i>61368.74</i>	<i>89582.50</i>	<i>89653.70</i>	<i>104729.20</i>
7.	रेल राजस्व					

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
7.01. भारतीय रेलवे विविध प्राप्ति	1001	204.33	250.00	500.00	260.00
7.01.01. घटाइए - विविध प्राप्ति	1001	-204.33	-250.00	-500.00	-260.00
7.02. भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइनें	1002	176718.83	198702.42	194774.00	214590.13
7.02.01. घटाइए - प्राप्ति	1002	-176718.83	-198702.42	-194774.00	-214590.13
7.03. भारतीय रेलवे - सामरिक लाइनें	1003	2006.48	2137.58	1940.00	2084.87
7.03.01. घटाइए - प्राप्ति	1003	-2006.48	-2137.58	-1940.00	-2084.87
निवल- रेल राजस्व	
जोड़-आर्थिक सेवाएं		61368.74	89582.50	89653.70	104729.20
सहायता-अनुदान तथा अंशदान					
8. सहायता अनुदान और अंशदान					
8.01. विदेश अनुदान सहायता					
8.01.01. बहुपक्षीय					
8.01.01.01. एशियाई विकास बैंक	1605	5.99	16.00	12.00	14.00
8.01.01.02. कृषि के लिए अंतरराष्ट्रीय निधि	1605	0.12	3.00	1.00	1.00
8.01.01.03. अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	1605	86.31	93.00	77.00	82.00
8.01.01.04. यूरोपीय यूनियन	1605	189.33
जोड़-बहुपक्षीय		<i>281.75</i>	<i>112.00</i>	<i>90.00</i>	<i>97.00</i>
8.01.02. द्विपक्षीय					
8.01.02.01. जर्मनी	1605	21.18	22.00	11.00	10.00
8.01.02.02. जापान	1605	...	42.00	33.00	33.00
जोड़-द्विपक्षीय		<i>21.18</i>	<i>64.00</i>	<i>44.00</i>	<i>43.00</i>
8.01.03. अंतर्राष्ट्रीय निकाय					
8.01.03.01. वैश्विक पर्यावरण निधि	1605	1096.85	1200.00	830.00	500.00
8.01.03.02. यूएनडीपी	1605	36.78	11.00	5.00	10.00
जोड़-अंतर्राष्ट्रीय निकाय		<i>1133.63</i>	<i>1211.00</i>	<i>835.00</i>	<i>510.00</i>
जोड़-विदेश अनुदान सहायता		<i>1436.56</i>	<i>1387.00</i>	<i>969.00</i>	<i>650.00</i>
8.02. सहायता सामग्री और उपस्कर	1606	2145.64	1280.00	301.00	356.00
जोड़-सहायता अनुदान और अंशदान		<i>3582.20</i>	<i>2667.00</i>	<i>1270.00</i>	<i>1006.00</i>
जोड़-सहायता-अनुदान तथा अंशदान		3582.20	2667.00	1270.00	1006.00
संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व					
9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व	1710	1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
जोड़-संघ राज्य क्षेत्रों का कर भिन्न राजस्व		1889.62	2062.10	2076.00	2149.00
कुल जोड़		192744.35	245088.75	245276.39	313179.12

उपर्युक्त विवरण में 2019-20 की कर-भिन्न राजस्व (एनटीआर) प्राप्ति के अनुमानों का सार दिया गया है। कर-भिन्न राजस्व प्राप्ति के अनुमान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं जैसे परिसंपत्तियों पर लाभांश और लाभ के रूप में प्रतिलाभ, सरकारी कार्य, विनियामक प्रभारों तथा लाइसेंस शुल्क और मुहैया कराई गई सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में संग्रहित ब्याज, शुल्क, दंड और विविध प्राप्ति।

1.1. राज्य : राज्यों को जारी किए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्ति में, अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित पर ब्याज शामिल है :

- (क) योजना भिन्न स्कीम (बाढ़ नियंत्रण) के अंतर्गत अलग-अलग समयावधि के दौरान पश्चिम बंगाल, पंजाब, त्रिपुरा को संवितरित ऋण;
- (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज की विभिन्न दरों पर संवितरित पुराने ऋण, जिन्हें अब ब्याज की एक समान दरों पर नियत किया गया है।
- (ग) राज्य की योजनागत स्कीमों की सहायता के लिए संवितरित ऋण जिनकी परिपक्वता अवधि 20 वर्ष की है।
- (घ) पुलिस बस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को संवितरित ऋण। इनमें ब्लाक ऋण, अन्य देशों से पुनर्वासन-प्रत्यावसन और संसाधनों के अंतर को घटाने के लिए ऋण आदि शामिल हैं।

1.2 संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) : संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) को दिए गए ऋणों पर ब्याज।

- 1.3. अन्य ब्याज प्राप्ति:** "अन्य ब्याज प्राप्ति" के तहत अनुमान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, पत्तन न्यासों तथा अन्य सांविधिक निकायों, सहकारी समितियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए अग्रिम ऋणों पर ब्याज और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों पर पूंजी परिव्यय के सम्बन्ध में हैं।
- 2. लाभांश और लाभ:** इस भाग में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लाभांश तथा लाभ शामिल हैं। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के अधिशेष भी शामिल हैं जो सरकार को अन्तरित किए जाते हैं।
- 3.2. अन्य राजकोषीय सेवाएं:** ये प्राप्ति मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को देय ईएफएफ प्रभार, आईएमएफ से प्राप्त आदि तथा आर्थिक अपराधों के एवज में प्राप्त शास्तियों आदि के अंशदानों से सम्बन्धित हैं।
- 4.01.01. लोक सेवा आयोग :** "लोक सेवा आयोग" की प्राप्ति मुख्य रूप से संघ लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा शुल्कों आदि को दर्शाती हैं।
- 4.01.02. पुलिस :** राज्य सरकारों तथा अन्य पक्षों की केंद्रीय पुलिस बलों से संबंधित प्राप्ति 'पुलिस' के अंतर्गत आती हैं। इन प्राप्ति में दिल्ली पुलिस की प्राप्ति भी शामिल हैं।
- 4.01.03. आपूर्तियां और निपटान :** 'आपूर्तियां और निपटान' के अंतर्गत प्राप्ति मुख्यतया खरीद और भंडारों के निरीक्षण के शुल्कों; और आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय के माध्यम से अधिशेष और अप्रचलित भंडारों के निपटान से होने वाली बिक्री आगमों से संबंधित हैं।
- 4.01.04. लेखन सामग्री और मुद्रण :** "लेखन सामग्री और मुद्रण" के अंतर्गत प्राप्ति लेखन सामग्री, गैजेटों और सरकार के प्रकाशनों आदि की बिक्री के लिए सरकार की मुद्रण प्रेसों से संबंधित हैं।
- 4.01.06. अन्य प्रशासनिक सेवाएं:** "अन्य प्रशासनिक सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः लेखा परीक्षा शुल्कों, पासपोर्ट एवं वीजा शुल्कों आदि से संबंधित हैं।
- 4.03.02. घटाइए -वाणिज्यिक विभाग - कैंटीन स्टोर्स विभाग की प्राप्ति:** वाणिज्यिक विभाग की प्राप्ति रक्षा सेवा कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सीएसडी) से सम्बन्धित हैं जिन्हें व्यय बजट में वाणिज्य विभागों के निवल व्यय के अन्तर्गत दिखाया जाता है।
- 5.01. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति:** "शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति" के अन्तर्गत प्राप्ति मुख्यतः ट्यूशन तथा अन्य शुल्कों एवं संग्रहालयों तथा प्राचीन स्मारकों के प्रवेश शुल्क से सम्बन्धित हैं।
- 5.02. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य:** "चिकित्सा" प्राप्ति में केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना से संबंधित अंशदान और अस्पतालों तथा औद्योगिक संस्थानों की प्रदत्त सेवाओं की एवज में रोगियों से वसूल किए गए चार्ज आदि शामिल हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राप्ति में सेवा शुल्क, सेरा तथा वेक्सीन की बिक्री की प्राप्ति आदि शामिल हैं।
- 5.03. परिवार कल्याण:** "परिवार कल्याण" प्राप्ति मुख्यतः सामग्रियों तथा आपूर्ति की बिक्री प्राप्ति से सम्बन्धित हैं।
- 5.04. आवास:** "आवासन" प्राप्ति मुख्यतः सरकारी आवासीय भवनों से सम्बन्धित लाइसेंस शुल्क से सम्बद्ध हैं।
- 5.06. सूचना और प्रचार :** "सूचना तथा प्रचार" के अंतर्गत आने वाली प्राप्ति में रोजगार समाचार और अन्य प्रकाशन से होने वाली प्राप्ति, फिल्म प्रभाग निदेशालय और आउटरीच व संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) से होने वाली प्राप्ति शामिल हैं।
- 5.07. प्रसारण :** डीटीएच प्रचालकों, वाणिज्यिक सेवाओं (टीवी), वाणिज्यिक सेवाओं (एफएम) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क की प्राप्ति और अन्य प्राप्ति।
- 5.08. श्रम और रोजगार:** "श्रम और रोजगार" प्राप्ति मुख्यतः श्रम कानूनों, कारखाना और खान अधिनियम आदि के अंतर्गत वसूल किए गए शुल्कों में संबंधित हैं।
- 5.09. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण:** "सामाजिक सुरक्षा और कल्याण" प्राप्ति मुख्यतया केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी बीमा स्कीम से सम्बन्धित है।
- 6.01. कृषि और संबद्ध क्रियाकलाप:** इस उप-क्षेत्र में कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों, बागवानी, पौध संरक्षण सेवाओं, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों का गुणवत्ता नियंत्रण और श्रेणीकरण हेतु शुल्क आदि से प्राप्ति को शामिल किया जाता है। दूसरे देशों और विदेशी संगठनों से सहायता के रूप में प्राप्त बीज, उर्वरक, मशीनरी आदि जैसी निविष्टियों की बिक्री आय को भी इसकी गणना में लिया जाता है।
- 6.02. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण:** इस शीर्ष के अधीन अनुमानों में, मुख्यतः केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे की प्राप्ति आती हैं। "लघु सिंचाई" के अधीन अनुमान केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा राज्य सरकारों आदि के लिए किए गए भूमिगत जल की खोज से सम्बन्धित हैं।
- 6.03. ऊर्जा:** इस शीर्ष के अधीन "विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला और लिग्नाइट तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" जैसे विभिन्न सेक्शनों से प्राप्त प्राप्ति को गणना में लिया जाता है।

6.03.01. "विद्युत" शीर्ष में विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की प्राप्तियां दर्ज होती हैं।

6.03.02. "पेट्रोलियम" शीर्ष के अधीन अनुमानों में अपतटीय कच्चे तेल और गैस उत्पादन लाभ पेट्रोलियम पर रॉयल्टी और किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस की अनन्य खोज के अधिकार के लिए लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं।

(क) खनिज तेल पर रायल्टी को समय-समय पर यथा संशोधित तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास अधिनियम, 1948) और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 की धारा 6क द्वारा विनियमित किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली 1959 के नियम 14 के तहत, रायल्टी कच्चे तेल कन्डन्सेट और प्राकृतिक गैस के उत्पादक पर देय होती है। आनलैंड क्षेत्रों से उत्पादन पर रायल्टी संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आफशोर क्षेत्रों से उत्पादन करने पर देय होती है। किसी खनिज तेल जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, के संबंध में रायल्टी की दर तेल के क्षेत्रों पर या तेल-कुओं (तेल-हेड) पर जैसा की मामला हो, खनिज तेल के विक्री मूल्य के 20% से अधिक नहीं होगी।

(ख) प्रोफिट पेट्रोलियम : प्रोफिट पेट्रोलियम का अर्थ है किसी विशेष अवधि के दौरान संपर्क क्षेत्रों से उत्पादित और बचाए गए पेट्रोलियम के कुल मूल्य में से संबंधित करार/संविदा के अनुसार सरकार द्वारा परिकलित और साझा की गई पेट्रोलियम लागत घटाकर निकाला गया पेट्रोलियम मूल्य राष्ट्रीय तेल कंपनियों को नामांकन ब्लाकों के लिए कोई प्रोफिट पेट्रोलियम देय नहीं है।

(ग) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस शुल्क (पीईएल) : (i) पीईएल शुल्क वह भुगतान है जो किसी विशेष क्षेत्र में तेल और गैस का अनन्य रूप से अन्वेषण करने के लिए सरकार से प्राप्त अधिकार के संबंध में किसी लाइसेंसधारक द्वारा किया जाता है। लाइसेंस शुल्क सामान्यतः लाइसेंस के क्षेत्र और अवधि से जुड़ा होता है और यह समय समय पर यथासंशोधित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के अनुसार लाइसेंसधारकों द्वारा देय है। (ii) पीईएल शुल्क आनशोर क्षेत्रों के मामले में संबंधित राज्य सरकार को और आफशोर क्षेत्रों के मामले में केंद्र सरकार को मिलता है।

(घ) उत्पादन स्तर भुगतान (पीएलपी) : ये वे भुगतान हैं जो कोल ब्रेड मीथेन ब्लाकों में संबंधित संविदा/करार के अनुसार एक निश्चित उत्पादन स्तर प्राप्त कर लेने के बाद भारत सरकार के लिए करने होते हैं।

6.04.01. ग्राम और लघु उद्योग: ग्रामीण और लघु उद्योग शीर्ष में औद्योगिक सम्पदाओं, लघु उद्योग, हथकरघा, खादी, हस्तशिल्प, नारियल जटा, रेशम उद्योग, विद्युत करघा और अन्य ग्राम उद्योगों से प्राप्तियां दर्ज की जाती है।

6.04.02. उद्योग: उद्योग के अधीन प्राप्तियां मुख्यतः परमाणु ऊर्जा उद्योगों और विभिन्न उद्योगों से संग्रहित लाइसेंस शुल्कों से सम्बन्धित हैं।

6.04.03. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग: अलौह अयस्क खनन और धात्विक उद्योग शीर्ष में मुख्यतः भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों के मद में प्राप्तियां को समायोजित किया जाता है।

6.05.02. पोत परिवहन: पोत परिवहन शीर्ष में जहाजों और नौका सेवाओं के सर्वेक्षण और पंजीकरण शुल्क की प्राप्तियां को गणना में लिया जाता है।

6.05.04. सड़क और पुल: सड़क और पुल: शीर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग के मद में प्राप्तियां शामिल हैं जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों, स्थाई पुलों के प्रयोग हेतु शुल्क तथा सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए राज्य सरकार तथा अन्य निकायों से बसूले गए विभागीय प्रभार भी शामिल हैं।

6.06.01. अन्य संचार सेवाएं: 'अन्य संचार सेवाएं' के तहत प्राप्तियां मुख्यतः टेलीकाम प्रचालकों से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम के उपयोग के प्रभारों से प्राप्त प्राप्तियां से संबंधित हैं। दूरसंचार विभाग उसके द्वारा विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को दिए गए लाइसेंसों से आवर्ती लाइसेंस शुल्क का संग्रहण करता है। लाइसेंस शुल्क अनुमेय कटौती जैसे पब्लिक स्विचड टेलीकाम नेटवर्क (पीएसटीएन) प्रभार, पात्र/हकशुदा सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए रोमिंग प्रभार तथा कंपनी के लेखापरीक्षा लेखों में प्रकट उसके कुल राजस्व आंकड़ों से राज्य/केंद्र सरकार को दिए गए बिक्री कर/सेवा कर के पश्चात समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8 प्रतिशत के दर से लगाया जाता है।

केप्टिव प्रयोग और केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंकिंग सर्विस (सीएमआरटीएस) लाइसेंसों के लिए लाइसेंससीकृत टेलीकाम नेटवर्कों के लिए टर्मिनलों की संख्या, चैनल और/अथवा नेटवर्क पूंजीगत लागत के अनुसार नियत आधार पर लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है।

सेवाओं की मुख्य श्रेणी में ये शामिल हैं (i) बुनियादी सेवा, (ii) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमटीएस), (iii) यूनिफाइड एस्सेस सर्विस (यूएसएस), (iv) एकीकृत लाइसेंस, (v) इंटरनेशनल लांग डिस्टेंस (आएलडी), (vi) नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी), (vii) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), (viii) वाणिज्यिक सीयूजी वीसैट लाइसेंस, (ix) पब्लिक मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (पीएमआरटीएस), (x) केप्टिव मोबाइल रेडियो ट्रंक सर्विसेज (सीएमआरटीएस), (xi) जीएमपीसीएस लाइसेंस, (xii) आईपीएलसी लाइसेंस की पुनः बिक्री।

लाइसेंस शुल्क दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशतांक हिस्से के आधार पर संग्रहित किया जाता है जिसमें यूनिवर्सल एस्सेस लेवी (यूएएल) का घटक शामिल है। लाइसेंस शुल्क का संग्रहण देश में दूरसंचार सेवा क्षेत्र के लाइसेंस शुल्क, प्रशुल्क और विकास दर पर निर्भर होता है।

विभाग विभिन्न कंपनियों से वायरलेस उपस्कर रखने और रेडियो स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए रायल्टी के लिए लाइसेंस शुल्क का संग्रहण भी करता है। सेवा प्रदाताओं पर लगाए गए प्रभारों को सामान्यतः स्पेक्ट्रम प्रभार कहा जाता है तथा उनके नेटवर्क (वाणिज्यिक वीसैट लाइसेंस) को दिए गए स्पेक्ट्रम का मात्रा के अनुसार उनके समायोजित सकल राजस्व के प्रतिशतांक के रूप में अथवा नियत दरों पर अथवा सूत्र के आधार पर परिकलित किया जाता है। विभाग द्वारा स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से (मोबाइल वाणिज्यिक वी सैट इत्यादि) स्पेक्ट्रम प्रयोग प्रभार वसूला जाता है तथा उनके नेटवर्क को दिए गए स्पेक्ट्रम की मात्रा के आधार पर उनके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के प्रतिशतांक के रूप में परिकलित किया जाता है।

6.07.01. परमाणु ऊर्जा अनुसंधान: "परमाणु ऊर्जा अनुसंधान" के अंतर्गत प्राप्तियां भाभा परमाणु शोध केन्द्र के विभिन्न प्रभागों/एककों द्वारा प्रदत्त सेवाओं तथा बिक्री से सम्बन्धित हैं।

6.07.02. अन्य वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान: अन्य वैज्ञानिक सेवाएं तथा अनुसंधान" मुख्यतः भारतीय सर्वेक्षण विभाग राष्ट्रीय एटलस तथा थीमैटिक मैपिंग संगठन आदि से सम्बन्धित हैं।

6.08.01. विदेश व्यापार और निर्यात सेवाएं: "विदेश व्यापार तथा निर्यात सेवाएं" शीर्ष के तहत प्राप्तियां व्यापार तथा भुगतान समझौते के अन्तर्गत शेष के संबंध में भारत के पक्ष में विदेशी मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन पर अर्जित प्राप्तियां हैं।

6.08.02. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं: "अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं" शीर्ष के तहत मुख्य रूप से ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों के विनियमन तथा बीमा अधिनियम के तहत वसूली गई फीस शामिल हैं। इसमें भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग की प्राप्तियां, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा गैर-सरकारी निकायों को प्रदत्त सेवाओं के लिए प्राप्त फीस और जोखिम बीमा निधि सम्बन्धी प्राप्तियां भी शामिल हैं।

7. रेल राजस्व : रेल बजट के अनुसार प्राप्तियों में (i) विविध प्राप्तियाँ (ii) वाणिज्यिक लाइनें, और (iii) सामरिक लाइनें शामिल हैं। चूंकि यह वाणिज्यिक प्राप्ति है अतः कर-भिन्न राजस्व पर इसका प्रभाव शून्य है।

8. सहायता अनुदान और अंशदान: ये अनुमान बाहरी स्रोतों से नकद तथा अन्य प्रकार से प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में हैं। बाह्य सहायता का ब्यौरा अनुबंध 8 में दिया गया है।

9. संघ राज्य क्षेत्रों के कर-भिन्न राजस्व: संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मण्डलों रहित) की प्राप्तियां मुख्यतः प्रशासनिक सेवाओं, विशेषकर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में लकड़ी तथा वनोत्पाद की बिक्री, चण्डीगढ़ परिवहन उपक्रम से प्राप्त प्राप्तियां तथा पोत परिवहन पर्यटन तथा विद्युत आदि से प्राप्त प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

कर-भिन्न राजस्व का बकाया : राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अनुपालन में कर-भिन्न राजस्वों के बकाया के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण विवरण अनुबंध 6 में देखा जा सकता है।

पूँजी प्राप्तियां

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
ऋण भिन्न प्राप्तियां				
1. ऋण और अग्रिमों की वसूलियां				
1.01. राज्य सरकारें				
1.01.01. सकल प्राप्तियां	7601	13057.30	8902.93	11614.81
1.01.02. वसूलियां	7601	...	-100.00	-100.00
<i>निवल-राज्य सरकारें</i>		<i>13057.30</i>	<i>8802.93</i>	<i>11514.81</i>
1.02. संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल सहित)	7602	66.81	442.69	442.69
1.03. विदेशी सरकारें	7605	353.73	348.34	145.17
1.04. अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)				
1.04.01. सकल प्राप्तियां	9001	57161.32	53649.36	54000.06
1.04.02. वसूलियां	9001	-55005.88	-51275.00	-51275.01
<i>निवल-अन्य ऋण तथा अर्थोपाय अग्रिम (सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम, सांविधिक निकाय आदि)</i>		<i>2155.44</i>	<i>2374.36</i>	<i>2725.05</i>
<i>निवल-ऋण और अग्रिमों की वसूलियां</i>		<i>15633.28</i>	<i>12199.08</i>	<i>14827.72</i>
2. विविध पूँजी प्राप्तियां				
2.01. विनिवेश प्राप्तियां	4000	100045.05	80000.00	105000.00
2.02. बोनस शेयर निर्गम	4000	3.40	...	252.18
2.03. बोनस शेयर सहित प्राप्तियां	4000	-3.40	...	-252.18
<i>निवल-विविध पूँजी प्राप्तियां</i>		<i>100045.05</i>	<i>80000.00</i>	<i>80000.00</i>
जोड़-ऋण भिन्न प्राप्तियां	115678.33	92199.08	93155.16	119827.72
ऋण प्राप्तियां				
3. उधार				
3.01. बाजार ऋण				
3.01.01. सकल उधार	6001	588000.00	605539.36	710000.00
3.01.02. वापसी अदायगी	6001	-137271.69	-143477.87	-236877.99
<i>निवल-बाजार ऋण</i>		<i>450728.31</i>	<i>462061.49</i>	<i>473122.01</i>
3.02. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.02.01. प्रतिभूतियों का निर्गम	6001	80000.00	65000.00	106000.00
3.02.02. पुनर्भुगतान	6001
3.02.03. घटाइए निवलित प्राप्तियां	6001	-80000.00	-65000.00	-70000.00
<i>निवल-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.03. एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना				
3.03.01. प्रतिभूतियों का निर्गम	6001	4500.00
3.03.02. पुनर्भुगतान	6001
3.03.03. घटाइए निवलित प्राप्तियां	6001	-4500.00
<i>निवल-एक्जिम बैंक को विशेष प्रतिभूति जारी करना</i>		<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.04. प्रतिभूतियों का अंतरण				
3.04.01. सकल उधार	6001	59158.98	28059.00	28059.00
3.04.02. वापसी अदायगी	6001	-58075.00	-28059.00	-28059.00
<i>निवल-प्रतिभूतियों का अंतरण</i>		<i>1083.98</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
3.05. वापसी खरीद				
3.05.01. सकल उधार	6001
3.05.02. वापसी अदायगी	6001	-41555.07	-71941.00	...
<i>निवल-वापसी खरीद</i>		<i>-41555.07</i>	<i>-71941.00</i>	<i>...</i>
3.06. अल्पावधिक				
3.06.01. 14 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां				
3.06.01.01. सकल उधार	6001	3790637.92	4027581.00	3771818.30
3.06.01.02. पुनर्भुगतान	6001	-3796169.17	-4027581.00	-3771818.30

		(₹ करोड़)				
मुख्य शीर्ष		वास्तविक	बजट	संशोधित	बजट	
		2017-2018	2018-2019	2018-2019	2019-2020	
<i>निवल</i>		-5531.25	
3.06.02.	91 दिवसीय राजकोपीय हंडियां					
3.06.02.01.	सकल उधार	6001	774059.95	857721.45	663316.47	545344.72
3.06.02.02.	पुनर्भुगतान	6001	-742174.08	-857721.45	-706707.70	-524343.22
<i>निवल</i>		31885.87	...	-43391.23	21001.50	
3.06.03.	182 दिवसीय राजकोपीय हंडियां					
3.06.03.01.	सकल उधार	6001	185416.61	169705.32	258769.34	312168.86
3.06.03.02.	पुनर्भुगतान	6001	-183981.05	-161705.32	-225089.11	-310119.02
<i>निवल</i>		1435.56	8000.00	33680.23	2049.84	
3.06.04.	364 दिवसीय राजकोपीय हंडियां					
3.06.04.01.	सकल उधार	6001	159685.00	158993.00	194396.00	192344.66
3.06.04.02.	पुनर्भुगतान	6001	-142525.75	-149993.00	-159685.00	-190396.00
<i>निवल</i>		17159.25	9000.00	34711.00	1948.66	
3.06.05.	नकद प्रबंधन हंडियां					
3.06.05.01.	सकल उधार	6001	150000.00	100000.00	200000.00	100000.00
3.06.05.02.	पुनर्भुगतान	6001	-150000.00	-100000.00	-200000.00	-100000.00
<i>निवल</i>		
3.06.06.	अर्थोपाय अग्रिम					
3.06.06.01.	सकल उधार	6001	480042.00	500000.00	900000.00	500000.00
3.06.06.02.	पुनर्भुगतान	6001	-480042.00	-500000.00	-900000.00	-500000.00
<i>निवल</i>		
<i>निवल-अल्पकालिक उधार</i>		44949.43	17000.00	25000.00	25000.00	
<i>निवल-उधार</i>		455206.65	407120.49	447736.92	448122.01	
4. लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां						
4.01.	प्राप्तियां	6001	108661.00	88533.00	138533.00	152268.32
4.02.	पुनर्भुगतान	6001	-6033.05	-13533.00	-13533.00	-22268.32
<i>निवल-लघु बचतों से संबंधित प्रतिभूतियां</i>		102627.95	75000.00	125000.00	130000.00	
5. राज्य भविष्य निधियां						
5.01.	प्राप्तियां	8009	61483.20	65000.00	72000.00	77000.00
5.02.	संचितरण	8009	-45684.53	-48000.00	-55000.00	-59000.00
<i>निवल-राज्य भविष्य निधियां</i>		15798.67	17000.00	17000.00	18000.00	
6. अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)						
6.01.	राहत बांड					
6.01.01.	प्राप्तियां	6001
6.01.02.	संचितरण	6001	-2.50	-54.88	-68.01	-14.37
<i>निवल-राहत बांड</i>		-2.50	-54.88	-68.01	-14.37	
6.02.	बचत बांड					
6.02.01.	प्राप्तियां	6001	24830.87	20177.17	21220.11	27273.95
6.02.02.	संचितरण	6001	-622.35	-811.09	-1854.03	-1823.18
<i>निवल-बचत बांड</i>		24208.52	19366.08	19366.08	25450.77	
6.03.	अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि)					
6.03.01.	प्राप्तियां	6001	1894.82	5000.00	5000.00	5000.00
6.03.02.	संचितरण	6001
<i>निवल-अन्य (स्वर्ण बाण्ड, स्वर्ण मौद्रिकरण आदि)</i>		1894.82	5000.00	5000.00	5000.00	
6.04.	अन्य प्राप्तियां (राज्य सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक लेखा)					
6.04.01.	प्राप्तियां	9002	1366775.36	1377490.60	1421807.28	1564804.08
6.04.02.	संचितरण	9002	-1382555.73	-1316482.49	-1432602.39	-1534136.10
6.04.03.	घटाइए प्राप्तियां	9002
<i>निवल-अन्य प्राप्तियां (सरकारी भविष्य निधियों को छोड़कर लोक लेखा)</i>		-15780.37	61008.11	-10795.11	30667.98	
6.05.	अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं					

(₹ करोड़)

मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
6.05.01.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष				
6.05.01.01.	प्राप्तियां	6001 2554.50	0.01	9278.35	100.01
6.05.01.02.	पुनर्भुगतान	6001 -7140.04	-100.00	-4587.80	-1000.00
6.05.01.03.	घटाइए-निवल प्राप्तियां	6001 -543.18	-511.62	-9792.90	-583.78
	निवल	-5128.72	-611.61	-5102.35	-1483.77
6.05.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ				
6.05.02.01.	प्राप्तियां	6001 408.33	408.34	408.34	408.34
6.05.02.02.	पुनर्भुगतान	6001 -156.87	-357.36	-389.88	-370.29
	निवल	251.46	50.98	18.46	38.05
6.05.03.	एशियाई विकास बैंक और निधि				
6.05.03.01.	प्राप्तियां	6001 64.50	66.03	68.97	72.01
6.05.03.02.	पुनर्भुगतान	6001 -136.92	-152.82	-145.24	-172.92
	निवल	-72.42	-86.79	-76.27	-100.91
6.05.04.	अफ्रीकी विकास निधि और बैंक				
6.05.04.01.	प्राप्तियां	6001 70.35	37.24	37.24	3.42
6.05.04.02.	पुनर्भुगतान	6001 -33.83	-30.58	-27.34	-29.56
	निवल	36.52	6.66	9.90	-26.14
	निवल-अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं	-4913.16	-640.76	-5150.26	-1572.77
	निवल-अन्य प्राप्तियां (आंतरिक ऋण और लोक लेखा)	5407.31	84678.55	8352.70	59531.61
7.	विदेशी ऋण				
7.01.	बहुपक्षीय				
7.01.01.	अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक				
7.01.01.01.	प्राप्तियां	6002 6851.92	6601.85	7257.00	7831.00
7.01.01.02.	पुनर्भुगतान	6002 -5444.53	-5887.77	-6474.77	-7351.49
	निवल	1407.39	714.08	782.23	479.51
7.01.02.	अंतरराष्ट्रीय विकास संघ				
7.01.02.01.	प्राप्तियां	6002 8687.32	7406.69	6932.00	6756.00
7.01.02.02.	पुनर्भुगतान	6002 -11110.36	-12083.79	-13077.69	-14479.46
	निवल	-2423.04	-4677.10	-6145.69	-7723.46
7.01.03.	अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि				
7.01.03.01.	प्राप्तियां	6002 276.66	471.90	332.00	373.00
7.01.03.02.	पुनर्भुगतान	6002 -91.48	-95.83	-104.10	-134.60
	निवल	185.18	376.07	227.90	238.40
7.01.04.	एशियाई विकास बैंक				
7.01.04.01.	प्राप्तियां	6002 10320.12	9199.81	10055.00	10093.00
7.01.04.02.	पुनर्भुगतान	6002 -3412.75	-4316.67	-4119.27	-4853.25
	निवल	6907.37	4883.14	5935.73	5239.75
7.01.05.	पूर्वी यूरोपीय समुदाय (एसएसी)				
7.01.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.01.05.02.	पुनर्भुगतान	6002 -8.21	-8.63	-9.21	-9.49
	निवल	-8.21	-8.63	-9.21	-9.49
7.01.06.	पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन				
7.01.06.01.	प्राप्तियां	6002 -0.01
7.01.06.02.	पुनर्भुगतान	6002 -11.67	-12.04	-15.86	-15.98
	निवल	-11.68	-12.04	-15.86	-15.98
7.01.07.	न्यू डेवलपमेंट बैंक				
7.01.07.01.	प्राप्तियां	6002 137.21	200.00	1083.00	1089.00
7.01.07.02.	पुनर्भुगतान	6002
	निवल	137.21	200.00	1083.00	1089.00
7.01.08.	एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी)				

		(₹ करोड़)				
मुख्य शीर्ष		वास्तविक 2017-2018	बजट 2018-2019	संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020	
7.01.08.01.	प्राप्तियां	6002	374.13	50.00	1108.00	653.00
7.01.08.02.	पुनर्भुगतान	6002
<i>जोड़-एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक (एआईआईबी)</i>			<i>374.13</i>	<i>50.00</i>	<i>1108.00</i>	<i>653.00</i>
<i>निवल-बहुपक्षीय</i>			<i>6568.35</i>	<i>1525.52</i>	<i>2966.10</i>	<i>-49.27</i>
7.02.	द्विपक्षीय					
7.02.01.	जर्मनी					
7.02.01.01.	प्राप्तियां	6002	1858.46	2317.01	1289.00	1022.00
7.02.01.02.	पुनर्भुगतान	6002	-928.64	-1154.79	-1202.80	-1419.06
<i>निवल</i>			<i>929.82</i>	<i>1162.22</i>	<i>86.20</i>	<i>-397.06</i>
7.02.02.	फ्रांस					
7.02.02.01.	प्राप्तियां	6002	1045.15	751.75	731.00	1519.00
7.02.02.02.	पुनर्भुगतान	6002	-173.75	-213.71	-232.46	-308.69
<i>निवल</i>			<i>871.40</i>	<i>538.04</i>	<i>498.54</i>	<i>1210.31</i>
7.02.04.	जापान					
7.02.04.01.	प्राप्तियां	6002	15818.91	10776.38	7954.00	10156.00
7.02.04.02.	पुनर्भुगतान	6002	-4612.58	-4766.47	-5153.59	-5800.89
<i>निवल</i>			<i>11206.33</i>	<i>6009.91</i>	<i>2800.41</i>	<i>4355.11</i>
7.02.05.	स्विटजरलैंड					
7.02.05.01.	प्राप्तियां	6002
7.02.05.02.	पुनर्भुगतान	6002	-0.33	-0.16	-0.16	...
<i>निवल</i>			<i>-0.33</i>	<i>-0.16</i>	<i>-0.16</i>	<i>...</i>
7.02.06.	संयुक्त राज्य अमेरिका					
7.02.06.01.	प्राप्तियां	6002	83.91
7.02.06.02.	पुनर्भुगतान	6002	-162.86	-167.21	-178.96	-176.40
<i>निवल</i>			<i>-78.95</i>	<i>-167.21</i>	<i>-178.96</i>	<i>-176.40</i>
7.02.07.	रूसी परिसंघ					
7.02.07.01.	प्राप्तियां	6002	2301.55	2807.00	2624.00	3915.00
7.02.07.02.	पुनर्भुगतान	6002	-728.11	-747.93	-771.13	-813.69
<i>निवल</i>			<i>1573.44</i>	<i>2059.07</i>	<i>1852.87</i>	<i>3101.31</i>
7.02.08.	यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी)					
7.02.08.01.	प्राप्तियां	6002	761.41	300.00	844.00	1266.00
7.02.08.02.	पुनर्भुगतान	6002
<i>निवल</i>			<i>761.41</i>	<i>300.00</i>	<i>844.00</i>	<i>1266.00</i>
<i>निवल-द्विपक्षीय</i>			<i>15263.12</i>	<i>9901.87</i>	<i>5902.90</i>	<i>9359.27</i>
7.03.	व्यय राज्यों की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता के संदर्भ में घटाया गया	6002	-13900.73	-14016.00	-13762.12	-12262.05
<i>निवल-विदेशी ऋण</i>			<i>7930.74</i>	<i>-2588.61</i>	<i>-4893.12</i>	<i>-2952.05</i>
8. नकद शेष का आहरण						
8.01.	प्राप्तियां	9003	5498.61	44877.61	1407.86	-39793.06
8.02.	संवितरण	9003	-1407.86	-1811.61	39793.06	90852.19
<i>निवल-नकद शेष का आहरण</i>			<i>4090.75</i>	<i>43066.00</i>	<i>41200.92</i>	<i>51059.13</i>
9. बाजार स्थिरीकरण योजना						
9.01.	प्राप्तियां	6001	100000.00
9.02.	पुनर्भुगतान	6001	-100000.00
<i>निवल-बाजार स्थिरीकरण योजना</i>			<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>	<i>...</i>
जोड़-ऋण प्राप्तियां			591062.07	624276.43	634397.42	703760.70
कुल जोड़			706740.40	716475.51	727552.58	823588.42

प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2010-2011	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-2014	वास्तविक 2014-2015	वास्तविक 2015-2016	वास्तविक 2016-2017	वास्तविक 2017-18	संशोधित 2018-19	बजट 2019-20
राजस्व प्राप्तियां	788471	751437	879232	1014724	1101473	1195025	1374203	1435232	1729682	1962761
क. कर राजस्व										
(राज्यों का निवल हिस्सा)										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	569869	629765	741877	815854	903615	943765	1101372	1242488	1484406	1649582
ख. कर-भिन्न राजस्व										
(ब्योरा अनुबंध 2 में)	218602	121672	137355	198870	197858	251260	272831	192744	245276	313179
पूंजी प्राप्तियां	402428	568918	582152	563894	484449	582579	609866	702648	686352	770210
1. आंतरिक ऋण-बाजार										
उधार (निवल)	325414	436211	467356	453550	445138	404050	349657	410256	422737	423122
1.01 सकल बाजार उधार										
क. सामान्य/नवीन	437000	509796	558000	557000	592000	585000	582000	588000	571000	710000
ख. स्विच आपरेशनों के जरिए										
सरकारी प्रतिभूति	31472	37374	38300	41625	59158	28059	50000
ग. अन्य	6675	1045
कुल	437000	509796	558000	595147	629374	623300	624670	647158	599059	760000
वापसी अदायगी										
क. सामान्य/नवीन	111586	73585	90644	95007	138925	144375	174846	137272	148263	236878
ख. स्विचिंग	31000	39028	37349	40510	58075	28059	50000
ग. वापस खरीद/अन्य	15590	6283	37526	59657	41555	...	50000
1.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	111586	73585	90644	141597	184236	219250	275013	236902	176322	336878
2. विदेशी सहायता (निवल)	23556	12448	7201	7292	12933	12748	17996	7931	-4893	-2952
2.01 सकल विदेशी उधार	35330	26034	23309	25416	33534	36054	44191	48517	40209	44673
2.02 घटाइए-वापसी अदायगियां	11774	13586	16108	18124	20601	23306	26195	26685	31340	35363
2.03 निवलित व्यय	-13901	-13762	-12262
3. ऋणों की वसूली*	12420	18850	15060	12497	13738	20835	17630	15633	13155	14828
4. अल्प बचतें (निवल)	11233	-10302	8626	12357	32226	52465	67435	102628	125000	130000
5. अल्पकालिक ऋण	333174	126866	53350	7729	9179	50693	5550	44949	25000	25000
6. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	12514	10804	10920	9753	11920	11858	17745	15799	17000	18000
7. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों										
में इक्विटी का विनिवेश	22846	18088	25890	29368	37737	42132	47723	100045	80000	105000
8. पूंजी प्राप्तियों की अन्य										
मदें (निवल)#	-338729	-44047	-6251	31348	-78422	-12202	86130	5407	8353	59532
जोड़-प्राप्तियां	1190899	1320355	1461384	1578618	1585922	1777604	1984069	2137880	2416034	2735291
राजस्व लेखे पर घाटा	252252	394348	364282	357048	365519	342736	316381	443602	410930	485019
प्राथमिक घाटा	139569	242840	177020	128604	108281	91133	54904	62112	46828	43289
बजट घाटा/नकद का कम आहरण	8430	-15990	-51012	-19171	77844	13170	-8895	4092	41201	51059
राजकोषीय घाटा	373592	515990	490190	502858	510725	532792	535618	591064	634398	703760
* अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली घटाकर										
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	...	10000	10000	10000	10000	20000	23000	50000	50100	50100
# इसमें ये प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं	433	398	349	316	276	242	202	201	275	275
(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, एशियाई विकास बैंक										
आदि को जारी की गई	9051	1613	4323	367	4619	52714	2181	543	9793	584
(ख) तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जारी प्रतिभूतियां	80000	106000	70000
(घ) आईडीबीआई की भारग्रस्त आस्तियों की वसूली	300	300	300	250	105	100	140	120	225	...
(ङ) एक्जिम बैंक को जारी प्रतिभूतियां	4500	550

अनुबंध - 2

अनुबंध - 1 में सम्मिलित कर तथा कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2010-11	वास्तविक 2011-12	वास्तविक 2012-13	वास्तविक 2013-14	वास्तविक 2014-15	वास्तविक 2015-16	वास्तविक 2016-17	वास्तविक 2017-18	संशोधित 2018-19	बजट 2019-2020
क. कर राजस्व										
सकल कर राजस्व	793072	889177	1036235	1138733	1244886	1455648	1715822	1919008	2248175	2461195
1. निगम कर	298688	322816	356326	394678	428925	453228	484924	571202	671000	766000
2. निगम कर से भिन्न आय पर कर	139069	164485	196512	237817	258326	287628	349436	419880	529000	569000
3. ब्याज कर	4	3	6	8	6	5	5	4
4. आय और व्यय पर अन्य कर	29	21	15	9	11	4	15163	10888
5. सीमा-शुल्क	135813	149328	165346	172085	188016	210338	225370	129030	130038	155904
6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क	137701	144901	175845	169455	188128	288073	381756	258834	259612	300000
7. सेवा कर	71016	97509	132601	154778	167969	211414	254499	81228	9283	...
8. सम्पदा शुल्क	1	1	1	1
9. धन कर	687	787	844	1007	1086	1079	184	62
10. उपहार कर	...	1	1	1
11. माल एवं सेवा कर	442561	643900	663343
12. अन्य कर और शुल्क	8083	6541	5644	5765	9215	...	338	597
13. संघ राज्य क्षेत्रों के कर	1982	2785	3094	3130	3204	3878	4146	4721	5342	6948
14. घटाइए—राज्यों का हिस्सा	219303	255414	291547	318230	337808	506193	608000	673005	761454	809133
15. घटाइए —एनसीसीएफ/एनडीआरएफ व्यय प्राप्तियों से घटाकर	3900	3998	2810	4650	3461	5690	6450	3515	2315	2480
निवल-केन्द्र का कर राजस्व	569869	629765	741878	815853	903617	943765	1101372	1242488	1484406	1649582
1. राजकोषीय सेवाएं	84	129	786	884	1394	630	765	460	421	426
2. ब्याज प्राप्तियां	19734	20252	20761	21868	23804	25379	16229	13574	12047	13711
2.01 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से ब्याज प्राप्तियां	10363	10040	9406	8985	8367	7859	7608	7358	5654	5860
2.02 रेलवे पूंजी पर ब्याज प्राप्तियां	3906	5630	5349	7983	9148	10145	*
2.03 ब्याज प्राप्तियां अन्य	5465	4582	6006	4900	6289	7375	8621	6216	6394	7851
3. लाभांश और लाभ	47992	50608	53761	90435	89833	112127	123017	91361	119265	163528
4. अन्य सामान्य सेवाएं	9530	7049	10160	11670	13472	14373	16091	17565	17854	23449
5. सामाजिक सेवाएं	771	948	4766	1264	1675	4331	11928	2944	2691	4180
6. आर्थिक सेवाएं	136722	38708	43693	67657	64718	91001	101697	61369	89654	104729
7. बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र	1097	1015	1117	1474	1362	1538	1804	1890	2076	2149
8. सहायता अनुदान तथा अंशदान	2673	2962	2311	3618	1600	1881	1300	3582	1270	1006
जोड़-कर-भिन्न राजस्व**	218603	121671	137355	198870	197857	251260	272831	192744	245276	313179
जोड़-राजस्व प्राप्तियां	788472	751436	879233	1014723	1101475	1195025	1374203	1435232	1729682	1962761
** वाणिज्यिक विभागों की निम्नलिखित प्राप्तियों को घटाकर ।										
(क) सामान्य सेवाएं	9550	9729	10111	11695	13502	21140	24561	24500	25474	26811
(ख) आर्थिक सेवाएं	107342	118646	139981	158737	177693	187477	184221	195506	220756	241686
जोड़	116892	128375	150092	170432	191195	208617	208782	220006	246230	268497

वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राप्ति बजट में दिखाई गई प्राप्तियों के अनुमानों का मिलान

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-20
क. राजस्व प्राप्ति				
वार्षिक वित्तीय विवरण में दिखाई गई राजस्व प्राप्ति	1691143.10	1993349.32	1992844.66	2248038.02
घटाइए:				
रेलवे की राजस्व प्राप्ति	-178929.64	-201090.00	-197214.00	-216935.00
डाक की राजस्व प्राप्ति	-12832.76	-16956.11	-18000.44	-19203.29
रक्षा की राजस्व प्राप्ति	-6737.99	-6550.79	-7699.19	-7360.95
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों की राजस्व प्राप्ति	-22412.46	-24506.63	-22529.65	-25289.75
चिड़ियाघर के प्रवेश के संबंध में प्राप्ति	-5.83	-8.00	-8.00	-8.00
ब्याज भुगतान	-14755.27	-15000.00	-12421.77	-13000.00
वर्षिक नागरिक कल्याण निधि में प्रोद्भूत प्राप्ति	-64.43	...	-100.00	...
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली से अपने कर्मचारियों की पेंशन के लिए प्राप्ति	...	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को जल उपकरण की प्रतिपूर्ति	-174.82
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण/ राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि में अंशदान	-3515.12	-2500.00	-2315.00	-2480.00
बीएसएनएल को ऋण पर ब्याज माफी	-427.68	...
बीएसएनएल के बकाया ऋण पर माफी	-983.18	...
हिंदुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन लिमिटेड के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ब्याज माफी	...	-463.31
उर्वरक कंपनियों के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ऋण माफी	-15855.12
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना	-255.00
अंडमान और निकोबार वन पौधारोपण विकास निगम के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ब्याज माफी	-372.01
निवल राजस्व प्राप्ति	1435232.65	1725737.79	1729682.44	1962761.03
ख. पूंजी प्राप्ति				
भारत की संवित निधि की कुल प्राप्ति (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां, अर्थोपाय अग्रिम तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	1579949.31	1425974.94	1722486.69	1836065.30
कुल लोक लेखा प्राप्ति	1428258.56	1442490.60	1493807.28	1641804.08
14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों और अर्थोपाय अग्रिमों के माध्यम से अतिरिक्त वित्तपोषण	26354.62	...	-43391.23	21001.50
जोड़	3034562.49	2868465.54	3172902.74	3498870.88
घटाइए :				
कुल लोक ऋण संवितरण (जिसमें 14/91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों, अर्थोपाय अग्रिमों की वापसी-अदायगी तथा एमएसएस शामिल नहीं हैं)	-754219.38	-699670.92	-813041.49	-998434.65
कुल लोक लेखा संवितरण	-1428240.26	-1364482.49	-1487602.39	-1593136.10
निवल	852102.85	804312.13	872258.86	907300.13
बोनस शेयर जारी करना	-3.40	...	-252.18	...
एक्जिम बैंकों विशेष प्रतिभूतियां जारी करना	-4500.00	-550.00
पूँजी में वृद्धि करने के लिए पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियाँ जारी करना	-80000.00	-65000.00	-106000.00	-70000.00
ऋण के नए प्रबंध (एनएबी) के अंतर्गत प्राप्ति	-7.29	-1000.00	-1000.00	-1000.00
राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिए बाहरी सहायता की प्राप्ति	-13900.73	-14016.00	-13762.12	-12262.05
सरकारी कर्मचारियों से ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियां	-201.21	-275.00	-275.00	-275.00
भारत सरकार की स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन	-120.00	...	-225.00	-0.01
एडीबी/एफ.आई.एम.एफ. के लिए जारी प्रतिभूतियां	...	-0.03	-9278.35	-100.01
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि को जारी प्रतिभूतियां	-134.85	-103.25	-106.21	-75.43
अफ्रीकी विकास निधि/एशियाई विकास निधि/अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को जारी प्रतिभूतियां	-408.33	-408.34	-408.34	-408.34
भारतीय खाद्य निगम को अर्थोपाय अग्रिम	-50000.00	-50000.00	-50000.00	-50000.00
राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम	...	-100.00	-100.00	-100.00
उर्वरक कंपनियों के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालना/ऋण माफी	-4677.38
निवल पूंजी प्राप्ति	702649.66	673409.51	686351.66	772529.29
कुल प्राप्ति	2137882.31	2399147.30	2416034.10	2735290.32
कुल व्यय	2141973.06	2442213.30	2457235.02	2786349.45
नकद शेष (एमएसएस को छोड़कर) वृद्धि (+)/कमी (-)	-4090.75	-43066.00	-41200.92	-51059.13

बजट अनुमान 2019-20 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

अनुबन्ध-4

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0032)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	कुल जोड़ (4 से 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	11868.32	9072.65	-0.32	9485.62	2507.40	1899.51	34833.18
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3776.91	2887.23	-0.10	3018.65	797.94	604.49	11085.12
3.	असम	3.311	9127.99	6977.83	-0.24	7295.44	1928.46	1460.92	26790.40
4.	बिहार	9.665	26645.13	20368.67	-0.71	21295.81	5629.28	4264.51	78202.69
5.	छत्तीसगढ़	3.080	8491.16	6491.00	-0.23	6786.46	1793.92	1359.00	24921.31
6.	गोवा	0.378	1042.10	796.62	-0.03	832.88	220.16	166.79	3058.52
7.	गुजरात	3.084	8502.18	6499.43	-0.23	6795.27	1796.25	1360.76	24953.66
9.	हरियाणा	1.084	2988.45	2284.50	-0.08	2388.48	631.36	478.30	8771.01
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1965.65	1502.62	-0.05	1571.02	415.28	314.60	5769.12
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	5111.23	3907.24	-0.14	4085.09	1079.84	818.05	15001.31
11.	झारखंड	3.139	8653.81	6615.34	-0.23	6916.46	1828.28	1385.03	25398.69
12.	कर्नाटक	4.713	12993.12	9932.49	-0.35	10384.60	2745.04	2079.53	38134.43
13.	केरल	2.500	6892.17	5268.67	-0.18	5508.49	1456.10	1103.08	20228.33
14.	मध्य प्रदेश	7.548	20808.84	15907.16	-0.56	16631.23	4396.26	3330.43	61073.36
15.	महाराष्ट्र	5.521	15220.67	11635.33	-0.41	12164.95	3215.65	2436.05	44672.24
16.	मणिपुर	0.617	1700.99	1300.31	-0.04	1359.50	359.37	272.24	4992.37
17.	मेघालय	0.642	1769.91	1352.99	-0.05	1414.58	373.93	283.27	5194.63
18.	मिजोरम	0.460	1268.16	969.44	-0.03	1013.56	267.92	202.97	3722.02
19.	नागालैण्ड	0.498	1372.92	1049.52	-0.04	1097.29	290.05	219.73	4029.47
20.	ओडिशा	4.642	12797.38	9782.86	-0.34	10228.16	2703.69	2048.20	37559.95
21.	पंजाब	1.577	4347.58	3323.48	-0.12	3474.75	918.51	695.82	12760.02
22.	राजस्थान	5.495	15148.99	11580.53	-0.40	12107.66	3200.51	2424.57	44461.86
23.	सिक्किम	0.367	1011.77	773.44	-0.03	808.65	213.76	161.93	2969.52
24.	तमिलनाडु	4.023	11090.88	8478.34	-0.30	8864.26	2343.16	1775.08	32551.42
25.	तेलंगाना	2.437	6718.49	5135.90	-0.18	5369.67	1419.41	1075.28	19718.57
26.	त्रिपुरा	0.642	1769.91	1352.99	-0.05	1414.58	373.93	283.27	5194.63
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	49510.60	37848.01	-1.33	39570.77	10460.04	7924.10	145312.19
28.	उत्तराखंड	1.052	2900.23	2217.06	-0.08	2317.97	612.73	464.18	8512.09
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	20191.31	15435.09	-0.54	16137.67	4265.79	3231.59	59260.91
	जोड़	100.00	275686.85	210746.74	-7.39	220339.52	58244.02	44123.28	809133.02

* चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।
 @ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

संशोधित अनुमान 2018-19 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)*	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	जोड़ (4 से 10)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (11+13)	2016-17 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय	2017-18 का अन्तर (वास्तविक सं.अ.) सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय	कुल जोड़ (14 से 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	10394.21	8423.87	-0.32	9089.45	0.00	2034.69	1624.28	31566.18	4.398	159.87	31726.05	849.68	211.30	32787.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3307.80	2680.77	-0.10	2892.58	0.00	647.51	516.90	10045.46	1.431	52.02	10097.48	271.22	67.44	10436.14
3.	असम	3.311	7994.25	6478.84	-0.25	6990.75	0.00	1564.89	1249.24	24277.72	3.371	122.54	24400.26	653.16	162.43	25215.85
4.	बिहार	9.665	23335.66	18912.12	-0.72	20406.39	0.00	4568.02	3646.62	70868.09	9.787	355.77	71223.86	1905.28	473.82	73602.96
5.	छत्तीसगढ़	3.080	7436.51	6026.83	-0.23	6503.02	0.00	1455.72	1162.09	22583.94	3.166	115.09	22699.03	608.39	151.27	23458.69
6.	गोवा	0.378	912.66	739.66	-0.03	798.10	0.00	178.66	142.62	2771.67	0.379	13.78	2785.45	74.40	18.51	2878.36
7.	गुजरात	3.084	7446.17	6034.66	-0.23	6511.47	0.00	1457.61	1163.60	22613.28	3.172	115.31	22728.59	609.24	151.49	23489.32
8.	हरियाणा	1.084	2617.26	2121.13	-0.08	2288.72	0.00	512.34	408.99	7948.36	1.091	39.66	7988.02	213.49	53.09	8254.60
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1721.50	1395.17	-0.05	1505.41	0.00	336.99	269.02	5228.04	0.722	26.25	5254.29	140.53	34.95	5429.77
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4476.39	3627.84	-0.14	3914.48	0.00	876.26	699.52	13594.35	0.000	0.00	13594.35	316.26	79.19	13989.80
11.	झारखंड	3.139	7578.96	6142.28	-0.24	6627.59	0.00	1483.60	1184.35	23016.54	3.198	116.25	23132.79	619.32	154.02	23906.13
12.	कर्नाटक	4.713	11379.30	9222.22	-0.35	9950.89	0.00	2227.53	1778.22	34557.81	4.822	175.28	34733.09	930.37	231.37	35894.83
13.	केरल	2.500	6036.13	4891.91	-0.19	5278.43	0.00	1181.59	943.25	18331.12	2.526	91.82	18422.94	492.69	122.54	19038.17
14.	मध्य प्रदेश	7.548	18224.27	14769.65	-0.56	15936.62	0.00	3567.45	2847.87	55345.30	7.727	280.88	55626.18	1490.13	370.56	57486.87
15.	महाराष्ट्र	5.521	13330.18	10803.29	-0.41	11656.88	0.00	2609.42	2083.08	40482.44	5.674	206.26	40688.70	1090.54	271.19	42050.43
16.	मणिपुर	0.617	1489.72	1207.32	-0.05	1302.72	0.00	291.62	232.80	4524.13	0.623	22.65	4546.78	121.58	30.23	4698.59
17.	मेघालय	0.642	1550.08	1256.24	-0.05	1355.50	0.00	303.43	242.23	4707.43	0.650	23.63	4731.06	126.56	31.45	4889.07
18.	मिजोरम	0.460	1110.65	900.11	-0.03	971.23	0.00	217.41	173.56	3372.93	0.464	16.87	3389.80	90.63	22.53	3502.96
19.	नागालैण्ड	0.498	1202.40	974.47	-0.04	1051.46	0.00	235.37	187.90	3651.56	0.503	18.28	3669.84	98.16	24.41	3792.41
20.	ओडिशा	4.642	11207.88	9083.29	-0.35	9800.98	0.00	2193.97	1751.43	34037.20	4.744	172.45	34209.65	916.23	227.85	35353.73
21.	पंजाब	1.577	3807.59	3085.82	-0.12	3329.63	0.00	745.35	595.00	11563.27	1.589	57.76	11621.03	310.66	77.26	12008.95
22.	राजस्थान	5.495	13267.40	10752.41	-0.41	11601.98	0.00	2597.13	2073.27	40291.78	5.647	205.27	40497.05	1085.39	269.91	41852.35
23.	सिक्किम	0.367	886.10	718.13	-0.03	774.87	0.00	173.46	138.47	2691.00	0.369	13.41	2704.41	72.27	17.99	2794.67
24.	तमिलनाडु	4.023	9713.33	7872.06	-0.30	8494.04	0.00	1901.41	1517.88	29498.42	4.104	149.18	29647.60	793.85	197.42	30638.87
25.	तेलंगाना	2.437	5884.02	4768.63	-0.18	5145.41	0.00	1151.81	919.48	17869.17	2.499	90.84	17960.01	481.21	119.66	18560.88
26.	त्रिपुरा	0.642	1550.08	1256.24	-0.05	1355.50	0.00	303.43	242.23	4707.43	0.648	23.56	4730.99	126.52	31.44	4888.95
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	43361.11	35141.51	-1.34	37918.10	0.00	8488.05	6775.95	131683.38	18.205	661.77	132345.15	3540.76	880.55	136766.46
28.	उत्तराखंड	1.052	2540.00	2058.51	-0.08	2221.16	0.00	497.21	396.92	7713.72	1.068	38.82	7752.54	207.46	51.59	8011.59
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	17683.43	14331.33	-0.55	15463.68	0.00	3461.58	2763.36	53702.83	7.423	269.83	53972.66	1443.97	359.09	55775.72
	जोड़	100.00	241445.04	195676.31	-7.48	211137.04	0.00	47263.51	37730.13	733244.55	100.00	3635.10	736879.65	19679.95	4894.55	761454.15

* बौद्धिक वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

वास्तविक 2017-18 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की निवल प्राप्तियों का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़)

क्रम सं.	राज्य	हिस्सा (प्रतिशत)#	निगम कर (0020)	आय कर@ (0021)	धन कर (0032)	केन्द्रीय जीएसटी (0005)	समेकित जीएसटी^ (0008)	सीमा शुल्क (0037)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (0038)	अन्य कर और शुल्क (0045)	जोड़ (4 से 11)	हिस्सा (प्रतिशत)	सेवा कर (0044)	कुल जोड़ (12+14)	सं.अ. 2017-18 के अनुसार राज्यों के हिस्से की सुपुर्दगी	2017-18 का अंतर (वास्तविक सं.अ. 2018-19 में समायोजनीय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.305	9621.23	7418.01	0.87	3651.34	2927.31	2170.97	2042.33	10.81	27842.87	4.398	1369.68	29212.55	29001.25	211.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.370	3061.81	2360.67	0.28	1161.98	931.57	690.88	649.94	3.44	8860.57	1.431	445.66	9306.23	9238.79	67.44
3.	असम	3.311	7399.74	5705.23	0.67	2808.27	2251.41	1669.71	1570.77	8.31	21414.11	3.371	1049.84	22463.95	22301.52	162.43
4.	बिहार	9.665	21600.27	16653.90	1.96	8197.49	6572.01	4873.97	4585.16	24.26	62509.02	9.787	3047.99	65557.01	65083.19	473.82
5.	छत्तीसगढ़	3.080	6883.48	5307.19	0.62	2612.34	2094.34	1553.22	1461.18	7.73	19920.10	3.166	986.00	20906.10	20754.83	151.27
6.	गोवा	0.378	844.79	651.34	0.08	320.61	257.03	190.62	179.33	0.95	2444.75	0.379	118.03	2562.78	2544.27	18.51
7.	गुजरात	3.084	6892.42	5314.09	0.62	2615.73	2097.06	1555.23	1463.07	7.74	19945.96	3.172	987.87	20933.83	20782.34	151.49
8.	हरियाणा	1.084	2422.63	1867.86	0.22	919.41	737.10	546.65	514.26	2.72	7010.85	1.091	339.77	7350.62	7297.53	53.09
9.	हिमाचल प्रदेश	0.713	1593.48	1228.58	0.14	604.74	484.83	359.56	338.25	1.79	4611.37	0.722	224.85	4836.22	4801.27	34.95
10.	जम्मू और कश्मीर	1.854	4143.50	3194.65	0.38	1572.49	1260.68	934.95	879.55	4.65	11990.85	0.000	0.00	11990.85	11911.66	79.19
11.	झारखंड	3.139	7015.34	5408.86	0.64	2662.38	2134.46	1582.97	1489.17	7.88	20301.70	3.198	995.96	21297.66	21143.64	154.02
12.	कर्नाटक	4.713	10533.07	8121.04	0.95	3997.39	3204.74	2376.72	2235.89	11.83	30481.63	4.822	1501.73	31983.36	31751.99	231.37
13.	केरल	2.500	5587.24	4307.79	0.51	2120.41	1699.95	1260.73	1186.02	6.28	16168.93	2.526	786.68	16955.61	16833.07	122.54
14.	मध्य प्रदेश	7.548	16869.00	13006.07	1.53	6401.93	5132.49	3806.38	3580.83	18.95	48817.18	7.727	2406.44	51223.62	50853.06	370.56
15.	महाराष्ट्र	5.521	12338.86	9513.32	1.12	4682.71	3754.17	2784.19	2619.21	13.86	35707.44	5.674	1767.07	37474.51	37203.32	271.19
16.	मणिपुर	0.617	1378.93	1063.16	0.13	523.32	419.55	311.15	292.71	1.55	3990.50	0.623	194.02	4184.52	4154.29	30.23
17.	मेघालय	0.642	1434.80	1106.24	0.13	544.52	436.55	323.75	304.57	1.61	4152.17	0.650	202.43	4354.60	4323.15	31.45
18.	मिजोरम	0.460	1028.05	792.63	0.09	390.15	312.79	231.97	218.23	1.15	2975.06	0.464	144.51	3119.57	3097.04	22.53
19.	नागालैण्ड	0.498	1112.98	858.11	0.10	422.39	338.63	251.14	236.25	1.25	3220.85	0.503	156.65	3377.50	3353.09	24.41
20.	ओडिशा	4.642	10374.39	7998.70	0.94	3937.17	3156.47	2340.92	2202.20	11.65	30022.44	4.744	1477.44	31499.88	31272.03	227.85
21.	पंजाब	1.577	3524.43	2717.35	0.32	1337.55	1072.33	795.27	748.14	3.96	10199.35	1.589	494.87	10694.22	10616.96	77.26
22.	राजस्थान	5.495	12280.76	9468.52	1.11	4660.66	3736.49	2771.08	2606.87	13.79	35539.28	5.647	1758.66	37297.94	37028.03	269.91
25.	तेलंगाना	2.437	5446.44	4199.23	0.49	2066.97	1657.11	1228.96	1156.13	6.12	15761.45	2.499	778.27	16539.72	16420.06	119.66
26.	त्रिपुरा	0.642	1434.80	1106.24	0.13	544.52	436.55	323.75	304.57	1.61	4152.17	0.648	201.81	4353.98	4322.54	31.44
27.	उत्तर प्रदेश	17.959	40136.51	30945.42	3.64	15232.16	12211.76	9056.55	8519.90	45.08	116151.02	18.205	5669.63	121820.65	120940.10	880.55
28.	उत्तराखंड	1.052	2351.11	1812.72	0.21	892.27	715.34	530.51	499.08	2.64	6803.88	1.068	332.61	7136.49	7084.90	51.59
29.	पश्चिम बंगाल	7.324	16368.38	12620.09	1.48	6211.95	4980.17	3693.42	3474.57	18.39	47368.45	7.423	2311.77	49680.22	49321.13	359.09
जोड़		100.00	223489.64	172311.48	20.25	84816.29	67998.00	50429.05	47440.83	251.02	646756.56	100.00	31143.28	677899.84	673005.29	4894.55

चौदहवें वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुसार, हिस्सेदारी योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्य का हिस्सा 42% निश्चित किया गया है।

@ आय कर में प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) शामिल है।

^ वास्तविक 2017-18 के लिए आईजीएसटी से संबंधित सुपुर्दगी सं.अ. 2017-18 के स्तर पर अंगीकृत की गई है।

जुटाए गए लेकिन वसूल न किए गए कर राजस्व (मुख्य कर)
(एफआरबीएम नियमावली 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2017-18, के अंत तक की स्थिति के अनुसार)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादास्पद राशियां (₹ करोड़)					विवादरहित राशियां (₹ करोड़)					कुल जोड़
		1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	1 वर्ष से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम	2 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	5 वर्ष से अधिक परंतु 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक	जोड़	
	आय एवं व्यय											
	पर कर	313387	271319	26384	12449	623539	72030	28595	5381	2745	108751	732290
0020	निगम कर	219739	160537	15483	3429	399188	44857	19881	2905	1837	69480	468668
0021	निगम कर को छोड़कर आय पर कर	93648	110782	10901	9020	224351	27173	8714	2476	908	39271	263622
	वस्तुओं एवं सेवाओं											
	पर कर	42121	75862	30944	4856	153783	2268	4018	3799	3499	13584	167367
0005	केंद्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी)
0008	एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी)
0037	सीमा शुल्क	1918	5200	2279	1004	10401	385	818	980	937	3120	13521
0038	केंद्रीय उत्पाद कर	16688	23157	11908	3564	55317	705	2242	2238	2512	7697	63014
0044	सेवा कर	23515	47505	16757	288	88065	1178	958	581	50	2767	90832
	जोड़	355508	347181	57328	17305	777322	74298	32613	9180	6244	122335	899657

अनुबन्ध - 6

कर-भिन्न राजस्व की बकाया राशि
(एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत)

(रिपोर्ट वर्ष 2017-18 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़)

विवरण	लंबित धनराशि					जोड़
	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	
राजकोषीय सेवाएं [(i)+(ii)]	576.50	484.17	546.61	852.25	23536.38	25995.91
ब्याज प्राप्ति	576.50	484.17	546.61	852.25	23536.38	25995.91
<i>जिसमें (क+ख+ग+घ)</i>						
(क) राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से	223.97	204.37	198.30	216.38	5710.19	6553.21
(ख) रेलवे से
(ग) विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों से	4.31	4.31
(घ) सरकारी क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों से	352.53	279.80	348.31	635.87	17821.88	19438.39
(ii) लाभांश एवं लाभ
2 सामान्य सेवाएं	7707.94	7490.85	6396.79	8237.87	9808.66	39642.11
पुलिस प्राप्ति	7707.94	7490.85	6396.79	8237.87	9808.66	39642.11
3 आर्थिक सेवाएं [(i)+(ii)]	14727.04	35522.60	3498.21	3172.59	989.58	57910.02
(i) पेट्रोलियम उपकर/रायल्टी	27.26	6.65	0.07	0.79	3.47	38.24
(ii) संचार (लाइसेंस शुल्क) प्राप्ति	14699.78	35515.95	3498.14	3171.80	986.11	57871.78
4 अन्य प्राप्ति	3926.52	8300.79	6524.51	13031.64	37981.55	69765.01
जोड़ [1+2+3+4]	26938.00	51798.41	16966.12	25294.35	72316.17	193313.05

टिप्पणी:
1. ये आंकड़े संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित हैं और अन्य बातों के अलावा ये आंकड़े संगृहीत करते हुए किसी चालू संग्रहण/परिसमापन/विवादों/सुधारों आदि से प्रभावित हो सकते हैं।

केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव संबंधी विवरणः
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19

किसी कर विधि और इसके प्रशासन का प्राथमिक उद्देश्य सरकारी व्यय के वित्तपोषण के प्रयोजनार्थ राजस्व जुटाना है। जुटाए गए राजस्व की राशि मूल रूप से सामूहिक कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर होती है। इन दो कारकों के निर्धारक घटक ऐसे उपाय होते हैं जिनमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, रिबेट, आस्थगन और क्रेडिट शामिल हैं। इन उपायों को सामूहिक रूप से 'कर प्रोत्साहन' या 'कर तरजीहें' कहा गया था। उनका सरकारी राजस्वों पर प्रभाव पड़ता है और ये सरकार की महत्वपूर्ण नीति भी प्रदर्शित करते हैं।

कर नीति में ऐसे विशिष्ट कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है जिनसे कर तरजीहें बढ़ती हैं। ऐसी तरजीहों का एक निश्चित राजस्व प्रभाव होता है और इन्हें तरजीही करदाताओं को अप्रत्यक्ष सब्सिडी के रूप में भी माना जा सकता है, तथा इन्हें 'कर व्ययों' के रूप में भी माना जा सकता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि कर नीति न केवल सक्षम अपितु पारदर्शी भी होनी चाहिए। इसका आशय यह है कि कार्यक्रम की ऐसी आयोजना स्पष्ट होनी चाहिए, जिसके लिए विशिष्ट नीतिगत उद्देश्य अपेक्षित होते हैं, का राजस्व प्रभाव वाले प्रोत्साहनों का उपयोग करके निराकरण किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी बजट व्यवस्था के लिए संबंधित कार्यक्रम शीर्षकों के अंतर्गत ऐसे अप्रत्यक्ष परिव्ययों (या राजस्व प्रभावों) के समावेशन के लिए आवश्यक है। राजस्व प्रभावों के किसी रूप में परिणामी कर प्रोत्साहन स्वतः कर संविधि में अंतःस्थापित व्ययकारी कार्यक्रम होते हैं।

मौजूदा विवरण केन्द्रीय कर प्रणाली के अधीन उपलब्ध कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का एक विश्लेषण है। कर प्रोत्साहनों का ऐसा राजस्व प्रभाव परित्यक्त राजस्व के विवरण के माध्यम से प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के रूप में बजट 2006-07 के दौरान पहली बार संसद के समक्ष रखा गया था। इसका सभी वर्गों ने भलीभांति स्वागत किया था और इससे राजकोषीय नीति से संबंधित मुद्दों के सम्पूर्ण विषय पर एक रचनात्मक बहस शुरू हो गई थी। इसने कर संबंधी नीति और कर संबंधी व्ययों के मामले में पारदर्शिता लाने के सरकार के इरादे का भी प्रमाण दिया था। इस विवरण का दूसरा संस्करण प्राप्ति बजट के अनुबंध-12 के माध्यम से और "परित्यक्त राजस्व के विवरण" नामक एक पृथक दस्तावेज के जरिए भी बजट 2007-08 के दौरान संसद के समक्ष रखा गया था। तत्पश्चात्, बजट 2008-09 से 2014-15 के दौरान इसे संसद के समक्ष प्रत्येक वर्ष रखा गया था। बजट 2015-16 में, इसे "केन्द्रीय कर प्रणाली के तहत कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव संबंधी विवरण" के रूप में और अधिक उपयुक्त रूप से नाम दिया गया है, तब से इसका राजस्व प्रभाव के रूप में वास्तविक रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। तथापि, उस वर्ष यह प्राप्ति बजट का भाग नहीं था। बजट 2015-16 में इसे अनुबंध-15 के रूप में, जबकि बजट 2017-18 में इसे अनुबंध 13 के रूप में प्राप्ति बजट का भाग बनाया गया था। बजट 2018-19 में यह प्राप्ति बजट का अनुबंध-7 के रूप में भाग था।

पहले की तरह, इस विवरण का उद्देश्य उन कर प्रोत्साहनों या कर सब्सिडियों के राजस्व प्रभाव को सूचीबद्ध करना है जो केन्द्रीय सरकार की कर प्रणाली का भाग है। ऐसे कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का अधिकांश "कर तरजीहों" के संदर्भ में आकलन किया गया है। ये आकलन सर्वाधिक हालिया वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2017-18 के लिए है जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं। वित्त वर्ष 2017-18 के कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए भी प्रयास किया गया है।

कर व्ययों का आकलन निम्नलिखित संभावनाओं के आधार पर किया गया है:-

- (क) आकलनों और संभावनाओं का आशय छूटें, कटौतियों, भारित कटौतियाँ और इसी प्रकार के उपाय समाप्त किए जाने के मामले में संभावित राजस्व लाभ को इंगित करना है। ये आकलन अल्पावधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं। उन्हें यह मानकर विकसित किया जाता है कि ऐसे उपायों को समाप्त करके अंतर्निहित कर आधार प्रभावित नहीं किया जाएगा। आर्थिक एजेंटों के व्यवहार के रूप में, विशिष्ट कर तरजीह के उन्मूलन के साथ-साथ समग्र आर्थिक कार्यकलाप या अन्य सरकारी नीतियाँ बदली जा सकती हैं, उस सीमा तक राजस्व निहितार्थ भिन्न हो सकते हैं।
- (ख) प्रत्येक कर प्रोत्साहन का प्रभाव यह मानकर पृथक रूप से विनिश्चित किया जाता है कि कर संबंधी सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहते हैं। तथापि, कर संबंधी अनेक रियायतों का एक दूसरे से संबंध होता है। अतः, कर प्रोत्साहनों का आपसी प्रभाव प्रत्येक उपबंध के लिए आकलनों और संभावनाओं के अभिवर्धन से गणना किए गए कर व्यय से भिन्न हो सकता है।

यद्यपि, राजस्व प्रभाव की कर संबंधी व्यय की दृष्टि से मात्रा निर्धारित की गई है, इसका आशय यह नहीं है कि सरकार द्वारा राजस्व की यह मात्रा छोड़ दी गई है। इसके बजाय, इन्हें कतिपय क्षेत्रों के संवर्धन के लिए लक्षित व्यय के रूप में देखा जा सकता है। कुछ मामलों में, ऐसे आर्थिक और सामाजिक कार्यकलाप जिन्हें ऐसी अप्रत्यक्ष सब्सिडी से प्रोत्साहित किया जाता है, वास्तविक रूप में शुरू नहीं किए जा सकते हैं अथवा ऐसे प्रोत्साहनों के अभाव में उनका स्तर काफी निम्न हो सकता है। भिन्न-भिन्न कर प्रोत्साहनों के कारण कर व्यय का आकलन करने के लिए अंगीकृत संभावनाएं और पद्धति इस विवरण में प्रासंगिक स्थानों पर इंगित की गई हैं।

प्रत्यक्ष कर

आयकर अधिनियम में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निर्यात, संतुलित क्षेत्रीय विकास; अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के सृजन; रोजगार; ग्रामीण विकास; वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास; सहकारी क्षेत्र, व्यक्तियों द्वारा बचत को प्रोत्साहित करने और धर्मार्थ चंदों को बढ़ावा देने के लिए कर प्रोत्साहनों का प्रावधान है। पूंजीगत निवेश के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में त्वरित मूल्यहास का भी प्रावधान किया गया है। इनमें से अधिकांश कर संबंधी लाभ कारपोरेट और कारपोरेट-भिन्न दोनों के ही करदाताओं द्वारा उठाए जा सकते हैं। यह विवरण कारपोरेट क्षेत्र; कारपोरेट-भिन्न क्षेत्र (प्रतिष्ठान, व्यक्तियों के संघ, व्यष्टियों के निकाय आदि); और व्यक्तिगत/हिन्दू अविभाजित कुटुम्ब के करदाताओं के संदर्भ में कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव पर पृथक रूप से आकलन करने के लिए एक प्रयास है। धर्मार्थ या सामाजिक प्रयोजन वाले कार्यकलापों में लगे निकायों का ब्यौरा भी "धर्मार्थ निकाय" शीर्षक के तहत पृथक रूप से उपलब्ध कराया गया है। जिन शीर्षकों के तहत राजस्व प्रभाव का आकलन किया गया है वे कंपनियों और प्रतिष्ठानों आदि के लिए मोटे तौर पर समान हैं। व्यष्टियों के मामले में, कतिपय अन्य शीर्षक भी शामिल किए गए हैं क्योंकि ये केवल उनके लिए ही विशिष्ट हैं। कारपोरेट क्षेत्र के लिए भी यह विवरण भिन्न लाभ वाली स्लैबों में कंपनियों के लिए प्रभावी कर दरों के विस्तार का विश्लेषण करता है। प्रभावी कर दरों के क्षेत्रक विश्लेषण का भी प्रयास किया गया है।

क. कारपोरेट क्षेत्र

बड़ा व्यवसाय मुख्य रूप से कंपनियों के रूप में संगठित होता है। वित्त वर्ष 2017-18 [निर्धारण वर्ष 2018-19] के लिए 31 मार्च, 2019 तक आयकर विभाग को इलेक्ट्रॉनिक रूप से 8,41,687 कारपोरेट विवरणियां प्राप्त हुई हैं। प्रत्येक कंपनी द्वारा अपनी आयकर संबंधी विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। इन कंपनियों ने वित्त वर्ष 2017-18 की अपनी आय के लिए 4,47,744.14 करोड़ रुपये [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित] की कारपोरेट कर देयता सूचित की थी। उन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देय लाभांश वितरण कर के रूप में भी 40,369.20 करोड़ रुपये की राशि सूचित की थी। कर व्यय का आकलन करने के प्रयोजनार्थ, इन 8,41,687 कंपनियों¹ से संबंधित आंकड़े विश्लेषण के लिए आंकड़ा आधार पर चुने गए थे और इनका ब्यौरा इस विवरण की सारणी 1 से 5 और परिशिष्ट में दिया गया है।

सारणी-1 सभी लाभ सीमाओं में इन कंपनियों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से निम्नलिखित तथ्य उभरकर आते हैं:-

- 3,90,644 कंपनियों (46.41 प्रतिशत) ने करों से पूर्व लाभों के रूप में 15,18,224.34 करोड़ रुपये की राशि और 11,24,393.42 करोड़ रुपये की कुल आय (कर योग्य आय)² सूचित की।
- 3,62,829 कंपनियों (43.11 प्रतिशत) ने हानियों के रूप में 9,08,323.60 करोड़ रुपये की राशि सूचित की।
- 88,214 कंपनियों (10.48 प्रतिशत) ने शून्य लाभ सूचित किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए **लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के पूर्ण आधार की प्रभावी कर दर³ 29.49 प्रतिशत⁴** थी [वित्त वर्ष 2016-17 में सूचित की गई **26.89** प्रतिशत की दर की तुलना में] जबकि 1 करोड़ रुपये तक आय वाली कंपनियों के मामले में सांविधिक कर दर 30.90 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत थी जिसके परिणामस्वरूप औसतन सांविधिक दर 34.40 प्रतिशत⁵ थी। करों से पूर्व (यहां पीबीटी के पश्चात्) 500 करोड़ रुपये और इससे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियों का प्रतिशत कुल पीबीटी का कुल 58.41 प्रतिशत और कुल कारपोरेट आयकर देयता का कुल 52.08 प्रतिशत बैठता था। लाभ सूचित करने वाली कंपनियों के संपूर्ण आधार के लिए 29.49 प्रतिशत की प्रभावी दर, कंपनियों पर लाभ से सम्बद्ध कटौतियां क्रमिक रूप से समाप्त किए जाने और न्यूनतम वैकल्पिक कर (यहां इसके पश्चात् मैट) लगाए जाने के कारण वित्त वर्ष 2016-17 में 26.89 प्रतिशत की प्रभावी कर दर से अधिक है।

500 करोड़ रुपये से अधिक कारोबार वाली कंपनियों की औसतन प्रभावी कर दर 26.30 प्रतिशत है। तथापि, औसतन प्रभावी कर दर 10 से 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 29.09 प्रतिशत पर काफी अधिक है। यह बड़ी कंपनियों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी कंपनियों के मामले में पीबीटी से कम अंतर दर्शाता है और बड़ी कंपनियों द्वारा उच्च कर रियायतों का लाभ उठाया जा रहा है।

सारणी 1: कर पूर्व लाभों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) (कंपनियों की संख्या 8,41,687)

क्र. सं.	कर पूर्व लाभ	कंपनियों की संख्या	कर पूर्व लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कारपोरेट आय-कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय एवं कर पूर्व लाभों का अनुपात (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में) (लाभ एवं कर अनुपात)
1.	शून्य से कम	3,62,829	0.00	1.34	1.34	0.00	0.00
2.	शून्य	88,214	0.00	14.38	6.61	0.00	0.00
3.	0-1 करोड़ रुपये	3,45,458	2.72	2.84	2.43	91.71	26.39
4.	1-10 करोड़ रुपये	35,745	7.17	7.13	6.66	87.40	27.38
5.	10-50 करोड़ रुपये	6,670	9.44	8.62	9.31	80.29	29.09
6.	50-100 करोड़ रुपये	1,162	5.41	4.71	5.22	76.44	28.44
7.	100-500 करोड़ रुपये	1,236	16.85	14.54	16.35	75.82	28.62
8.	500 करोड़ रुपये से ज्यादा	373	58.41	46.44	52.08	69.87	26.30
9.	सभी कंपनियां	8,41,687	100	100	100	87.87	29.49*

* उच्च प्रभावी दर कर पूर्व शून्य लाभवाली कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए करों में फैक्ट्रिंग के कारण है।

¹ वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नमूना आकार 6,08,836 था।

² आयकर विवरणियों में, 'कुल आय' शब्द, कर योग्य आय का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि सामान्य प्रचलन में अंतर्निहित होगा।

³ कंपनियों के मामले में प्रभावी कर दर करों से पूर्व कुल लाभों [पीबीटी] के लिए कुल करों [प्रभार और शिक्षा उपकर सहित किन्तु लाभांश वितरण कर छोड़कर] का अनुपात है। और इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया गया है।

⁴ लाभांश वितरण कर सहित प्रभावी कर दर 32.15 प्रतिशत थी।

⁵ औसत सांविधिक कर दर 1 करोड़ तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 20.90 प्रतिशत, 10 करोड़ रुपये तक की कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 33.06 प्रतिशत और 10 करोड़ रुपये से अधिक कुल आय वाली कंपनियों के मामले में 34.61 प्रतिशत की कर दर के भारत औसत को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। वित्त वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत की दर के प्रभाव को ध्यान में रखने के पश्चात् यह कम होगी। इसे कारक के रूप में विभक्त नहीं किया गया है। क्योंकि इसका प्रभाव मामूली होगा।

सारणी 2 प्रभावी कर दरों में सैम्पल कंपनियों का विवरण देती है। यह नोट किया गया है कि 20 प्रतिशत तक औसत प्रभावी कर दरों वाली 4,66,942 कंपनियों का कुल लाभ 17.59 प्रतिशत, कुल कर योग्य आय 8.07 प्रतिशत तथा कुल कर 9.20 प्रतिशत बनता है। अन्य शब्दों में, बहुत सी कंपनियों (4,66,942 अर्थात् 55.48 प्रतिशत) ने अपने लाभों की तुलना में गैर-समानुपातिक रूप से कर की कम राशि दी है। दिलचस्प बात यह है कि 5.61 प्रतिशत कुल लाभों वाली तथा 11.98 प्रतिशत कुल कर वाली 34,041 कंपनियों की प्रभावी कर दर है जो लगभग 34.94 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर के बराबर है। इससे पता चला है कि कंपनियों की कर देनदारी असमान रूप से बटी हुई है। यह संविधि में मुख्यतः विभिन्न कर वरीयताओं के कारण है।

सारणी 2: प्रभावी कर दरों की रेंज में कंपनियों का विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18) [कंपनियों की संख्या-841687]

क्र. सं.	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल आय में शेयर (प्रतिशत में)	कुल देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)
1	शून्य से कम और शून्य	3,80,006	3.18	1.57	1.43
2	0-20	86,936	14.41	6.50	7.77
3	20-25	41,118	27.16	16.84	21.76
4	25-30	1,58,190	16.26	18.49	16.38
5	30-33	52,822	33.39	44.62	41.75
6	>33	34,401	5.61	11.98	10.91
7	अनिर्धारित (पीबीटी=0)	88,214	0.00	0.00	0.00
कुल		8,41,687	100.00	100.00	100.00

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 3 पब्लिक कंपनियों (केवल पीएसयू) के प्रभावी कर दर की प्राइवेट कंपनियों के प्रभावी कर दर से तुलना करती है। दोनों श्रेणियों के लिए जबकि प्रभावी दर सांविधिक दर से कम है, परन्तु प्राइवेट कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की अपेक्षा अपने लाभों का कुछ अधिक अनुपात कर के रूप में भुगतान करती हैं।

सारणी 3: पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों में कंपनियों की प्रभावी कर दर (वित्तीय वर्ष 2017-18) [कंपनियों की संख्या-841687]

क्र. सं.	सेक्टर	कंपनियों की संख्या	कुल लाभों में शेयर (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में शेयर (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1	पब्लिक #	214	16.64	15.11	28.29
2	प्राइवेट	8,41,473	83.36	84.89	29.73
कुल		8,41,687	100.00	100.00	29.49

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

अपनी संबंधित विवरणियों में निर्धारित कंपनियों (पीएसयू) के रूप में द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर।

सारणी 4 कंपनियों की संदर्भ में विनिर्माण क्षेत्रों अन्य क्षेत्रों की प्रभावी कर दर के बीच तुलना को दर्शाती है। विनिर्माण क्षेत्र की 27.83 प्रतिशत की प्रभावी कर दर की तुलना में गैर-विनिर्माण क्षेत्रों की प्रभावी कर दर ज्यादा है जो 30-55 प्रतिशत है। दोनों क्षेत्रों की प्रभावी कर दर है जो 30-40 प्रतिशत की औसत सांविधिक दर से काफी कम है।

सारणी 4: विनिर्माण और गैर-विनिर्माण क्षेत्रों में कंपनियों की प्रभावी कर दर*
(वित्तीय वर्ष 2018-19) [कंपनियों की संख्या-8,41,687]

क्र.सं.	क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	कुल लाभ में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कुल कर देनदारी में हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	प्रभावी कर दर (प्रतिशत में)
1.	विनिर्माण	1,30,676	38.92	36.74	27.83
2.	गैर-विनिर्माण	7,11,011	61.08	63.26	30.55
	कुल	8,41,687	100.00	100.00	29.49

* प्रभावी कर दर अधिभार और शिक्षा उपकर का समावेश है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय के ब्यौरे को दर्शाती है। यह विश्लेषण 31, मार्च, 2019 तक दायर की गई कारपोरेट विवरणियों पर आधारित है। इन कंपनियों द्वारा प्राप्त की गई कर छूट का राजस्व प्रभाव प्रत्येक कटौती की राशि पर 34.0 प्रतिशत की औसत सांविधिक कारपोरेट कर दर लागू करके परिकलित किया गया है। त्वरित मूल्य ह्रास का राजस्व प्रभाव, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती/भारित कटौती का परिकलन पहले कंपनियों द्वारा लाभ/हानि खाते में डेबिट किए गए मूल्य ह्रास/कटौती तथा आयकर अधिनियम के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मूल्यह्रास /कटौती के बीच अंतर को निर्धारित करके किया गया है। इसके बाद कर व्यय आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए इस अंतर पर 34.40 प्रतिशत की औसत कारपोरेट कर दर लागू की गई है।

कर व्यय का दूसरा पक्ष कर आस्थगन है। कर आस्थगन तब होता है जब करदाता, कर संविधि के अंतर्गत उच्च कटौतियों की अनुमति मिलने के कारण कम समयावधि में कटौती के रूप में किसी भत्ते (अर्थात् मूल्यह्रास भत्ते) का दावा करके अपनी कर देनदारी को आस्थगित करने में सक्षम होता है जबकि वह अपने खाते में बहुत से वर्षों से उसी मूल्यह्रास दावे को डाल रहा होता है। चूंकि मूल्यह्रास में नकद व्यय जरूरी नहीं होता है, अतः यह कर आस्थगन है। दूसरी ओर, कर संविधि के अंतर्गत कंपनियों पर एमएटी (कुछ सामंजस्यों के अध्येधीन) अपने शेयरधारकों को कंपनी द्वारा सूचित लाभ पर, देनदारी (वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 20.90 प्रतिशत की दर पर जिसमें दर्ज लाभों पर उपकर और अधिभार का समावेश है) में तेजी लाता है, यदि यह देनदारी सामान्य दरों पर परिकलित कर देनदारी से अधिक है। एमएटी के कारण अधिक देनदारी बाद के उस वर्ष में (15 वर्षों तक) क्रेडिट के रूप में अनुमत है जिसमें सामान्य कर देनदारी एमएटी से अधिक है। अतः एमएटी के कारण भुगतान किया गया अतिरिक्त कर भावी कर देनदारी का अग्रिम भुगतान है। यह मूल्यह्रास के दावों के कारण करों की आस्थगन अवधि को सीमित करता है तथा लंबी समयावधि में समान दावे को जमा करके अन्य कटौतियों जैसे लाभ से संबंधित कटौतियों के राजस्व प्रभाव को नियंत्रित करता है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय संबंधी आंकड़ों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन पर कर व्यय को वर्ष के लिए अनंतिम राजस्व संग्रह के अनुसार 2018-19 में कारपोरेट कर वृद्धि के साथ गुणा करके 2018-19 के लिए अनुमान लगाया गया है।

सारणी 5 वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कर व्यय के अर्थ में कारपोरेट करदाताओं के संदर्भ में मुख्य कर व्यय और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान को दर्शाती है।

सारणी 5: कारपोरेट करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव
वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 [कंपनियों की संख्या-8,41,687]

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2018-19]
1	एसईजेड में स्थित इकाइयों के निर्यात लाभ की कटौती (धारा 10ए और 10एए)	20,917.63	24,300.22
2	त्वरित मूल्यह्रास (धारा 32)	58,326.25	67,758.18
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती (धारा 35(1), (2एए) और (2एबी))	6,832.02	7,936.82
4	विशिष्ट कारोबार के संदर्भ में कटौती (धारा 35एडी)	1,780.70	2,068.66
5	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दान के कारण कटौती (धारा 80जी)	1,860.11	2,160.90
6	राजनैतिक दलों को अंशदान के कारण कटौती (धारा 80जीबी)	133.36	154.93

क्र. सं.	प्रोत्साहन का प्रकार	राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (करोड़ रुपये में) [2018-19]
7	अवसंरचना संबंधी सुविधाओं के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	6,841.97	7,948.38
8	एसईजेड तथा औद्योगिक पार्कों के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	364.59	423.55
9	दूर संचार सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	43.38	50.39
10	विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	13,156.97	15,284.58
11	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईए)	166.70	193.65
12	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे हुए उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईएबी)	1,198.14	1,391.89
13	जम्मू एवं कश्मीर में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-आईबी)	77.68	90.24
14	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों में लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	34.69	40.30
15	औद्योगिक उपक्रमों को खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	1,098.04	1,275.60
16	औद्योगिक उपक्रमों को आवासीय परियोजनाओं से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	55.21	64.14
17	औद्योगिक उपक्रमों को गोल्ड चेक सुविधा के प्रचालन से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	8.47	9.84
18	औद्योगिक उपक्रमों को खाद्यान्नों के हैंडलिंग, स्टोर और परिवहन के एकीकृत व्यवसाय से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	62.69	72.83
19	औद्योगिक उपक्रमों को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिक्षण और पैकेजिंग से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	238.50	277.07
20	औद्योगिक उपक्रमों को ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 80-1ख)	2.12	2.47
21	आवासीय परियोजनाओं से लाभों और आय में कटौती (धारा 80-1खक)	55.77	64.79
22	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	1,191.59	1,384.28
23	सिक्किम में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	2,320.94	2,696.26
24	उत्तराखंड में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	1,798.33	2,089.14
25	हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों में कटौती (धारा 80-1ग)	473.90	550.54
26	बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के व्यवसाय से होने वाले लाभों में कटौती (धारा 180जेजेए)	18.03	20.95
27	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 180जेजेए)	738.50	857.92
28	ऑफशोर बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केन्द्र (आईएफएससी) की कतिपय आयों के संबंध में कटौती (धारा 80 एलए)	273.40	317.61
	कुल	1,20,069.67	1,39,486.12
	घटाएं-एमएटी के कारण अतिरिक्त कर देनदारी	41,792.21	
	दावा किए गए एमएटी क्रेडिट को घटाकर	15,365.04	
	एमएटी के कारण निवल अतिरिक्त कर	26,427.17	30,700.70
	कुल परित्यक्त राजस्व	93,642.50	1,08,785.41

चूंकि वित्त वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित कर व्यय का आंकड़ा (विशिष्ट रूप से एमएटी भुगतान के कारण अतिरिक्त कर का आंकड़ा) विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित किया गया था जो ₹1,33,953.59 करोड़ था, अब यह वास्तव में ₹1,20,069.67 करोड़ पर परिकलित किया गया है। एमएटी के परिणाम के रूप में संग्रहित अतिरिक्त कर को ध्यान में रखते हुए, कर प्रोत्साहनों की वास्तविक राजस्व देयता विगत वर्ष के विवरण में अनुमानित ₹85,026.11 करोड़ के कर व्यय के सापेक्ष काफी अधिक ₹93,642.50 करोड़ है) वह शीर्ष द्रुत मूल्य ह्रास है जिसके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की उच्चतम राशि (₹58,326.25 करोड़) दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष आर्थिक जोनों (एसईजे) में अव्यवस्थित इकाइयों, विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों, अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों और खनिज तेल व प्राकृतिक गैस के उत्पादन में लगे उपक्रमों द्वारा प्राप्त की गई छूटें कुल कर प्रोत्साहन का बहुत बड़ा भाग है।

कंपनियों के प्रभावी कर दर का उद्योग-वार वितरण इस विवरण के परिशिष्ट में सारणी में दिया गया है। निम्न रेंज पर, यूरेनियम और थोरियम अयस्कों को छोड़कर अलौह धातु अयस्कों के खनन और कृषि, पशुपालन और वानिकी क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दर क्रमशः 15.66 प्रतिशत और 16.55 प्रतिशत है। इसी तरह, जल के संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण तथा बिजली, गैस और जल क्षेत्र के उप-क्षेत्र के लिए प्रभावी कर दर 17.33 प्रतिशत है जो कि औसत प्रभावी कर दर से कम है।

ख. गैर-कार्पोरेट क्षेत्र (फर्म/एओपी/बीओआई आदि)

कार्पोरेट क्षेत्र के अलावा, बड़ा व्यवसाय साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के संघ (एओपी) या व्यष्टियों के निकाय (बीओआई) के रूप में भी संगठित है। इन पर कर व्यय इतना बड़ा नहीं होता जितना कि कंपनियों के मामले में होता है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2017-18 की आय के लिए 31 मार्च, 2018 तक इलैक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज 14,38,378 विवरणियां प्राप्त हुई हैं। कर व्यय का आकलन करने के उद्देश्य से इन 14,38,378 फर्मों/एओपी/बीओआई के आंकड़ों का डाटा बेस से छांटता गया है। ये सभी, वित्तीय वर्ष 2017-18 में फर्मों/एओपी/बीओआई की दुनिया द्वारा प्रदत्त कुल कर के बहुत बड़े भाग के लिए उत्तरदायी हैं।

आंकड़ों का विश्लेषण किया गया और निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आए:-

- * समूची फर्मों/एओपी/बीओआई ने ₹1,95,608.53 करोड़ के कर पूर्व लाभों की जानकारी दी और ₹1,76,904.88 करोड़ की कुल आय (कर योग्य आय) घोषित की। हानियों की रिपोर्ट 2,43,056 विवरणियों के द्वारा दी गई थी जो कि कुल का 16.90 प्रतिशत है।
- * इन फर्मों/एओपी/बीओआई ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए देय आयकर (शिक्षा उपकर सहित) के रूप में ₹52,736.80 करोड़ की जानकारी दी।

फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा दावा की गई प्रत्येक कर रियायत की राजस्व देयता को प्रत्येक छूट (कटौती) की राशि पर 30.98 प्रतिशत (एक करोड़ से कम की आय वाली फर्मों के लिए 30.90 प्रतिशत तथा एक करोड़ से अधिक की आय वाली फर्मों के लिए 34.61 प्रतिशत की दर लेते हुए परिकलित की गई भारत औसत दर) की आय कर दर लागू करते हुए परिकलित किया गया है। द्रुत मूल्यह्रास के कारण कर व्यय, वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के लिए कटौती/भारित कटौती को सर्वप्रथम फर्मों/एओपी/बीओआई द्वारा लाभ और हानि के खातों से घटाए गए मूल्यह्रास/कटौती और आयकर अधिनियम के तहत अनुमत्य मूल्यह्रास/कटौती के बीच के अंतर का निर्धारण करके परिकलित किया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्येक कर प्रोत्साहन की राजस्व देयता के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए राजस्व देयता का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2018-19 के लिए अनुमान को, वर्ष 2018-19 में संग्रहित आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार आयकर संग्रहणों और वर्ष 2017-18 में संग्रहित वास्तविक आयकर के बीच का अनुपात निकालकर और फिर इसी अनुपात को वर्ष 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण होने वाले कर व्यय पर लागू करके निकाला गया है।

सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अनुसार गैर-कार्पोरेट करदाताओं पर बड़े कर-व्ययों को दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की तरह, सहकारी सोसायटियों के लाभों की कटौती के कारण कर व्यय उच्चतम स्तर पर बना रहा जो कुल राजस्व देयता का 56.27 प्रतिशत रहा जबकि विगत वित्तीय वर्ष में यह मात्र 43.14 प्रतिशत था। एसईजेड में अवस्थित इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों पर छूट के कारण कर व्यय कुल राजस्व देयता का 7.59 प्रतिशत था।

गैर-कार्पोरेट क्षेत्र अर्थात फर्मों, एओपी/बीओआई के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 का कुल कर व्यय ₹6,109.28 करोड़ बनता है। सारणी 6 में वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2018-19 के दौरान कर व्यय के अनुसार गैर-कार्पोरेट कर दाताओं पर हुए बड़े कर व्ययों को दर्शाया गया है।

सारणी 6: गैर कार्पोरेट (फर्मों/एओपी/बीओआई) करदाताओं के लिए वित्तीय वर्षों 2017-18 और 2019-19 के बड़े कर प्रोत्साहन का राजस्व प्रभाव

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
1	एसईजेड में अवस्थित इकाइयों के निर्यात लाभों पर कटौती धारा (धारा 10क और 10कक)	463.64	538.46
2	द्रुत मूल्यह्रास	988.21	1,147.67
3	वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय हेतु कटौती/भारित कटौती (धारा 35(i), (2कक) और (2कख)	11.77	13.67
4	विनिर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में कटौती 35कघ	36.86	42.81
5	चेरीटेबल ट्रस्टों और संस्थानों को दिए गए दानों पर कटौती (धारा 80छ)	90.03	104.56
6	राजनीतिक पार्टियों को दिए गए अंशदानों पर कटौती (धारा 80छगग)	19.47	22.62

क्रम सं.	प्रोत्साहन की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
7	अवसंरचना सुविधाओं के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80स्क)	114.05	132.45
8	एसईजेड के विकास और औद्योगिक पार्कों में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1क)	13.90	16.14
9	विद्युत के सृजन, पारेषण और वितरण में लगे उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा80-1क)	338.29	392.87
10	विद्युत संयंत्र के पुनरुद्धार में लगे उपक्रम के लाभ पर कटौती (धारा 80-1क)	8.53	9.91
11	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में लगे उपक्रमों के लाभों पर छूट (धारा 80-1ख)	50.59	58.76
12	जम्मू और कश्मीर में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	8.82	10.25
13	जम्मू और कश्मीर से इतर औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	0.47	0.54
14	पिछड़े जिलों में अवस्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर छूटकटौती (धारा 80-1ख)	0.98	1.14
15	औद्योगिक उपक्रमों द्वारा आवासीय परियोजनाओं से अर्जित किए गए लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	75.76	87.98
16	आवासीय परियोजनाओं से अर्जित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों पर कटौती (धारा 80-1ख)	2.63	3.05
17	खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन के समेकित कारोबार से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	3.51	4.08
18	फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण, परिवहन और पैकेजिंग से प्राप्त औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80-1ख)	19.71	22.89
19	आवासीय परियोजनाओं से लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	31.88	37.03
20	पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	150.68	174.99
21	सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	41.64	48.36
22	उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	83.25	96.69
23	हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा-80-1ख)	100.32	116.51
24	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभ की कटौती (धारा-80-1ख)	5.54	6.43
25	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा-80-जजकक)	10.26	11.92
26	विदेश स्थित बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) तथा अंतरराष्ट्रीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) के कतिपय आय के संबंध में कटौती (धारा-80-ठक)	1.08	1.26
27	सहकारी संस्थाओं के लाभों के संदर्भ में कटौती (धारा 80प)	3,437.40	3,992.07
	जोड़	6,109.28	7,095.09

ग. व्यक्ति/हिंदू संयुक्त परिवार (एचयूएफ) करदाता

आयकर अधिनियम के अध्याय vi-क में कतिपय भुगतानों और कतिपय आयों पर कटौती की व्यवस्था की गई है। व्यक्ति/एचयूएफ करदाता इन कटौतियों के दावे के लिए पात्र हैं तथा उनके लिए अनेक कर विकल्प उपलब्ध हैं। तथापि, चूंकि 50 प्रतिशत से अधिक करदाता अपनी आय वेतन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उनके द्वारा लाभ आधारित कटौती (अर्थात् कतिपय कारोबार से प्राप्त आय पर कटौती) का दावा नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, गैर वैतनिक व्यक्ति दोनों प्रकार की कटौतियों का दावा कर सकते हैं।

व्यक्ति करदाताओं को अनुमेय कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को सारणी 7 में प्रस्तुत किया गया है। आयकर अधिनियम के अध्याय vi -क की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कर प्रभाव को व्यक्तियों द्वारा आयकर विभाग में 31 मार्च 2019 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत 5,89,18,404 विवरणियों में कर विकल्पों के विभिन्न दावों के आधार पर परिकलित किया गया है। अध्याय vi-क के अंतर्गत कटौतियों के अलावा वित्त वर्ष 2017-18 में व्यक्ति करदाताओं पर अन्य भारी

कर व्यय वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए 3,00,000 रुपये की उच्चतम बुनियादी छूट सीमा और वरिष्ठतम नागरिकों (80 वर्ष अथवा अधिक आयु वाले व्यक्ति) के लिए 5,00,000 तक बढ़ाई गई छूट सीमा के कारण था।

कुल 5,89,18,404 आय विवरणियों के आंकड़ों के आधार पर करदाताओं की पूरी जनसंख्या के लिए कर व्यय का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है:-

- (i) ऊपर उल्लिखित के अनुसार सारणी 7 की (क्रम संख्या 27 और 28) उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के राजस्व प्रभाव को प्रति वरिष्ठ नागरिकों और वरिष्ठतम नागरिकों के कर व्यय को उनकी संबंधित संख्या के साथ गुना करके परिकलित किया गया है। इन विवरणियों के आंकड़ों के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा 10.50 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गईं और वरिष्ठतम नागरिकों द्वारा 0.62 प्रतिशत विवरणियां प्रस्तुत की गईं। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ नागरिकों को उपलब्ध उच्चतम छूट सीमा के राजस्व प्रभाव को 2,50,000 रुपये की सामान्य छूट सीमा की तुलना में उच्चतम बुनियादी छूट सीमा (अर्थात् 3,00,000 रुपये) के बीच अंतर पर विचार करते हुए और अंतर पर 5 प्रतिशत (जमा उपकर) की न्यूनतम कर दर को प्रयुक्त करते हुए परिकलित किया गया है। प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक के लिए कर व्यय 2,575 रुपये (उपकर सहित) है। वरिष्ठतम नागरिकों के लिए, 5,00,000 लाख की छूट सीमा तथा ऐसी आय पर आकलित कर 12,875 रुपये (उपकर सहित) बनता है जिसका भुगतान 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होता है। प्रत्येक वरिष्ठतम नागरिक के संदर्भ में इसे राजस्व प्रभाव माना गया है।
- (ii) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कर व्यय के आंकड़ों के आधार पर वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर व्यय का अनुमान लगाया गया है। 2018-19 के लिए अनुमान 2018-19 के लिए संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार व्यष्टि आयकर संग्रहण और वर्ष 2017-18 में संग्रहित वास्तविक व्यष्टि आयकर के अनुपात का परिकलन करने के पश्चात् 2017-18 में प्रत्येक कर प्रोत्साहन के कारण कर व्यय के उसी अनुपात को प्रयुक्त करके किया गया है। चूंकि धारा 80 गगछ के अंतर्गत कटौती बहुत पुरानी हो गई है, इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 में नया दावा नहीं होगा। अतः इस धारा के अंतर्गत अनुमानित राजस्व प्रभाव को 10 प्रतिशत घटाकर परिकलित किया गया है।

उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार सारणी 7 में वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान कर व्यय के संदर्भ में व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव का चित्रण किया गया है।

**सारणी 7 : व्यष्टि/एचयूएफ करदाताओं के लिए मुख्य कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव
वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19**

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
1	कतिपय निवेश और भुगतानों के कारण कटौती (धारा 80ग)	64,789.97	75,244.62
2	कतिपय पेंशन कोष में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगग)	320.29	371.98
3	नई पेंशन योजना में अंशदान के कारण कटौती (धारा 80गगघा)	2,726.96	3,166.98
4	आरजीईएसएस में निवेश के कारण कटौती (धारा 80गगच)	40.05	36.04
5	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में निवेश के कारण कटौती (धारा 80घ)	3,117.97	3,621.09
6	दिव्यांग आश्रित की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघ)	553.01	642.25
7	विशिष्ट बीमारियों की चिकित्सा पर व्यय के कारण कटौती (धारा 80घघख)	456.14	529.74
8	उच्चतर शिक्षा के हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80ड)	700.13	813.10
9	आवास हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के कारण कटौती (धारा 80डड)	228.95	265.89
10	धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को किए गए दान के कारण कटौती (धारा 80छ)	641.72	745.26
11	आवास के लिए प्रदत्त किराए के कारण कटौती (धारा 80छछ)	1,465.78	1,702.30
12	वैज्ञानिक अनुसंधान अथवा ग्रामीण विकास के लिए दान देने पर कटौती (धारा 80छछक)	44.80	52.03
13	राजनैतिक पार्टियों को दिए गए अंशदान पर कटौती (धारा 80छछग)	169.56	196.92
14	अवसंरचना सुविधाओं, एसईजेड तथा औद्योगिक पार्क के विकास, बिजली निर्माण तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के कार्य में लगे उपकरणों के लाभों की कटौती (धारा 80झक)	75.69	87.91

क्रम सं.	प्रोत्साहन/कटौती की प्रकृति	राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2017-18]	अनुमानित राजस्व प्रभाव (₹करोड़) [2018-19]
15	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अनुसरण में एसईजेड के विकास में कार्यरत उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झकख)	0.15	0.17
16	आवासीय परियोजनाओं के लाभों की कटौती (धारा 80झखक)	10.55	12.25
17	आवासीय परियोजनाओं, खनिज तेल का उत्पादन, वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, खाद्यान्नों के संचालन, भंडारण और परिवहन से लाभ कमाने वाले औद्योगिक उपक्रमों तथा जम्मू और कश्मीर और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झख)	30.59	35.53
18	पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तरांचल तथा हिमाचल प्रदेश में स्थापित उपक्रमों के लाभों की कटौती (धारा 80झग)	89.61	104.07
19	विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में होटलों, सम्मेलन केन्द्रों के संबंध में कटौती (धारा 80झघ)
20	जैविक कूड़े के संग्रहण और प्रसंस्करण के कारोबार से प्राप्त लाभों की कटौती (धारा 80जजक)	6.28	7.29
21	नए कामगारों के रोजगार के संबंध में कटौती (धारा 80जजकक)	2.59	3.01
22	पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कतिपय पुस्तकों के लेखकों की रायल्टी आय की कटौती में (धारा 80भभक)	12.42	14.42
23	पेंटेड पर रायल्टी आय की कटौती (धारा 80ययक)	1.11	1.29
24	बचत खाते पर ब्याज की कटौती (धारा 80ययक)	1,474.70	1,712.66
25	दिव्यांग व्यक्ति के मामले में कटौती (धारा 80र)	402.01	466.88
26	धारा 87ख के अंतर्गत छूट	4,775.51	5,546.10
27	वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम छूट सीमा	1,333.13	1,548.25
28	वरिष्ठतम नागरिकों के लिए उच्चतम सीमा छूट	358.25	416.05
जोड़		83,827.92	97,344.11

विभिन्न बचत लिखतों में निवेश करने, आवास ऋण की अदायगी तथा बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भुगतान (ये सभी आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अंतर्गत शामिल हैं) के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करने के कारण राजस्व प्रभाव व्यष्टि करदाताओं के मामले में सबसे बड़ा एकल कर व्यय है जिसके बाद 5 लाख रुपये तक आय वाले निवासी भारतीयों के मामले में कर पर छूट तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (धारा 80घ) पर कटौती का स्थान आता है। वरिष्ठ नागरिकों तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्चतम बुनियादी छूट सीमाओं के कारण कर व्यय भी महत्वपूर्ण है। लाभ आधारित कटौतियों के मामले में उच्च कर व्यय आयकर अधिनियम की धारा 80-1ग के कारण है।

घ. धर्मार्थ निकाय

आयकर अधिनियम में सरकार द्वारा निधि पोषित धर्मार्थ प्रवृत्ति के कार्य में लगे निकाय सहित विभिन्न निकायों को छूट देने का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक प्रयोजनों को पूरा करने वाली कतिपय क्रिया-कलापों में लगे निकायों के लिए विशिष्ट छूट भी उपलब्ध है। इन निकायों को दान, स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त होते हैं और धर्मार्थ प्रकृति के क्रिया-कलापों से अन्य आय प्राप्त होती है। ऐसी निकायों की कुल प्राप्तियों को उन प्रयोजनों के लिए लागू करने की अपेक्षा है जिनके लिए इनकी स्थापना की गई है। इन निकायों के लिए आयकर विवरणी फाइल करना अपेक्षित है। 31 मार्च, 2031 तक ऐसी निकायों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में फाइल की गई विवरणियों की कुल संख्या, वित्त वर्ष 2018 के दौरान 2,18,787 है। भारत में धर्मार्थ और धार्मिक प्रयोजनों के लिए ऐसी निकायों द्वारा आवेदित कुल राशि 5,03,782.98 करोड़ रुपए है।

परिशिष्ट

उद्योगों के बीच अधिभार और शिक्षा उपकर सहित कम्पनियों की प्रभावी कर दर
(वित्त वर्ष 2017-18) (कम्पनियों की संख्या - 8,41,687)

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
1.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कृषि और पशुपालन सेवाएं	3,656	1,544.61	495.35	32.07
2.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	कुकुट और अण्डा उत्पादन बढ़ाना	521	1,453.13	440.74	30.33
3.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	चाय की खेती और विनिर्माण	1,384	985.69	268.02	27.19
4.	कृषि, पशुपालन और वानिकी	अवर्गिकृत सहित अन्य	6,528	2,435.28	403.06	16.55
6.	मत्स्य पालन	समुद्री और ताजा पाना संबंधी मत्स्य पालन सेवाएं	238	57.79	21.75	37.64
7.	मत्स्य पालन	मात्स्यिकी, मत्स्य हैचरी और मत्स्यपालन	100	23.43	5.78	24.66
8.	मत्स्य पालन	अन्य	336	255.42	87.60	34.30
10.	खनन और उत्खनन	कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण	138	37,312.35	7,598.45	20.36
11.	खनन और उत्खनन	खनन और कठोर कोयले का संचयन	204	18,889.68	7,069.69	37.43
12.	खनन और उत्खनन	अधात्विक अयस्क का खनन, यूरेनियम और थोरियम को छोड़कर	49	21,922.47	3,432.71	15.66
13.	खनन और उत्खनन	लोह अयस्क का खनन	200	8,997.16	3,161.20	35.14
14.	खनन और उत्खनन	अन्य	3,117	8,372.53	2,484.68	29.68
16.	विनिर्माण	परिशोधित पेट्रोलियम उत्पादों का विनिर्माण	319	1,16,069.72	25,080.30	21.61
17.	विनिर्माण	भेषज, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों का विनिर्माण	5,440	53,361.78	13,529.33	25.35
18.	विनिर्माण	मोटर वाहनों का विनिर्माण	266	33,800.33	10,295.05	30.46
19.	विनिर्माण	मोटर वाहनों और इंजनों के कलपूजों और सहायक कलपूजों का विनिर्माण	3,063	30,292.52	9,512.84	31.40
20.	विनिर्माण	इस्पात उत्पादन का विनिर्माण	3,981	26,714.47	7,314.72	27.38
21.	विनिर्माण	अन्य रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	3,522	21,417.81	6,564.78	30.65
22.	विनिर्माण	तम्बाकू उत्पादों का विनिर्माण	337	18,898.73	6,216.28	32.89
23.	विनिर्माण	वस्त्रों का विनिर्माण (हस्तकरघा द्वारा निर्मित को छोड़कर)	8,481	13,526.36	3,740.47	27.65

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
24.	विनिर्माण	मशीनरी और उपकरण	1,970	12,330.21	3,306.40	26.82
25.	विनिर्माण	सीमेंट, चूना और पलस्तर का विनिर्माण	655	14,747.34	3,288.06	22.30
26.	विनिर्माण	अन्य खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	3,458	8,002.33	2,616.18	32.69
27.	विनिर्माण	रेडियो, टेलीविजन, संचार उपकरणों और उपकरणों का विनिर्माण	221	7,718.99	2,581.14	33.44
28.	विनिर्माण	साबुन और डिटर्जेंट का विनिर्माण	254	8,752.34	2,440.67	27.89
29.	विनिर्माण	उर्वरकों और नाइट्रोजन मिश्रणों का विनिर्माण	1,030	7,343.88	2,043.36	27.82
30.	विनिर्माण	रबर उत्पादों का विनिर्माण	1,056	6,900.27	2,024.91	29.35
31.	विनिर्माण	पेंट्स, रंग-सोगन और इसी प्रकार के कोटिंग का विनिर्माण	694	5,691.93	1,938.32	34.05
32.	विनिर्माण	प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2,777	4,242.09	1,258.51	29.67
33.	विनिर्माण	कागज और कागज उत्पादों का विनिर्माण	2,396	4,283.11	1,185.85	27.69
34.	विनिर्माण	इंजन और टर्बाइन का विनिर्माण	209	3,748.14	1,179.84	31.48
35.	विनिर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	90,547	1,93,120.20	58,373.15	30.23
37.	बिजली, गैस और पानी	बिजली उत्पादों, संग्रहण और वितरण	4,371	50,649.30	10,612.51	20.95
38.	बिजली, गैस और पानी	गैस का विनिर्माण और वितरण	228	8,905.34	2,086.25	23.43
39.	बिजली, गैस और पानी	पानी का संग्रहण, शुद्धिकरण और वितरण	105	168.84	29.30	17.36
40.	बिजली, गैस और पानी	अन्य अनिवार्य वस्तु सेवाएं एन.ई.सी.	2,353	924.69	278.99	30.17
42.	निर्माण	सड़कों, रेलों, पुलों, सुरंगों, पत्तनों, बंदरगाहों, रनवेज आदि का निर्माण और रखरखाव	4,252	20,837.57	5,619.28	26.97
43.	निर्माण	भवन का पूर्ण निर्माण या भाग सिविल संविदाकार	19,143	11,000.76	3,528.89	32.08
44.	निर्माण	अवर्गीकृत सहित अन्य	47,361	23,437.69	8,095.76	34.54
46.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	स्थावर संपदा का विकास और लॉट में उपविभाजन	9,376	4,326.59	1,371.32	31.70

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
47.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अपने स्वामित्व के भवनों के स्थावर संपदा का प्रचालन (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	3,511	5,203.91	1,259.74	24.21
48.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	भवनों की खरीद बिक्री और पट्टे पर देना (रिहायशी और गैर-रिहायशी)	5,639	2,733.82	627.68	22.96
49.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	शुल्क या संविदा आधार पर स्थावर संपदा संबंधी क्रिया-कलाप	5,461	1,000.29	323.77	32.37
50.	स्थावर संपदा और किराया सेवाएं	अन्य स्थावर संपदा/किराए पर देने की सेवाएं एन.ई.सी.	35,086	12,121.35	3,131.12	25.83
52.	मशीनरी को किराए पर देना	मशीनरी को किराए पर देना	1,676	493.22	170.08	34.48
54.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर कलपूर्जों और सहायक पूर्जों की थोक और खुदरा बिक्री	1,202	11,724.79	3,431.90	29.27
55.	थोक और खुदरा व्यापार	इलेक्ट्रॉनिक पूर्जों और उपकरणों की थोक बिक्री	2,671	3,645.30	1,238.71	33.98
56.	थोक और खुदरा व्यापार	कपड़ों, परिधान, जूते-चप्पल, चमड़ा सामानों की थोक बिक्री	5,066	2,925.88	1,042.95	35.65
57.	थोक और खुदरा व्यापार	मोटर वाहनों की थोक और खुदरा बिक्री	3,103	2,410.09	786.70	32.64
58.	थोक और खुदरा व्यापार	अन्य मशीनरी और उपकरण की थोक बिक्री और आपूर्ति	2,212	1,482.38	570.66	38.50
59.	थोक और खुदरा व्यापार	अवर्गीकृत को छोड़कर अन्य	1,44,377	54,094.72	16,812.18	31.08
61.	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	होटल, रेस्तरां और आतिथ्य सेवाएं	17,327	6,214.99	1,722.73	27.72
63.	परिवहन और संचार सेवाएं	हवाई परिवहन	313	4,784.69	970.52	20.28
64.	परिवहन और संचार सेवाएं	सड़क द्वारा मालभाड़ा परिवहन	3,370	1,774.93	604.60	34.06
65.	परिवहन और संचार सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	14,673	12,913.64	4,009.04	31.04
67.	डाक और दूरसंचार सेवाएं	डाक और दूरसंचार सेवाएं	2,012	18,438.37	4,679.28	25.38
69.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक बैंक, बचत बैंक और छूट संस्थाएं	222	80,775.34	32,585.12	40.34
70.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	वाणिज्यिक ऋण क्रिया-कलाप	2,089	31,595.18	10,284.25	32.55
71.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	आवास वित्तपोषण क्रिया-कलाप	198	25,151.93	6,932.36	27.56
72.	वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	46,257	1,32,758.42	44,524.26	33.54
74.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	सॉफ्टवेयर विकास	19,005	1,22,827.43	32,794.78	26.70

क्र.सं.	क्षेत्र	उप क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या	कर पूर्व लाभ (करोड़ ₹ में)	कुल कर (करोड़ ₹ में)	प्रभावी कर दर
75.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य आईटी समर्थित सेवाएं	18,649	41,674.62	13,873.31	33.29
76.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	बीपीओ सेवाएं	2,524	5,436.83	1,716.59	31.57
77.	कम्प्यूटर और संबंधित सेवाएं	अन्य	11,843	3,995.62	1,505.49	37.68
79.	अनुसंधान एवं विकास	अनुसंधान एवं विकास	1,160	806.30	332.40	41.23
81.	पेशा	इंजीनियरी और तकनीकी परामर्शी	3,501	4,077.46	1,566.41	38.42
82.	पेशा	व्यवसाय और प्रबंधन परामर्शी क्रिया-कलाप	5,943	2,054.02	691.07	33.64
83.	पेशा	विज्ञापन	2,359	1,561.15	525.76	33.68
84.	पेशा	वास्तुकला पेशा	921	289.87	101.44	34.99
85.	पेशा	अवर्गीकृत सहित अन्य	24,648	4,302.03	1,292.57	30.05
87.	शिक्षा सेवाएं	कोचिंग केन्द्र और ट्यूशन	2,243	605.74	173.25	28.60
88.	शिक्षा सेवाएं	प्राथमिक शिक्षा	485	226.37	66.71	29.47
89.	शिक्षा सेवाएं	अवर्गीकृत सहित अन्य	5,597	1,120.54	395.02	35.25
91.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	स्पेशलिटी एवं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल	1,740	2,411.63	817.19	33.89
92.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	नैदानिक केन्द्र	1,209	917.35	301.89	32.91
93.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	3,702	756.62	243.43	32.17
94.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	सामान्य अस्पताल	1,796	637.10	192.14	30.16
95.	स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	अन्य	4,856	1,020.68	324.73	31.81
97.	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	सामाजिक और सामुदायिक कार्य	1,742	74.65	22.37	29.97
99.	संस्कृति एवं खेलकूद	टेलीविजन चैनल प्रसारण	498	7,454.32	2,201.12	29.53
100.	संस्कृति एवं खेलकूद	चलचित्र निर्माण	1,156	1,157.46	366.60	31.67
101.	संस्कृति एवं खेलकूद	अवर्गीकृत सहित अन्य	3,825	1,893.22	701.60	37.06
103.	अन्य सेवाएं	अन्य सेवाएं	1,91,410	87,202.40	30,244.89	34.68
105.	प्रदेश बाह्य संगठन और निकाय	आईएमएफ, विश्व बैंक, यूरोपीय आयोग	74	14.86	4.28	28.80
जोड़			8,41,687	15,18,224.34	4,47,744.14	29.49

एन.ई.सी. = और कहीं अवर्गीकृत नहीं

वर्ष 2017-18 और 2018-19 तक की अवधि के लिए सीमा शुल्क हेतु कर प्रोत्साहनों की राजस्व करदेयता का विवरण

माल पर सीमा शुल्क सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे सामान्यतः बुनियादी सीमा-शुल्क - बीसीडी के रूप में जाना जाता है) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत लगाया जाता है। निर्यात शुल्क को भी कतिपय मदों पर सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर लगाया जाता है।

2.1 सीमा-प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में अलग-अलग प्रशुल्क लाइनों में विनिर्दिष्ट इन दरों को सामान्यतः "प्रशुल्क दरें" कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या संबंधित वित्त अधिनियम, केंद्र सरकार को [सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) के तहत, जो कि विभिन्न वित्त अधिनियमों के तहत लगाए गए शुल्कों पर भी लागू है], अधिसूचनाओं के माध्यम से, प्रशुल्क दरों से कम दरों पर शुल्क दरें विहित करने का अधिकार प्रदान करता है। इन छूट संबंधी अधिसूचनाओं के माध्यम से विहित इन दरों को "प्रभावी दरें" कहा जाता है।

2.2 इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा जारी छूट संबंधी अधिसूचनाओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है,

(क) सशर्त छूट संबंधी अधिसूचनाएं ; और

(ख) शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचनाएं।

2.3 शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचनाओं में किसी वस्तु के लिए शुल्क की सामान्य प्रभावी दरें विहित की जाती हैं। यह दर बिना किसी शर्त के उस वस्तु के सभी आयातों पर लागू होती है। अन्य शब्दों में, ऐसी शर्तहीन छूटों में वस्तुतः किसी वस्तु के लिए एमएफएन दर विहित की जाती है।

2.4 दूसरी ओर, सशर्त छूटों में, कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उच्चतर प्रशुल्क दर या एमएफएन दर के सापेक्ष प्रभावी दरें विहित की जाती हैं। इस तरह की सशर्त अधिसूचनाएं विशिष्ट उद्देश्यों के लिए होती हैं जैसे कि घरेलू विनिर्माण, रक्षा प्रापण आदि को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे मामलों में, केवल वही आयात इन प्रभावी दरों के लिए पात्र होते हैं जो इन दरों के लिए विहित शर्तों को पूरा करते हैं। अतः इन छूटों की परिणति संबंधित प्रशुल्क, एमएफएन दर के सापेक्ष परित्यक्त राजस्व के रूप में होती है।

2.5 कतिपय छूटें कच्ची सामग्रियों के प्रापणों के लिए प्रदान की गई हैं और निर्विष्टियां निर्यात माल में जाती हैं। अतः इन छूटों में निर्यातों की शून्य दरों के लिए निर्यातों के करों को केवल निष्प्रभावी करने का प्रावधान है। निर्यातों की दरों को शून्य करने के उद्देश्य के कारण, इन रियायतों की परिणति बीसीडी छूटों के चलते परित्यक्त राजस्व के रूप में नहीं होती। तथापि, निर्यात से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से दी गई रियायतों, जिनमें शुल्क पर्चीयों (स्क्रिप्स) के द्वारा निर्यातकों को विहित दर पर प्रोत्साहन दिए जाते हैं, के परिणामस्वरूप राजस्व परित्यक्त नहीं होता क्योंकि इन पर्चीयों के माध्यम से उपलब्ध शुल्क क्रेडिट को आयातों पर देय बीसीडी के विरुद्ध प्रतिभारित किया जाता है।

3. भारत ने अनेक देशों या देशों के समूह के साथ निःशुल्क व्यापार करार, व्यापक आर्थिक साझेदारी करार, व्यापक आर्थिक सहयोग करार किए हैं। इसी तरह, भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी करार I पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन करारों के तहत, भारत ने इस तरह के करार में सम्मिलित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर करार में सम्मिलित विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर निम्न दर/छूट प्रदान करने के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध किया है। इन अधिमानी प्रशुल्कों को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से भी विहित किया गया है। राजकीय वचनबद्धताओं के रूप में दी गई ये अधिमानी प्रशुल्क इन करारों में सम्मिलित आयातों के लिए सामान्य लागू दर भी हैं।

4.1 बजट 2016-17 तक, सीमा शुल्कों पर दिए गए कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता का अनुमान सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची या संबंधित वित्त अधिनियम के तहत विहित प्रशुल्क दरों के सापेक्ष किसी भी सशर्त या शर्तहीन छूट संबंधी अधिसूचना के तहत विहित प्रभावी दर को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार लगाया गया था, -

क) जिन मामलों में प्रशुल्क और शुल्क की प्रभावी दरें यथामूल्य होती हैं, वहां-

कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता = वस्तुओं का मूल्य x (शुल्क की प्रशुल्क दर - शुल्क की प्रभावी दर)

ख) जिन मामलों में, प्रशुल्क दर यथामूल्य आधारित हैं, परंतु प्रभावी शुल्क विनिर्दिष्ट है, वहां

कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता = (वस्तुओं का मूल्य x शुल्क की प्रशुल्क दर) - (वस्तुओं की मात्रा x विनिर्दिष्ट शुल्क की प्रभावी दर)

ग) जिन मामलों में, प्रशुल्क दरें और प्रभावी दरें यथामूल्य दरों और विनिर्दिष्ट दरों का संयुक्त रूप हैं, वहां कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता तदनुसार परिकलित की जाती है।

4.2 तथापि, इस पद्धति के परिणामस्वरूप कर प्रोत्साहनों की राजस्व देयता का अधिक अनुमान लग जाता है, क्योंकि इसमें शर्तहीन और सशर्त छूटों को समान माना जाता है। जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है, चूंकि शर्तहीन छूटों और राजकीय वचनबद्धताओं के रूप में दी गई छूटों में वस्तुतः संबंधित वस्तु के लिए एमएफएन दरें (प्रभावी दर) विहित की जाती हैं, इसलिए कर रियायतों की राजस्व देयता का अधिक उपयुक्त अनुमान सशर्त छूटों के कारण होने वाले परित्यक्त राजस्व के रूप में होगा।

4.3 इसके अतिरिक्त, इस पद्धति में क्रेडिट पर्ची के माध्यम से निर्यात प्रोत्साहनों के द्वारा पड़ा राजस्व प्रभाव शामिल नहीं था, जिसका उपयोग कर के भुगतान के लिए किया जा सकता था (जैसाकि ऊपर पैरा 2.5 में चर्चा की गई) जिसके परिणामस्वरूप कम राजस्व प्रभाव का अनुमान लगाया गया।

4.4 बजट 2018-19 के लिए लगाए गए अनुमानों में कर निष्प्रभाव स्कीमों की वजह से आयातों पर राजस्व प्रभाव गलत पूर्वानुमान से बीसीडी छूटों के कारण समग्र राजस्व प्रभाव में से असावधानीवश दो बार घटा दिया गया। इस प्रकार, वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित राजस्व प्रभाव के आंकड़ों में चूक हो गई।

5. वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (अनंतिम) के लिए राजस्व प्रभाव का आकलन:

छूट संबंधी विभिन्न अधिसूचनाओं के अंतर्गत कुल राजस्व प्रभाव का अनुमान इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय के विभिन्न स्थलों पर भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा विनिमय प्रणाली (आईसीईएस) में आयातकों द्वारा दायर प्रविष्टि बिलों में से सृजित आंकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। आईसीआई से इतर आयातों के कारण कितना राजस्व छोड़ दिया गया है, यह ज्ञात करने के लिए बहिर्वेशन किया गया है, जो कुल आयातों का लगभग 7% होता है।

6.1 उपर्युक्त कार्यपद्धति के आधार पर, वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 (अनंतिम) के लिए सीमा-शुल्क पर कर रियायतों का राजस्व प्रभाव निम्नवत है:

सारणी I ** : मूलभूत सीमा-शुल्क के कारण कर रियायतों का राजस्व प्रभाव

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सूत्र	राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अनंतिम)
क.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार भाड़ा दर की अपेक्षा कम अलग अलग दरों पर बीसीडी संग्रहण के कारण	-	195770	199518
ख.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार शर्तरहित/तकनीकी बीसीडी छूटों के कारण	-	145428	130748
ग.	ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईसीए/सीईपीए के कारण (सारणी II का संदर्भ लें)	-	21780	37632
घ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण ईडीआई स्थलों के अनुसार (सारणी III का संदर्भ लें)	-	28562	31138
ङ.	सशर्त बीसीडी छूटों के कारण परित्यक्त राजस्व - ईडीआई + गैर-ईडीआई स्थल	डीx100/एफ*	30811	33338
च.	आदान कर निष्प्रभाव स्कीम के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	18584	24702
छ.	निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव (सारणी IV का संदर्भ लें)	-	22893	41018
ज.	निवल परित्यक्त शुल्क	ङ + छ	53704	74356

* "एफ" बहिर्वेशन कारक है जो वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए क्रमशः 92.7 और 93.4 है।

** संशोधित कार्यपद्धति पर आधारित (पैरा 5 का संदर्भ लें)

6.2 वर्ष 2017-18 तथा 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा निम्नानुसार है (ऊपर सारणी I में क्र.स. ग का संदर्भ लें) :-

सारणी - II एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	एफटीए/पीटीए/सीईपीए/सीईसीए देश/क्षेत्र	राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अनंतिम)
1	आशियान देशों से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	12042	25718
2	कोरिया से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	6695	7327
3	जापान से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	2592	4053
4.	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के लिए सीमा-शुल्क की रियायती दर के कारण	431	500
5.	अन्य	20	34
	कुल	21780	37632

6.3 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा (ऊपर सारणी I में क्र.सं.घ. का संदर्भ ले) निम्नवत है: -

सारणी - III सशर्त बीसीडी छूटों के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	शीर्ष	(₹ करोड़)	
		राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अंतिम)
1	मोबाइल फोन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट वस्तुओं को छूट दिए जाने के कारण	3075	8600
2	उपहार स्वरूप विविध वस्तुओं जैसे कि निदर्शों आदि की छूट दिए जाने के कारण	3433	4249
3	खनिज ईंधनों, खनिज तेल आदि को बीसीडी छूटों के कारण	499	1122
4	सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अथवा सरकारी विभाग आदि द्वारा आयातित अनुसंधान संबंधी उपकरणों को छूट दिए जाने के कारण	518	260
5	छूट दिए जाने तथा अन्य मदों (क्र. सं. 1 से 4 में उल्लिखित से अन्य) के लिए प्रभावी दरों के कारण	21037	16907
	कुल	28562	31138

6.4 वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए ईडीआई आंकड़ों के अनुसार निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव का ब्यौरा (ऊपर सारणी I में क्र.सं. च और छ का संदर्भ ले) निम्नवत है: -

सारणी - IV निर्यात संवर्धन स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव

क्र.सं.	स्कीम का नाम	(₹ करोड़)	
		राजस्व प्रभाव (2017-18)	राजस्व प्रभाव (2018-19) (अंतिम)
1.	उन्नत लाइसेंस स्कीम	11057	15075
2	ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजेड	4687	5734
3	ईपीसीजी	2445	3220
4	शुल्क मुक्त आयात अनुमोदन स्कीम	395	673
5	शुल्क मुक्त हकदारी ऋण प्रमाणपत्र	188	140
6	सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम	2384	3756
7	फोकस बाजार/उत्पाद स्कीम	500	507
8	इंडिया स्कीम से वाणिज्यिक वस्तु का निर्यात	19821	36615
9	कुल	41477	65720
10	क्र. सं. 5 से 8 पर उल्लिखित निर्यात संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों पर राजस्व प्रभाव	22893	41018
11	आदान कर निष्प्रभावन अथवा छूट स्कीमों के कारण राजस्व प्रभाव	18584	24702

राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत तथा उपयोग
31 मार्च, 2019 के अनुसार

(₹ करोड़)

विवरण	वास्तविक 2017-2018	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-2020
क. निधियों के स्रोत :			
लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत जमा राशियां :			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	504262.77	588291.21	708287.87
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	84028.44	119996.66	129918.14
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	197770.59	205535.90	217354.90
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	7765.31	11819.00	12739.79
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	430456.92	495777.04	554859.58
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	65320.12	59082.54	62337.36
कुल जमा राशियां	1289604.15	1480502.35	1685497.64
ख. निधियों का उपयोग :			
31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष			
राशियों के प्रति केंद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	64569.19	64569.19	64569.19
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
1.4.1999 से संग्रहणों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	66002.60	134969.55	206969.55
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	75000.00	85533.00	88944.24
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-6033.05	-13533.00	-22268.32
1.4.1999 से संग्रहणों में से राज्य			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	538651.47	507245.25	476711.31
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	9161.58	12000.00	14000.00
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन	-40567.80	-42533.94	-44955.76
प्रतिभूतियों के मोचन से प्राप्त राशियों में से केन्द्र			
सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में पुनर्निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	250719.50	284380.50	337380.50
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	33661.00	53000.00	63324.08
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों का मोचन
भारतीय खाद्य निगम में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	70000.00	121000.00	94000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	65000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	-14000.00	-27000.00	-27000.00
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधीकरण			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	20000.00	40000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	20000.00	20000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
एयर इंडिया में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	3000.00	...
वर्ष के दौरान वृद्धि	3000.00	2636.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां	...	-5636.00	...
वीएमटीपीसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	8000.00	8000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	8000.00
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
आईआरएफसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	...	10000.00	17500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	10000.00	7500.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
पीएफसी में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	7500.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	7500.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
आरईसी लि. में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	5000.00
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	5000.00	...
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
अन्य सरकारी एजेंसियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार अथ शेष	112699.11
वर्ष के दौरान वृद्धि	...	112699.11	136483.67
घटाइए : वर्ष के दौरान अदायगियां
कुल निवेश	1153164.49	1370329.66	1578857.57
संचित अधिशेष आय(-)/व्यय (+) लेखा	107637.84	110172.69	106640.08
नकद शेष	28801.82	...	-0.01
जोड़	1289604.15	1480502.35	1685497.64

1. भारत सरकार के ऋण की स्थिति

भारत सरकार के बकाया आंतरिक और विदेशी ऋण और अन्य देनदारियों की राशि 2018-2019 (सं.अ.) के अंत के 90,56,725.48 करोड़ रुपए की तुलना में 2019-20 के अंत में 98,67,921.44 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। विस्तृत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को
आंतरिक ऋण और अन्य देनदारियां	87,97,766.30	95,99,652.26
विदेशी ऋण	2,58,959.18	2,68,269.18
जोड़	90,56,725.48	98,67,921.44

(₹ करोड़)

आंतरिक कर्ज के अंतर्गत खुले बाजार में जुटाए गए ऋण, क्षतिपूर्ति तथा अन्य बांड इत्यादि शामिल हैं। इसमें राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों और अन्य निवेशकों के नाम जारी की गई राजकोषीय हुंडियों सहित राजकोषीय हुंडियों के जरिए उधार तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के नाम जारी की गई अपरक्राम्य, निर्याज रुपया प्रतिभूतियां भी शामिल हैं। पहली पंचवर्षीय योजना के आरंभ में, और वर्ष 2014-15 से लेकर वर्ष 2017-18 तक के प्रत्येक वर्ष के अंत में बकाया सरकारी ऋण तथा जिसके 2018-19 और 2019-2020 के अंत में बकाया रहने का अनुमान था, का विश्लेषण देनदारी विवरण में दिया गया है। आंतरिक और विदेशी कर्ज दोनों के अंतर्गत बकाया राशियां सरकार की देनदारी को प्रदर्शित करती हैं जैसा कि बकाया कर्ज के अंकित मूल्य में दिखाया गया है। विदेशी देनदारियों के बकाया स्टॉक का अंकन परम्परागत विनिमय दरों पर किया जाता है जिस पर देयता का हिसाब चालू विनिमय दरों पर की गई वापसी-अदायगी को घटाने के बाद प्रारंभिक तौर पर लेखा बही में लिया गया था।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं, भविष्य निधियों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और राष्ट्रीयकृत बैंकों, तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और भारतीय खाद्य निगम को जारी की गई प्रतिभूतियों, विशेष जमा योजनाओं के अंतर्गत जमा रकमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों आदि की मूल्यहास और अन्य सब्याज प्रारक्षित निधियों आदि स्थानीय निधियों की जमा राशियों और सिविल जमा रकमों की बकाया राशियों की वापसी-अदायगी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी देनदारियों का ब्यौरा देनदारियों के विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2017-2018 के अंत में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियों की स्थिति जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली, 2004 के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, गारंटी संबंधी विवरण में दी गयी है।

दिनांक 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्ति रजिस्टर के विवरण, जिसकी व्यवस्था एफआरबीएम नियमावली के नियम 6 के अन्तर्गत की गयी है, को भी शामिल किया गया है।

परिसम्पत्तियों के विवरण में सरकार द्वारा जुटाई गई उसी धनराशि को दिखाया गया है जो परिसम्पत्ति निर्माण प्रयोजनों हेतु प्रयोग की गई है। इन परिसम्पत्तियों को अंकित मूल्य में भी दिखाया गया है, अर्थात् इसमें चालू बाजार दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों के मूल्य में हास/वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है। इस विवरण में केवल वैसी परिसम्पत्तियां शामिल हैं, जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हैं और इसमें वैसी परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार की सहायता/अनुदान से राज्य सरकारों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा सृजित किया गया है।

1 (i) केन्द्रीय सरकार की देनदारियों का विवरण

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित	बजट
	1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
क लोक ऋण	2054.33	4935804.80	5515097.55	5969968.10	6651365.15	7372308.53	8059841.21
1. आंतरिक ऋण	2022.30	4738291.03	5304835.44	5741709.39	6401274.97	7113349.35	7791572.03
(i) बाजार ऋण (विवरण 2)	1444.95	3891734.04	4298783.99	4649486.99	5068407.97	5497274.89	5932396.90
(ii) विपणन योग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2)	358.02	67817.95	64817.95	64817.95	56154.20	50024.20	38024.20
(iiक) पीएसबी को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2उ)	80000.00	186000.00	256000.00
(iiख) एग्जिम बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2ड)	4500.00	5050.00
(iii) भारतीय रिजर्व बैंक को जारी अन्य विशेष प्रतिभूतियां	...	1489.28	1489.28
(iv) क्षतिपूर्ति और अन्य बांड	6.73	13440.43	12446.11	25108.06	51209.00	75507.07	105943.47
(v) 14-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	85678.37	121127.23	156569.67	151038.42	151038.42	151038.42
(vi) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	128961.47	132854.71	106840.05	138725.92	95334.69	116336.19
(vii) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	77337.37	77806.97	85436.30	86871.86	120552.09	122601.93
(viii) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां	...	143152.18	154033.20	142525.75	159685.00	194396.00	196344.66
(ix) अर्थोपाय अग्रिम
(x) नकद प्रबंधन हुंडियां
(xi) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां	212.60	46395.07	106726.17	108739.65	104369.68	108909.07	108023.33
(xii) लघु बचतों के मुकाबले प्रतिभूतियां	...	261391.19	313856.15	381291.29	483919.24	608919.24	738919.24
(xiii) पीओएलआईएफ के तहत शेष के प्रतिभूतिकरण के मुकाबले निर्गमित विशेष प्रतिभूतियां (विवरण 2घ)	...	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68	20893.68
2. विदेशी ऋण*	32.03	197513.77	210262.11	228258.71	250090.18	258959.18	268269.18
ख. अन्य देनदारियां	811.07	1306716.12	1386873.72	1466093.21	1583812.04	1684716.95	1808380.23
1 राष्ट्रीय लघु बचत निधि	336.87	646895.29	701368.61	751198.99	805684.91	871583.11	946578.40
2 राज्य भविष्य निधियां	95.05	155334.26	167192.59	184938.01	200736.68	217736.68	235736.68
3 अन्य खाते	16.10	315629.59	319800.04	321856.76	324632.47	341205.67	359038.89
(i) सब्सिडियों के बदले विशेष प्रतिभूतियां (ओएमसी, उर्वरक कंपनियां और एफसीआई)	...	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90	162827.90
(ii) अन्य मदें	16.10	152801.69	156972.14	159028.86	161804.57	178377.77	196210.99
4 प्रारक्षित निधियां और जमा राशियां	363.05	188856.98	198512.48	208099.45	252757.98	254191.49	267026.26
(i) सब्याज	260.85	108767.34	124239.65	128981.16	143908.34	153599.75	159381.34
(ii) निर्व्याज	102.20	80089.64	74272.83	79118.29	108849.64	100591.74	107644.92
जोड़-देनदारियां	2865.40	6242520.92	6901971.27	7436061.31	8235177.19	9057025.48	9868221.44
विभाजन-पूर्व ऋण में पाकिस्तान द्वारा देय रकम का हिस्सा (लगभग)	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00	-300.00
केन्द्रीय सरकार की निवल देनदारियां	2565.40	6242220.92	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9056725.48	9867921.44
देनदारियों की अपेक्षा पूंजी परिचय्य और ऋणों का आधिक्य							
जोड़ (निवल)	2565.40	6242220.92	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9056725.48	9867921.44

* शेष राशियां बही मूल्य के अनुसार हैं।

टिप्पणी : उपर्युक्त के अतिरिक्त वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में बजट बाह्य संसाधनों की वजह से सरकारी देनदारियां (सरकारी पूर्ण शोधित बांड) ₹88454.10 करोड़ रुपए था, जो जीडीपी की 0.47 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2019-20 में, इस खाते पर अतिरिक्त देनदारियां ₹57,004 करोड़ अनुमानित हैं, जो जीडीपी का लगभग 0.27 प्रतिशत है।

**1 (ii) परिसम्पत्तियों का विवरण
(केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश और ऋण)**

(₹ करोड़)

के अन्त में :

	लेखे					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
	1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
क. पूंजी परिव्यय							
1. सामान्य सेवाएं	496.74	826737.45	918481.95	1017844.99	1124374.28	1235994.19	1353948.29
(i) रक्षा सेवाएं	260.93	745138.67	825113.98	911467.90	1001913.13	1095905.26	1199299.57
(ii) अन्य सामान्य सेवाएं	235.81	81598.78	93367.97	106377.09	122461.15	140088.93	154648.72
2. सामाजिक सेवाएं	26.25	42914.92	48321.73	53618.59	63234.41	73646.76	83333.67
3. आर्थिक सेवाएं	965.02	793128.05	973865.97	1114455.31	1321699.44	1524972.74	1672075.41
(i) कृषि और संबद्ध कार्यक्रम	7.78	14283.27	14781.70	16332.96	20345.24	23524.27	26391.43
(ii) ग्रामीण विकास	...	75.59	79.29	84.25	88.60	88.60	88.60
(iii) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	...	4624.02	4881.93	5265.96	5468.32	13264.80	22375.31
(iv) जल और विद्युत विकास	5.59	63035.12	64467.77	66852.32	68531.11	72692.14	75541.57
(क) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	5.59	577.71	692.49	795.53	1084.06	1371.31	1685.58
(ख) ऊर्जा	...	62457.41	63775.28	66056.79	67447.05	71320.83	73855.99
(v) उद्योग और खनिज	34.34	64696.40	67878.16	70260.06	74273.26	82722.20	89180.84
(vi) परिवहन	830.40	377794.59	446835.16	539234.06	639111.37	760653.78	894936.84
(क) रेलवे	817.93	231712.23	266906.54	312091.06	355503.68	408104.00	473867.64
(ख) अन्य परिवहन सेवाएं	12.47	146082.36	179928.62	227143.00	283607.69	352549.78	421069.20
(vii) संचार	49.98	16213.40	19761.55	23238.60	27745.87	31309.83	36274.08
(क) डाक सेवाएं	49.98	3312.54	3647.71	3877.16	4515.41	4985.85	5540.38
(ख) दूरसंचार सेवाएं	...	4719.38	4719.38	4719.38	4719.39	4719.39	4719.39
(ग) अन्य संचार सेवाएं	...	8181.48	11394.46	14642.06	18511.07	21604.59	26014.31
(viii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	...	27362.18	31401.92	36631.55	42005.69	49218.56	57908.60
(ix) सामान्य आर्थिक सेवाएं	36.93	225043.48	323778.49	356555.55	444129.98	491498.56	469378.14
4. संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरण	1569.77	3258.10
कुल जोड़	1488.01	1662780.42	1940669.65	2185918.89	2509308.13	2836183.46	3112615.47
(ख) केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण							
राज्य सरकारें	195.58	147166.80	148217.38	153463.12	157922.00	172977.67	181205.10
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें	...	4054.50	4067.10	4084.24	4089.43	3777.01	3634.88
विदेशी सरकारें	0.01	9210.62	12034.59	12920.15	13433.02	13580.18	14277.01
राष्ट्रीय लघु बचत निधि के अधीन राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	...	543498.81	571048.80	538651.47	507245.25	476711.31	445755.55
अन्य लिखतों में राष्ट्रीय लघु बचत निधि का निवेश	...	1500.00	...	70000.00	162000.00	284699.11	394182.78
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को हानियां	...	90707.56	104216.89	100993.92	107637.84	110172.69	106640.08
सरकारी क्षेत्र के उद्यम, रेलवे विकास और राजस्व प्रारक्षित निधि, प्रारक्षित निधि, पत्तन न्यास, नगरपालिकाएं तथा सांविधिक निकाय, सहकारी और शैक्षणिक संस्थाएं, विस्थापित व्यक्तियों और निजी संस्थाओं आदि को	24.58	95760.77	97387.77	104630.23	111249.33	126246.79	142761.10
सरकारी कर्मचारियों को	0.51	451.61	331.02	194.25	95.23	20.23	-54.77
जोड़	220.68	892350.67	937303.55	984937.38	1063672.10	1188184.99	1288401.73
कुल जोड़ (पूंजी परिव्यय तथा केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण)	1708.69	2555131.09	2877973.20	3170856.27	3572980.23	4024368.45	4401017.20
पूंजी परिव्यय तथा दिए गए ऋण की तुलना में देनदारियों का आधिक्य	856.71	3687089.83	4023698.07	4264905.04	4661896.96	5032357.03	5466904.24
जोड़	2565.40	6242220.92	6901671.27	7435761.31	8234877.19	9056725.48	9867921.44

1 (iii) सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अंतर्गत विवरण

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18 के अंत की स्थिति के अनुसार)
 (₹ करोड़)

श्रेणी	मंत्रालय/विभाग	वर्ष के दौरान गारंटीशुदा अधिकतम राशि	वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां (वर्ष के दौरान आवेदित राशि से भिन्न)		वर्ष के दौरान आवेदित	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा शुल्क	अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					चुकाई गई	नहीं चुकाई गई		प्राप्य	प्राप्त		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज का भुगतान; नकद ऋण की सुविधा, मौसमी कृषि कार्यों के लिए वित्त पोषण और अथवा कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों के लिए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	19037.00 (2)	4036.00 (2)	15001.00	19037.00 (2)
	वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग	17028.31 (16)	16756.62 (16)	271.69	265.90	16762.41 (16)	67.10	67.12	...
	वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग	800.00 (1)	800.00 (1)	800.00 (1)	2.03	2.03	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	54495.00 (2)	54495.00 (2)	...	45000.00 (1)	9495.00 (1)
	भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग विभाग	253.00 (3)	253.00 (3)	...	253.00 (3)
	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	262.00 (1)	262.00 (1)	...	13.00	249.00 (1)	78.10
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय भे-नज विभाग	1117.23 (9)	1102.56 (9)	14.67	1117.23 (9)	81.47
	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	2.59
जोड़	92992.54 (34)	77705.18 (34)	15287.36 (0)	45531.90 (4)	47460.64 (30)	231.29	69.15	...	
2. शेयर पूँजी की वापसी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश के भुगतान और सांविधिक निगमों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी अथवा जुटाए गए बांडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की वापसी अदायगी के लिए प्रदान की गई गारंटियां।	रसायन और उर्वरक मंत्रालय रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	250.00 (2)	250.00 (2)	...	250.00 (2)	2.50
	विद्युत मंत्रालय	7000.00 (2)	7000.00 (2)	7000.00 (2)	70.00	70.00	...
	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	13000.00 (2)	13000.00 (2)	13000.00 (2)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. केंद्र सरकार की कंपनियों या निगमों द्वारा बकाया और यथासमय भुगतान करने के लिए रेलवे को प्रदान की गई गारंटियां।		
6. उपर्युक्त पांच श्रेणियों से इतर अन्य गारंटियां		
कुल जोड़			431931.53 (344)	366188.70 (316)	65742.83 (28)	51758.73 (11)	380172.80 (333)	2161.96	1020.75	...

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े गारंटियों की संख्या को इंगित करते हैं।

टिप्पणी:

- उपर्युक्त आंकड़े मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथा सूचित महालेखा नियंत्रक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित हैं। ये आंकड़े बाद के रिकार्ड मिलान के कारण परिवर्तनों द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। दिनांक 31.3.2017 को प्राप्ति बजट 2018-19 में श्रेणी 2 के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के समक्ष बकाया राशि के रूप में दर्शाए गए ₹13000 करोड़ के आंकड़े को नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षा के कार्यालय द्वारा मिला लिया गया है और अब इसे उपभोक्ता मामले मंत्रालय के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के समक्ष दर्शाया गया है।
- वर्ष 2017-2018 के लिए निवल गारंटी संचय ₹ 13,984.10 करोड़ (कॉलम 5-कॉलम 6) है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹65742.83 करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी जो वर्ष 2017-2018 (अं.अ.) के लिए बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. का 0.39 प्रतिशत है।
- वित्त मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए (31.03.2019 तक) ₹ 57,761.57 करोड़ की गारंटियों को वचनबद्ध/अनुमोदित किया गया है जो वर्ष 2018-19 में अनुमानित स.घ.उ. का 0.31% है तथा यह 0.5% की सीमा के भीतर है।
- गारंटियां ऋण की अवधि तक वैध हैं और तत्संबंधी गारंटी करार में यथाउल्लिखित अनुबंध व शर्तों के अधधीन निकाय द्वारा ऋण की पुनः अदायगी की सीमा तक आंशिक रूप से समाप्त हो जाएंगी।

1 (iv) परिसम्पत्ति रजिस्टर
राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2004 के नियम 6 के अधीन

(रिपोर्टिंग वर्ष 2017-18, के अंत की स्थिति के अनुसार)
लागत (₹ करोड़)

	2017-18 के आरंभ में परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के दौरान अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	वर्ष 2017-18 के अंत में परिसम्पत्तियां का संचयी योग
वास्तविक परिसम्पत्तियां:			
भूमि	352661.33	4228.35	356889.67
भवन			
कार्यालय	34749.89	2231.41	36981.30
रिहायशी	17554.65	505.68	18060.33
सड़कें	12143.34	132.94	12276.28
पुल	11900.91	48.83	11949.74
सिंचाई परियोजनाएं	1320.81	15.37	1336.18
विद्युत परियोजनाएं	606.26	73.39	679.65
अन्य पूंजीगत परियोजनाएं	3741.33	557.48	4298.81
मशीनरी और उपस्कर	41537.15	1297.73	42834.89
कार्यालय उपस्कर	3181.53	291.93	3473.46
वाहन	2287.77	193.62	2481.39
जोड़	481684.96	9576.73	491261.69
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
इक्विटी निवेश			
शेयर	226416.88	104375.12	330792.00
बोनस शेयर	597.32	0.00	597.32
ऋण और अग्रिम			
राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण	3567.86	-18.74	3549.12
विदेशी सरकारों को ऋण	13501.10	575.94	14077.04
कम्पनियों को ऋण	71804.53	-2733.45	69071.08
अन्य को ऋण	50331.12	10513.56	60844.68
अन्य वित्तीय निवेश			
रेलवे	301387.88	43558.86	344946.74
अन्य	194588.01	549.96	195137.97
जोड़	862194.69	156821.25	1019015.95
कुल जोड़	1343879.66	166397.98	1510277.64

टिप्पणियां:

- 2 लाख की अधिकतम मूल्य वाली उपर्युक्त आस्तियों को ही दर्ज किया गया है।
- राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली के अनुसार इस प्रकटन विवरण में मंत्रिमंडल सचिवालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, रक्षा मंत्रालय, अंतर्निहित और परमाणु ऊर्जा विभाग की परिसम्पत्तियां शामिल नहीं हैं।
- संबंधित मंत्रालयों/विभागों की रिपोर्टों के आधार पर संकलित ये आंकड़े अन्य बातों के साथ-साथ परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन और आंकड़े संगृहीत करने में सुधारों से संबंधित किसी चालू परिसमापन/न्याय निर्णयन/प्रशासनिक निर्णयों से प्रभावित हो सकते हैं। पिछले रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में समापन शेष और रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अथ शेष के बीच अंतर मुख्यतया औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (₹2,522 करोड़) में कुछ वित्तीय आस्तियों के अथ शेष में संशोधन और आवास और शहरी मामले मंत्रालय (₹1,651 करोड़) द्वारा यथासूचित दरों के संशोधन के कारण भूमि के लागत मूल्य में वृद्धि के कारण है।

2 - केन्द्रीय सरकार के चालू रुपया ऋणों का ब्यौरा

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
3.00% ऋण, 1951-54	15.09.1951	86.73	
3.00% ऋण, 1953-55	15.07.1953	114.60	
2.25% ऋण, 1954	15.11.1954	35.06	
3.50% ऋण, 1954-59	15.12.1954	12.87	
4.50% ऋण, 1955-60	15.09.1955	9.06	
2.50% ऋण, 1955	01.10.1955	60.45	
3.00% विजय ऋण, 1957	01.09.1957	114.07	
4.50% ऋण, 1958-68	01.06.1958	5.85	
3.00% द्वितीय विजय ऋण, 1959-61	15.08.1959	113.66	
2.75% ऋण, 1960	15.07.1960	45.63	
4.00% ऋण, 1960-70	15.09.1960	63.30	
2.50% ऋण, 1961	01.08.1961	57.01	
2.75% ऋण, 1962	15.11.1962	75.87	
3.00% ऋण, 1963-65	01.06.1963	116.17	
3.00% ऋण, 1964	15.06.1964	30.33	
3.00% निधियन ऋण, 1966-68	01.10.1966	110.12	
3.00% प्रथम विकास ऋण, 1970-75	15.10.1970	115.06	
2.75% ऋण, 1976	16.09.1976	14.77	
10.79% सरकारी स्टॉक, 2015	19.05.2015	...	999.38	
11.50% ऋण, 2015	21.05.2015	...	1899.16	
6.49% सरकारी स्टॉक, 2015	08.06.2015	...	36105.05	
7.17% सरकारी स्टॉक, 2015	14.06.2015	...	33071.82	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015	02.07.2015	...	6000.00	
11.43% सरकारी स्टॉक, 2015	07.08.2015	...	7204.30	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2015 II	10.08.2015	...	6000.00	
7.38% सरकारी स्टॉक, 2015	03.09.2015	...	42648.75	
9.85% सरकारी स्टॉक, 2015	16.10.2015	...	7437.79	
7.59% सरकारी स्टॉक, 2017	12.04.2016	...	68000.00	35149.48	
10.71% सरकारी स्टॉक, 2017	19.04.2016	...	9000.00	8464.95	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2016	07.05.2016	...	6000.00	6000.00	
5.59% सरकारी स्टॉक, 2016	04.06.2016	...	6000.00	6000.00	
12.30% सरकारी स्टॉक, 2016	02.07.2016	...	13129.85	13129.85	
7.02% सरकारी स्टॉक, 2016	17.08.2016	...	52200.00	38093.26	
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	15.01.2017	...	69000.00	66964.80	
7.49% सरकारी स्टॉक, 2017	16.04.2017	...	53000.00	53000.00	31767.33	
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2017	02.07.2017	...	3000.00	3000.00	3000.00	
8.07% सरकारी स्टॉक, 2017	03.07.2017	...	50000.00	50000.00	27240.44	
7.99% सरकारी स्टॉक, 2017	09.07.2017	...	71000.00	71000.00	35384.64	
7.46% सरकारी स्टॉक, 2017	28.08.2017	...	57886.80	57886.80	37327.07	
6.25% सरकारी स्टॉक, 2018	02.01.2018	...	10886.80	10886.80	10886.80	
7.83% सरकारी स्टॉक, 2018	11.04.2018	...	73000.00	73000.00	73000.00	40518.39	...	
8.24% सरकारी स्टॉक, 2018	22.04.2018	...	75000.00	75000.00	75000.00	27203.80	...	
10.45% सरकारी स्टॉक, 2018	30.04.2018	...	3716.00	3716.00	3716.00	3716.00	...	
5.69% सरकारी स्टॉक, 2018	25.09.2018	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...	
12.60% सरकारी स्टॉक, 2018	23.11.2018	...	12631.88	12631.88	12631.88	12631.88	...	
5.64% सरकारी स्टॉक, 2019	02.01.2019	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	...	
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	02.02.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	...	
7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	...	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	53000.00	
6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	...	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	
6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	...	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	42840.00	
10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	
6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	
8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	...	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	74000.00	
6.65% सरकारी स्टॉक, 2020	09.04.2020	43545.96	
10.70% सरकारी स्टॉक, 2020	22.04.2020	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	
7.80% सरकारी स्टॉक, 2020	03.05.2020	...	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	
8.27% सरकारी स्टॉक, 2020	09.06.2020	...	61000.00	73000.00	73000.00	73000.00	73000.00	

(₹ करोड़)

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2020	21.12.2020	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.12% सरकारी स्टॉक, 2020	10.12.2020	...	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00	76000.00
11.60% सरकारी स्टॉक, 2020	27.12.2020	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.80% सरकारी स्टॉक, 2021	11.04.2021	...	68000.00	48000.00	66000.00	66000.00	67492.66	67492.66
7.94% सरकारी स्टॉक, 2021	24.05.2021	...	49000.00	49000.00	49425.00	49425.00	49425.00	49425.00
10.25% सरकारी स्टॉक, 2021	30.05.2021	...	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32	26213.32
8.79% सरकारी स्टॉक, 2021	08.11.2021	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.20% सरकारी स्टॉक, 2022	15.02.2022	...	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00	56000.00
8.35% सरकारी स्टॉक, 2022	14.05.2022	...	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00	77000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2022	11.06.2022	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
8.08% सरकारी स्टॉक, 2022	02.08.2022	...	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00	66000.00
8.13% सरकारी स्टॉक, 2022	21.09.2022	...	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00
6.84% सरकारी स्टॉक, 2022	19.12.2022	26000.00	87000.00	99000.00	99000.00
6.30% सरकारी स्टॉक, 2023	09.04.2023	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
7.37% सरकारी स्टॉक, 2023	16.04.2023	39987.81	39987.81
7.16% सरकारी स्टॉक, 2023	20.05.2023	...	77000.00	77000.00	77100.00	77100.00	77100.00	77100.00
6.17% सरकारी स्टॉक, 2023	12.06.2023	...	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2023	25.11.2023	...	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00	83000.00
7.68% सरकारी स्टॉक, 2023	15.12.2023	65132.01	88132.01	88132.01	88132.01	88132.01
7.35% सरकारी स्टॉक, 2024	22.06.2024	...	10000.00	65168.02	90168.02	90168.02	90168.02	90168.02
8.40% सरकारी स्टॉक, 2024	28.07.2024	...	76000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2024	07.11.2024	43730.00	110965.03	116965.03	116965.03
9.15% सरकारी स्टॉक, 2024	14.11.2024	...	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00	92000.00
7.72% सरकारी स्टॉक, 2025	25.05.2025	86000.00	86000.00	86000.00	90031.81	90031.81
8.20% सरकारी स्टॉक, 2025	24.09.2025	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2026	11.01.2026	23000.00	87000.00	87000.00	119000.00	119000.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2026	09.07.2026	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.97% सरकारी स्टॉक, 2026	06.09.2026	76000.00	91000.00	91578.39	91578.39
10.18% सरकारी स्टॉक, 2026	11.09.2026	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.15% सरकारी स्टॉक, 2026	24.11.2026	...	65489.20	86489.20	86489.21	86489.21	86489.21	86489.21
8.24% सरकारी स्टॉक, 2027	15.02.2027	...	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	96000.00	96000.00
6.79% सरकारी स्टॉक, 2027	15.05.2027	121000.00	121000.00	121000.00
8.26% सरकारी स्टॉक, 2027	02.08.2027	...	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00	72000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2027	21.09.2027	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
7.17% सरकारी स्टॉक, 2028	08.01.2028	33000.00	103000.00	103000.00
6.01% सरकारी स्टॉक, 2028	25.03.2028	...	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00
8.60% सरकारी स्टॉक, 2028	02.06.2028	...	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00	84000.00
6.13% सरकारी स्टॉक, 2028	04.06.2028	...	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00
7.26% सरकारी स्टॉक, 2029	14.01.2029	4000.00	4000.00
7.59% सरकारी स्टॉक, 2029	20.03.2029	33000.00	88000.00	96236.79	96236.79	96236.79
6.79% सरकारी स्टॉक, 2029	26.12.2029	36895.11	118801.13	118801.13	118801.13
7.88 % सरकारी स्टॉक, 2029	19.03.2030	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00	89000.00
7.61% सरकारी स्टॉक, 2030	09.05.2030	85000.00	85000.00	85000.00	85000.00
9.20% सरकारी स्टॉक, 2030	30.09.2030	...	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55	61884.55
8.97% सरकारी स्टॉक, 2030	05.12.2030	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
6.68% सरकारी स्टॉक, 2031	17.09.2031	85251.70	93251.70	93251.70
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2031	07.12.2031	43000.00	43000.00
8.28% सरकारी स्टॉक, 2032	15.02.2032	...	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00	88000.00
8.32% सरकारी स्टॉक, 2032	02.08.2032	...	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00	87000.00
7.95% सरकारी स्टॉक, 2032	28.08.2032	...	59000.00	89000.00	89000.00	89000.00	98000.00	98000.00
8.24% सरकारी स्टॉक, 2033	10.11.2033	...	25000.00	87000.00	87275.00	87275.00	91275.00	91275.00
6.57% सरकारी स्टॉक, 2033	05.12.2033	10000.00	47000.00	64655.89	64655.89
7.50% सरकारी स्टॉक, 2034	10.08.2034	...	60000.00	60000.00	90000.00	90000.00	99101.13	99101.13
7.73% सरकारी स्टॉक, 2034	19.12.2034	20000.00	62000.00	98000.00	100000.00	100000.00
भारत सरकार के अस्थायी दर वाले बांड, 2035	25.01.2035	...	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
7.40% सरकारी स्टॉक, 2035	09.09.2035	...	52000.00	52000.00	52245.00	53245.00	88245.00	88245.00
8.33% सरकारी स्टॉक, 2036	07.06.2036	...	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00	86000.00
6.83% सरकारी स्टॉक, 2039	19.01.2039	...	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2040	02.07.2040	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.83% सरकारी स्टॉक, 2041	12.12.2041	...	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00
8.30% सरकारी स्टॉक, 2042	31.12.2042	...	90000.00	90000.00	90000.00	104529.44	104529.44	104529.44
9.23% सरकारी स्टॉक, 2043	23.12.2043	...	76472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28	79472.28

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2च - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

(₹ करोड़)

ऋण का नाम	परिपक्वता की सबसे प्रारम्भिक तारीख	वर्षान्त में यथा-विद्यमान					संशोधित 2018-2019	बजट 2019-2020
		1950-1951	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018		

2ड - तेल विपणन कम्पनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.13% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	16.10.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
7.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	28.11.2021	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	10.11.2023	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
8.01% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	15.12.2023	...	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	12.02.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.09.2024	...	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33	10306.33
6.35% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	23.12.2024	...	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	18.01.2025	...	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92	11256.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2025	28.03.2025	...	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92	9296.92
8.40% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	29.03.2026	...	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00	4971.00
6.90% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	04.02.2026	...	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00	21942.00
8.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	23.03.2026	...	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
जोड़			130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17	130923.17

2घ - उर्वरक कंपनियों को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

7.00% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	10.12.2022	...	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51	6071.51
6.20% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42	491.42
6.65% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	24.12.2022	...	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92	1710.92
8.30% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2023	07.12.2023	...	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00	3880.00
7.95% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2026	18.02.2026	...	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87	3550.87
जोड़			15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72	15704.72
सरकार द्वारा वापसी खरीद			6032.30					

2छ - भारतीय खाद्य निगम को नकद सब्सिडी के बदले में जारी विशेष प्रतिभूतियाँ

8.15% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2022	16.10.2022	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.03% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2024	15.12.2024	...	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00
8.23% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2027	12.02.2027	...	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00	6200.00
जोड़			16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00	16200.00

2ज - आईआईबीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

11.50% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.03.2021	...	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
जोड़			100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

2झ - आईएफसीआई को जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

9.75% भारत सरकार विशेष बॉण्ड, 2021	30.10.2021	...	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
जोड़			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00

2ञ - एसबीआई राइट्स इश्यू के लिए जारी भारत सरकार के विशेष बॉण्ड

8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू, 2024	27.03.2024	...	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01
जोड़			9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01	9996.01

2ट - आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)

आईडीबीआई बांड (ब्याज रहित)	29.09.2024	...	4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00
जोड़			4586.00	4486.00	4346.00	4226.00	4001.00	4001.00

2ठ - सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूजीकरण हेतु जारी भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियाँ

7.35 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	29.03.2028	13375.00	13375.00	13375.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	23.07.2028	1902.00	1902.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	19.09.2028	394.00	394.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	27.09.2028	906.00	906.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	22.10.2028	123.00	123.00
7.74 (अहस्ता.) विशेष सरकारी प्रतिभूति 2028	12.11.2028	509.00	509.00

3. राष्ट्रीय लघु बचत निधि

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019		संशोधित अनुमान 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
क. संग्रहण, उन्मोचन और निवेश :								
अथ शेष (ओ)	132490.28		1262949.36		1289604.15		1480502.35	
1 संग्रहण और संवितरण :								
(i) बचत जमा राशियां	461191.59	377163.15	469984.19	390064.63	512161.78	392165.12	537769.87	407851.73
(ii) बचत प्रमाण पत्र	43638.45	35873.14	45951.88	40248.22	44803.18	32984.18	47073.34	34333.55
(iii) लोक भविष्य निधि	87880.32	22560.20	81897.43	27719.20	89152.28	30069.74	93609.89	31272.53
वर्ष में कुल संग्रहण और संवितरण (सी)	592710.36	435596.49	597833.50	458032.05	646117.24	455219.04	678453.10	473457.81
जोड़ (1)=(ओ)+(सी)	1725200.64	435596.49	1860782.86	458032.05	1935721.39	455219.04	2158955.45	473457.81
2 निवेश :								
(i) 01 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश (i)		989942.76		1155272.18		1153164.49		1370329.66
(ii) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	
(iii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6033.05	75000.00	13533.00	30778.12	13533.00	85533.00	22268.32	88944.24
(iv) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	40567.80	9161.58	42667.78	11025.00	42533.94	12000.00	44955.76	14000.00
(v) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों का पुनर्निवेश	...	33661.00	...	57754.88	...	53000.00	...	63324.08
(vi) सरकारी एजेंसियों में निवेश	14000.00	106000.00	27868.48	127971.88	32636.00	155335.11	27000.00	136483.67
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में निवेश	14000.00	65000.00	19000.00	...	27000.00	...	27000.00	...
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश	...	20000.00	20000.00
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	...	10000.00	7500.00
(घ) भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	...	8000.00
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	...	3000.00	3000.00	...	5636.00	2636.00
(च) आरईसी लि. में निवेश	5000.00
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश	7500.00
(ज) अन्य	5868.48	127971.88	...	112699.11	...	136483.67
वर्ष में कुल निवेश एवं अदायगी (I)	60600.85	223822.58	84069.26	227529.88	88702.94	305868.11	94224.08	302751.99
जोड़ (2)=(I)+(II)	60600.85	1213765.34	84069.26	1382802.06	88702.94	1459032.60	94224.08	1673081.65
ख. एनएसएसएफ की आय और व्यय :								
3 व्याज से आय (II)								
(i) 31.3.1999 को बकाया राशि से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	6779.76		6779.76		6779.76		6779.76	

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2017-2018		बजट अनुमान 2018-2019		संशोधित अनुमान 2018-2019		बजट अनुमान 2019-2020	
	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण	प्राप्तियां	संवितरण
(ii) 1.4.1999 से संग्रहणों से केन्द्रीय सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	7143.59		12481.77		13714.83		17815.84	
(iii) 1.4.1999 से निर्गमित राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	52640.35		48882.65		48836.49		45497.20	
(iv) केन्द्र/राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों के उन्मोचन से प्राप्त राशियों से विशेष प्रतिभूतियों में निवेश	23383.31		57754.88		26822.17		30556.84	
(v) सरकारी एजेंसियों में निवेश	5034.08		14222.41		13078.02		20893.76	
(क) भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) में निवेश	5034.08		7527.89		9459.33		7191.33	
(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश	...		1540.00		1979.75		2803.00	
(ग) भारतीय रेलवे वित्त निगम में निवेश	...				801.00		801.00	
(घ) भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद में निवेश	...				672.00		672.00	
(ङ) एयर इंडिया में निवेश	...		225.00		165.94		...	
(च) आरईसी लि. में निवेश		408.00	
(छ) विद्युत वित्त निगम में निवेश		608.25	
(ज) अन्य	...		4929.52		...		8410.18	
उप-जोड़ [(i)+(ii)+(iii)+(iv)+(v)] (II)	94981.09		109153.59		109231.27		121543.40	
3.1 एनएसएसएफ की अन्य								
आय (ओआई) अन्य प्राप्तियां	418.87		450.00		660.00		690.00	
जोड़ (3) = (II) + (ओआई)	95399.96		109603.59		109891.27		122233.40	
4 ब्याज भुगतान (आईपी):								
बचत जमा राशियां	33012.78		35614.02		36623.00		38454.00	
बचत प्रमाण पत्र	28246.35		28312.32		29417.00		30811.00	
लोक भविष्य निधि	29962.69		31500.00		34410.00		36130.00	
जोड़ (4)	91221.82		95426.34		100450.00		105395.00	
5 प्रबंधन लागत:								
डाक विभाग को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	8112.64		8176.11		9211.12		10403.29	
सरकारी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी प्रभारों का भुगतान	203.98		250.00		250.00		262.50	
एजेंटों को एजेंसी कमीशन का भुगतान	2470.44		2066.96		2500.00		2625.00	
मुद्रण की लागत	35.00		25.00		15.00		15.00	
जोड़ (5)	10822.06		10518.07		11976.12		13305.79	
6 राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की कुल आय और व्यय (3)+(4)+(5)	95399.96	102043.88	109603.59	105944.41	109891.27	112426.12	122233.40	118700.79
7 वर्ष में निवल आय (-)/व्यय (+)		6643.92		-3659.18		2534.85		-3532.61

टिप्पणी: 1. अल्प बचत स्कीमों के अंतर्गत दावा न की गई, के रूप में अभिज्ञात ₹ 64.43 करोड़ की राशि 2017-18 के दौरान एससीडब्ल्यूएफ को अंतरित कर दी गई थी।

2. सं.अ. 2018-19 में ₹ 1,12,699.11 करोड़ और ब.अ. 2019-20 में ₹ 1,36,483.67 अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए अभिज्ञात किए गए हैं, जिनका निवेश विवरण में उल्लिखित सरकारी एजेंसियों अथवा अन्य एजेंसियों, जैसा भी मामला हो, में किया जा सकता है।

4. वार्षिकी परियोजनाओं संबंधी देनदारी

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय*								
(i)	एनएचडीपी चरण-I	2,768.41	8,635.29				575.69	1,138.42
1.	पनगढ़-पलसित (517-581.457 किमी.)	350.00	1,665.00	21-06-2005	21-12-2019	15	111.00	222.00
2.	पलसित-दांकुनी (581.457-646 किमी.)	432.40	1,199.94	27-08-2005	27-02-2020	15	80.00	159.99
3.	अंकापली-टूनी को चार लेन का बनाना	295.00	884.43	09-11-2004	08-11-2019	15	58.96	117.92
4.	धर्मावरम टूनी परियोजना आ.प्र-16 को चार लेन का बनाना	212.00	837.36	30-11-2004	29-11-2019	15	55.82	111.64
5.	धर्मावरम-राजामुंद्री परियोजना आं.प्र-15 को चार लेन का बनाना	219.00	888.57	30-11-2004	29-11-2019	15	59.24	118.48
6.	नेल्लोर बाइपास	152.91	388.80	27-04-2005	27-10-2019	15	25.92	38.88
7.	एनएच-04 के बेलगाम-महाराष्ट्र सीमा को चार लेन का बनाना	542.80	1,515.51	20-06-2005	20-12-2019	15	101.03	202.07
8.	ताम्बरम-तिंडीवनम	564.30	1,255.68	03-05-2005	09-11-2019	15	83.72	167.44
(ii)	एनएचडीपी चरण-II	6,294.23	17,838.70				1,061.36	9,029.50
9.	एनएच-28 पर गोरखपुर बाइपास	600.24	1,701.00	04-04-2010	04-04-2027	17.5	97.20	923.40
10.	ग्वालियर बाईपास-पैकेज एनएस-1/बीओटी/एमपी-1	300.93	928.55	02-01-2013	06-04-2027	17.5	53.06	530.60
11.	लखनादोन-एमएच सीमा एनएस-1/बीओटी/म.प्र.2	263.17	673.05	26-09-2009	26-03-2027	17.5	38.46	346.18
12.	लखनादोन-एमपी/एमएच (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3) में (596.75-653.225 कि.मी. एनएच-7)	407.60	672.00	22-05-2010	22-10-2027	17.5	38.40	383.96
13.	कोसी नदी और इसके एप्रोचों पर पुल तथा एनएच-57 का 148.550 से 159.185 तक गाइडबैंड और एफ्लक्सबैंड	418.04	1,084.60	04-04-2010	04-04-2027	17	63.80	701.80
14.	एनएच-2 पर ओरई- भोगनीपुर खंड पर एनएच-25 पर भोगनीपुर-बाराह खंड	465.00	1,344.60	24-10-2009	24-04-2024	15	89.64	582.66
15.	झांसी-ललितपुर खंड 0.00-49.79 एनएस-1/बीओटी/यू.पी-2	355.06	1,048.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	59.90	539.10
16.	झांसी ललितपुर सेक्शन 49.79 कि.मी. में 99.00 एनएस-1/बीओटी/यू.पी-3	276.09	838.25	27-03-2010	27-03-2027	17.5	47.90	431.10
17.	कोथाकोटा बाईपास 211 कि.मी. कुर्नूल	611.00	1,582.56	15-09-2006	15-09-2026	14	113.04	565.20
18.	(एपी/महाराष्ट्र सीमा) 230 कि.मी. इस्लाम नगर, एनएच-7	360.42	1,133.28	02-05-2010	02-11-2027	18	62.96	629.60
19.	एनएच-7 का इस्लाम नगर 278 कि.मी. (कडताल)	518.46	1,597.32	03-08-2010	29-02-2028	18	88.74	887.40
20.	(कडताल) से 380 कि.मी. (अरमूर)	271.73	856.80	29-04-2010	29-10-2027	18	47.60	476.00
21.	अडलूर येल्लारेड्डी से नागपुर-हैदराबाद के गुंडला पोचनपल्ली तक 447 कि.मी.	546.15	1,896.30	24-09-2009	25-09-2026	17.5	108.36	921.06
22.	ए.पी/कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग और देवेनहल्ली (कर्नाटक-1)	402.34	1,185.84	20-04-2009	25-03-2027	18	65.88	592.92
23.	पालनपुर-स्वरुपगंज	498.00	1,296.30	24-03-2009	24-03-2024	15	86.42	518.52

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि	
				से	तक	वर्ष की संख्या			
(iii) एनएचडीपी चरण-III		3,737.70	10,571.54				731.17	7,909.30	
24.	एनएच-33 का हजारीबाग-रांची खंड	625.07	1,986.48	14-03-2013	14-03-2028	15.5	128.16	1,281.60	
25.	अमृतसर-बाघा बार्डर	205.88	664.20	31-12-2010	30-06-2028	18	36.90	387.45	
26.	एनएच-77 का हाजीपुर मुजफ्फपुर खंड	671.70	2,365.00	01-03-2017	01-09-2029	12.5	189.20	2,175.80	
27.	एनएच-67 पर त्रिची बाई पास सहित एनएच-210 का त्रिची करायकुडी खंड	374.00	554.97	16-08-2014	15-02-2027	13	42.69	405.56	
28.	एनएच-80 का 1.430 से 70 कि.मी. मोकामा-मुंगेर खंड	351.54	998.50	19-07-2013	14-05-2026	12.5	79.88	599.1	
29.	एनएच-77 का 2,800 से 89 कि.मी. मुजफ्फपुर-सीतामढ़ी-सोनबरषा खंड को दो लेन का बनाना	512.00	1,834.00	25-05-2014	25-05-2031	17.5	104.80	1,414.80	
30.	एनएच-31 का पूर्णिया-खगड़िया खंड 270 कि.मी. से 410 कि.मी.	664.00	1,624.00	02-04-2014	02-10-2028	14.5	112.00	1,232.00	
31.	रिगस से सीकर	333.51	544.39	01-09-2014	01-09-2028	14.5	37.54	412.99	
(iv) एनएचडीपी चरण-IV		3,704.02	12,987.00				811.00	10,746.90	
32.	एनएच-69 का नागपुर-बेतुल खंड 137 कि.मी. 257.400 कि.मी.	2,498.76	9,596.40	18-08-2015	18-08-2031	16.5	581.60	7,851.60	
33.	लखनऊ-रायबरेली खंड को 4 लेन का बनाया जाना	635.90	1,461.60	16-07-2015	15-07-2029	14.5	100.80	1,159.20	
34.	एनएच-231, राय बरेली-जौनपुर	569.36	1,929.00	02-12-2016	02-06-2031	15	128.60	1,736.10	
(v) जम्मू और कश्मीर की परियोजनाएं		4,019.00	16,390.20				1,038.84	14,341.86	
35.	जम्मू-उधमपुर	1,500.00	6,864.60	01-06-2014	01-06-2031	17	403.80	5,451.30	
36.	एनएच-1क का चेताना से नशरी खंड	2,519.00	9,525.60	07-09-2017	08-03-2032	15	635.04	8,890.56	
(vi) एसएआरडीपी-पूर्वोत्तर		762.00	3,062.22				194.76	2,523.48	
37.	शिलांग-बाइपास को 2 लेन का बनाना	226.00	596.88	25-09-2013	25-03-2025	12	49.74	348.18	
38.	जोरहाट-बारापानी	536.00	2,465.34	28-07-2016	28-01-2031	17	145.02	2,175.30	
कुल- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय		21,285.36	69,484.95				4,412.83	45,689.46	
गृह मंत्रालय									
(i) दिल्ली पुलिस	धीरपुर, नई दिल्ली में आवासीय परिसर का विकास	790.58	1897.00	परियोजना शुरू की जानी है			12	125.50	...
(ii) दिल्ली पुलिस	जय सिंह रोड, संसद मार्ग, नई दिल्ली में नए पुलिस मुख्यालय का विकास	202.00	1178.80	निर्णय लिया जाना है			13	78.00	...
कुल जोड़ - गृह मंत्रालय		992.58	3,075.80				203.50		
जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय									
(i)	82 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना हरिद्वार, उत्तराखंड में	244.18	185.62**	01-01-2021	31-12-2035	15	12.37	...	
(ii)	50 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट परियोजना वाराणसी, उत्तर प्रदेश में	211.57	169.12**	01-01-2021	31-12-2035	15	11.27	...	
(iii)	मथुरा में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पुनर्स्थापन एवं नवीकरण और 30 एमएलडी न्यू एसटीपी और 20 एमएलडी टीटीपी का निर्माण	638.18	495**	01-01-2022	31-12-2036	15	33.00	...	

(₹ करोड़)

मंत्रालय/ विभाग	परियोजना का नाम	परियोजना मूल्य	वचनबद्ध की गई कुल वार्षिकी	वर्ष की अवधि (वार्षिकी अवधि)			वार्षिक वार्षिकी	वित्त वर्ष 2017-18 के अंत में भुगतान न की गई वार्षिकी देनदारियों की राशि
				से	तक	वर्ष की संख्या		
(iv)	शुक्ला गंज (06 एमएलडी) और उन्नाव (13 एमएलडी) के लिए इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य, मौजूदा एसटीपी (26.06 एमएलडी) के एकीकरण के साथ पंखा में 30 एमएलडी क्षमता की नए एसटीपी का विकास	1050.99	944.87**	01-01-2022	31-12-2036	15	62.99	...
(v)	फर्रुखाबाद (33 एमएलडी) के लिए इंटरसेप्शन डायवर्जन और सीवेज ट्रीटमेंट कार्य	224.72	179.47**	01-01-2022	31-12-2036	15	11.96	...
कुल- जल संसाधन, नदी विकस और गंगा संरक्षण मंत्रालय		2369.64	1974.08				131.59	...
कुल जोड़		24647.58	74534.83				4747.92	45689.46

*1 उपर्युक्त सूची में केवल वे ही परियोजनाएं शामिल की गई हैं जो 31.3.2018 से पहले पूरी हो गई हैं और सालाना भुगतान के लिए पात्र हैं।

2. 31.03.2018 को (अंतिम कालम) के लंबित दायित्व का हिसाब अर्ध-वार्षिकी धनराशि से गुणा करके शेष अर्ध-वार्षिक रियायती अवधि (सालाना अवधि) के आधार पर किया गया है।

3. क्रमांक 19 और 20 पर परियोजनाओं की वार्षिकी धनराशि कम कर दी गई है।

4. वन विभाग में स्वीकृति न मिलने के कारण, परियोजना को री-लिंक कर दिया गया है और क्रमांक 11 और 12 पर परियोजनाओं के लिए वार्षिकी कम कर दी गई है।

** कुल वचनबद्ध वार्षिकी परियोजनाओं का कुल मूल्य और हाइब्रिड वार्षिकी आधारित पीपीपी मोड के तहत अगले दो वर्षों में अग्रणी चुकता की जाने वाली पूंजी लागत के 40% के बीच का अंतर है। तदनुसार, निर्माण अवधि के दौरान उपर्युक्त परियोजना के लिए भुगतान वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए क्रमशः ₹124.14 करोड़, ₹160.96 करोड़ और ₹110.46 करोड़ होगा।

टिप्पणी: मंत्रालयों/विभागों द्वारा यथासूचित अनुमोदित वार्षिकी संविदाओं के कारण देनदारी।

5 विदेशी सहायता

इस अनुबंध में बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय स्रोतों से मिली विदेशी सहायता के स्वरूप का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 में, जो विदेशी सहायता मिली है, उसके मूलधन की वापसी-अदायगी तथा ब्याज की अदायगी के अनुमानों को नीचे दी गई सारणी में संक्षेप में दिखाया गया है:-

	वास्तविक 2017-2018	बजट अनुमान 2018-2019	संशोधित अनुमान 2018-2019	बजट अनुमान 2019-20
1. ऋण	48516.74	40882.39	40209.00	44673.00
2. घटाएं-राज्य परियोजनाओं हेतु विदेशी ऋण	13900.73	14016.00	13762.12	12262.05
क. निवल विदेशी ऋण (1-2)	34616.01	26866.39	26446.88	32410.95
ख. नकद अनुदान	1436.56	1387.00	969.00	650.00
ग. वस्तु अनुदान सहायता	2145.64	1280.00	301.00	356.00
घ. जोड़ (क+ख+ग)	38198.21	29533.39	27716.88	33416.95
ङ ऋणों की वापसी-अदायगी	26685.27	29455.00	31340.00	35363.00
च. विदेशी सहायता (वापसी अदायगी को घटाकर) (घ-ङ)	11512.94	78.39	-3623.12	-1946.05
छ. ऋणों पर ब्याज अदायगी	5950.76	6188.00	7870.00	9765.00
ज. विदेशी सहायता (वापसी-अदायगी तथा ब्याज अदायगी को घटाकर) (च-छ)	5562.18	-6109.61	-11493.12	-11711.05

(₹ करोड़ में)

विभिन्न देशों और संगठनों द्वारा दी जा रही सहायता का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(क) बहुपक्षीय स्रोत

1. विश्व बैंक समूह

विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। भारत विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी तथा आईडीए के माध्यम से विश्व बैंक से निधियां प्राप्त करता रहा है।

(क) अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आईबीआरडी)

भारत 1949 से आईबीआरडी से सहायता प्राप्त कर रहा है। आईबीआरडी ऋण, हालांकि गैर रियायती हैं, वाणिज्यिक संसाधनों हेतु अपेक्षाकृत अनुकूल शर्तों पर दिया जाता है। आईबीआरडी सॉवरेन ऋणों को मुख्यतया अवसंरचना परियोजनाओं और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और मानव संसाधन विकास आदि के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आईबीआरडी का लक्ष्य ऋणों, गारंटियों और गैर ऋण सेवाओं के जरिए सम्पोषणीय विकास को बढ़ावा देकर गरीबी कम करना है।

आईबीआरडी की सहायता के जरिए चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-राष्ट्रीय राजमार्ग अंतरसंपर्कता सुधार परियोजना, जल क्षेत्र सुधार परियोजना, 'स्वच्छ भारत मिशन सहायता प्रचालन', दूसरी कर्नाटक राज्य राजमार्ग सुधार परियोजना, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर-1 परियोजना आदि हैं। आईबीआरडी मुख्यतः विद्युत क्षेत्र के सीपीएसयू और पीएसबी को भी सॉवरेन गारंटी ऋण प्रदान करता है।

(ख) अंतरराष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)

आईडीए विश्व बैंक की रियायती शाखा है और बैंक के गरीबी कम करने के मिशन को सहायता देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईडीए अपने सदस्य देशों को रियायती ऋण देता है। आईडीए की निधियां मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाती हैं जो संपोषणीय सहस्राब्दि (मिलेनियम) विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करती हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की ग्रामीण सड़क परियोजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना, द्वितीय तकनीकी/इंजीनियरिंग शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना, माध्यमिक शिक्षा परियोजना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण सहायता परियोजना जैसे भारत के फ्लैगशिप विकास कार्यक्रमों की आईडीए ऋणों द्वारा सहायता की जा रही है।

2. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.)

एडीबी 1966 में स्थापित एक मुख्य क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है और भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। हमारे संसाधनों को विस्तृत करने के लिए 1986 में एडीबी से उधार लेने का निर्णय लिया गया था।

एडीबी के प्रचालन अब विद्युत, परिवहन और शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त वित्तीय संस्थागत संभरणीय जीविकोपार्जन, कौशल विकास और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन, कृषि-कारोबार अवसंरचना विकास निवेश और पर्यटन तक फैल गए हैं। सरकारी खाते में एडीबी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ बड़ी परियोजनाएं हैं 'मध्य प्रदेश जिला कनेक्टिविटी क्षेत्र परियोजना', 'ग्रामीण कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम परियोजना-3', 'दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) सड़क कनेक्टिविटी निवेश कार्यक्रम'।

एडीबी विशेष तौर पर विद्युत क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों को गारंटीकृत राजकीय ऋण भी प्रदान करता है।

3. यूरोपीय निवेश बैंक

यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) पूंजी निवेश के लिए ऋण मुहैया कराने के लिए रोम संधि के तहत 1958 में स्थापित किया गया था। ईआईबी 'लखनऊ मेट्रो रेल लाइन' को सहायता प्रदान कर रहा है।

4. न्यू डेवलेपमेंट बैंक (एनडीबी)

ब्रिक्स देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) ने शंघाई, चीन में न्यू डेवलेपमेंट बैंक की स्थापना की है। वर्तमान में, एनडीबी द्वारा तीन चालू परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

5. एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी)

एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय बैंक है जो मुख्यतः ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार, ग्रामीण अवसंरचना और कृषि विकास के लिए ऋण देता है। वर्तमान में, एआईआईबी द्वारा प्रदान की गई सहायता से तीन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

6. अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी)

अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की 13वीं विशिष्ट एजेन्सी के रूप में 1977 में की गई थी। आईएफएडी ने कृषि, ग्रामीण विकास, जनजातीय विकास, महिला सशक्तीकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और ग्रामीण वित्त व्यवस्था के क्षेत्रों में 32 सरकारी परियोजनाओं को सहायता दी है।

वर्तमान में, आईएफएडी द्वारा सहायता प्राप्त कुल 18 परियोजनाएं क्रियान्वयन में हैं। वर्तमान में चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं-समेकित आजीविका सहायता परियोजना और झारखंड जनजातीय सुधार एवं आजीविका परियोजना।

7. वैश्विक निधि संगठन

वैश्विक निधि एड्स, तपेदिक और मलेरिया (जीएफएटीएम) से मुकाबला करने के लिए एक अन्तरराष्ट्रीय वित्तपोषण संगठन है जिसका उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स, तपेदिक और मलेरिया से बचाव व उपचार हेतु अतिरिक्त संसाधन जुटाना और प्रदान करना है। इस संगठन ने जनवरी 2002 में प्रचालन शुरू किया था। भारत में जीएफएटीएम से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। इस समय वैश्विक निधि की सहायता से निष्पादित की जा रही 3 परियोजनाएं हैं जो इस प्रकार हैं- वैश्विक निधि द्वारा सहायता प्राप्त एचआईवी एड्स नियंत्रण परियोजना 'इंक्रिजिंग एक्सेस एण्ड प्रमोटिंग कम्प्रेहेंसिव केयर', 'सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट, गहन मलेरिया नियंत्रण परियोजना-3' और 'तपेदिक'।

8. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.)

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का समग्र मिशन स्थायी मानव विकास में क्षमता विकास के जरिए कंट्री प्रोगाम वाले देशों को अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना है। वर्तमान कंट्री प्रोगाम (सीपी) 2013-17 में प्रजातंत्रिक सुशासन, गरीबी उन्मूलन, एचआईवी, ऊर्जा एवं पर्यावरण, स्थायी विकास और लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कंट्री प्रोगाम आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों पर केंद्रित है।

(ख) द्विपक्षीय स्रोत

1. जापान

जापान 1958 से भारत को सरकारी विकास सहायता (ओडीए) प्रदान करता आ रहा है। भारत को जापान की ओर से सरकारी विकास सहायता, ऋण, सहायता अनुदान और तकनीकी सहायता के रूप में जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) द्वारा प्राप्त होती है। जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता है। जेआईसीए परियोजनाएं परिवहन, विद्युत, सिंचाई, पर्यावरण और निवेश संवर्धन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में फैली हैं।

जेआईसीए सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- 'दिल्ली मास रैपिड परिवहन प्रणाली परियोजना', 'डेडिकेटेड मालभाड़ा (फ्रेट) कॉरिडोर परियोजना', 'कोलकाता पूर्व-पश्चिम मेट्रो परियोजना', 'चेन्नई मेट्रो परियोजना', 'बेंगलुरु जलापूर्ति और सीवेज परियोजना', 'बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना', 'अहमदाबाद मेट्रो परियोजना', 'तमिलनाडु पारेषण प्रणाली सुधार परियोजना'।

2. जर्मनी

संघीय गणराज्य जर्मनी 1958 से भारत को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जर्मनी द्वारा सहायता प्राप्त वित्तीय कार्यक्रमों का केएफडब्ल्यू, जर्मनी सरकार के विकास बैंक के माध्यम से और तकनीकी सहायता कार्यक्रमों का जीआईजेड के जरिये कार्यान्वयन किया जाता है। द्विपक्षीय विकास सहयोग कार्यक्रम के वर्तमान प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं-ऊर्जा, पर्यावरणीय नीति, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संपोषणीय प्रयोग, संपोषणीय आर्थिक विकास।

केएफडब्ल्यू सहायता के माध्यम से चल रही कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं- 'तमिलनाडु में सम्पोषणीय नगर पालिका अवसंरचना वित्तपोषण', 'शूगटुंग-कर्चम पनबिजली परियोजना-एचपी', हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश में 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर इंट्रा ट्रांसमिशन प्रणाली' तथा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी की जलवायु प्रूफिंग।

3. रूसी परिसंघ

भारत और रूसी संघ (पहले यूएसएसआर) के बीच विकासात्मक सहयोग साठ के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 1 और 2 का निर्माण नवम्बर, 1988 में हस्ताक्षर किए गए अंतर-सरकारी करार (आईजीए) के तहत किया गया है, जिसे जून, 1998 में संपूरक करार के जरिए संशोधित किया गया था। यूनिट सं. 3 और 4 निर्माणाधीन हैं।

कुडनकुलम में (यूनिट 5 और 6) अतिरिक्त नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए जुलाई, 2017 में तारीख 5 दिसम्बर, 2008 के करार के प्रोटोकाल सं.2 पर हस्ताक्षर किए गए थे।

4. फ्रांस

फ्रांस सरकार भारत को 1968 से विकास सहायता प्रदान कर रही है। फ्रांसीसी विकास सहायता फ्रेंच एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट (एएफडी) के माध्यम से प्रदान की जा रही है। भारत में एजेन्सी फॉर डेवलपमेंट द्वारा वित्तपोषण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्र ऊर्जा दक्षता नवीकरण ऊर्जा, शहरी अवसंरचना (सार्वजनिक परिवहन, जल) हैं। एएफडी सहायता के माध्यम से चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं- कोची मेट्रो परियोजना, जैव-विविधता परिरक्षण और बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना-II ।

**6. वर्ष 2019-20 में उन्मोचन के लिए देय बाजार ऋण प्रत्येक के सामने
इंगित किए गए बकाया शेष के साथ**

(₹ करोड़)

क्र.सं.	ऋण का नाम	परिपक्वता की तारीख	बकाया राशि
1.	7.28% सरकारी स्टॉक, 2019	03.06.2019	53000.00
2.	6.05% सरकारी स्टॉक, 2019	12.06.2019	4000.00
3.	6.05% सरकारी स्टॉक, 2019 (कोन)	12.06.2019	7000.00
4.	6.90% सरकारी स्टॉक, 2019	13.07.2019	42840.00
5.	10.03% सरकारी स्टॉक, 2019	09.08.2019	6000.00
6.	6.35% सरकारी स्टॉक, 2020	02.01.2020	56000.00
7.	6.35% सरकारी स्टॉक, 2020 (कोन)	02.01.2020	5000.00
8.	8.19% सरकारी स्टॉक, 2020	16.01.2020	74000.00
9.	कुल अदायगी		247840.00
	घटाएं: वर्ष 2019-20 के बकाया स्टॉक में से प्रतिभूतियों के परिवर्तन के लिए वर्ष 2018-19 में प्रावधान		10962.01
10.	वर्ष 2019-20 में किए जाने वाली अदायगी		236877.99
11.	सरकारी स्टॉक के परिवर्तन / पुनर्खरीद		
	(i) प्रतिभूतियां के परिवर्तन हेतु प्रावधान	50000.00	
	(ii) सरकारी स्टॉक की पुनर्खरीद हेतु प्रावधान	50000.00	
			100000.00
	जोड़ (10+11)		336877.99